



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266652
CG-DL-E-06102025-266652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]
No. 292]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना
अंतिम जाँच परिणाम
नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025
मामला सं. एडी(ओआई)- 26/2024

विषय : चिली और चीन जनवादी गणराज्य के मूल अथवा वहां से निर्यातित “वर्जिन मल्टीलेयर पेपर बोर्ड” के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/28/2024-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'पाटनरोधी नियमावली' या "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- यतः इंडियन पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे “आवेदक” या “आवेदक एसोसिएशन” या “आईपीए” कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा जाएगा) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे

“पाटनरोधी नियमावली” या “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार चिली और चीन जन गण (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) से वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच शुरू करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों (जिन्हें आगे “आवेदक घरेलू उत्पादक” भी कहा गया है) ने वर्तमान जाँच के लिए अपने आँकड़े उपलब्ध कराए।

- i. आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड (जिसे पूर्व में सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
- ii. इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड
- iii. जेके पेपर्स लिमिटेड
- iv. आईटीसी लिमिटेड
- v. तमिलनाडु पेपर्स एंड न्यूजप्रिंट लिमिटेड

2. और यतः, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/28/2024-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2024 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें चिली और चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जाँच शुरू की गई ताकि संबद्ध वस्तुओं के किसी भी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. प्रक्रिया

3. इस जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जाँच की शुरुआत करने से पूर्व, भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने 30 सितंबर 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की गई।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जाँच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, संबद्ध देशों की सरकारों को, आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, अनुरोध करने पर, उपलब्ध कराई गई।
- ड. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी:
 - i. कार्टुलिनास सीएमपीसी एस.पी.ए., चिली
 - ii. अनहुई कोल पैकेजिंग मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
 - iii. अनहुई टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
 - iv. ब्लू स्काई लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
 - v. चांगलकेयुआन पेपर कंपनी लिमिटेड

- vi. चांगझोउ ईज़ी जॉइंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
- vii. चेंगटोंग इंटरनेशनल लिमिटेड
- viii. एकमैन पल्प एंड पेपर लिमिटेड
- ix. गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग हांगकांग कंपनी लिमिटेड
- x. हांगजो सिनोसी पेपर कंपनी लिमिटेड
- xi. हार्टवी इमेजिंग मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
- xii. हेनज़ेल सेल्स एशिया पैसिफिक एसडीएन बीएचडी
- xiii. हांगकांग पेपर सोर्सेज कंपनी लिमिटेड
- xiv. कैफ़ेंग युकाई पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- xv. किंग एम्पायर ग्रुप लिमिटेड
- xvi. किंगडेकोर झेजियांग कंपनी लिमिटेड
- xvii. लामी पैकेजिंग हांगकांग कंपनी लिमिटेड
- xviii. लामी पैकेजिंग कुनशान कंपनी लिमिटेड
- xix. मैटेरियल सोर्सेज इंटरनेशनल लिमिटेड
- xx. एम एस नानजिंग जिनहान टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- xxi. मॉडर्न इंटरनेशनल एशिया लिमिटेड
- xxii. निंगबो एशिया पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
- xxiii. ओरिएंटल पेपर एचके लिमिटेड
- xxiv. पीजी पेपर कंपनी लिमिटेड
- xxv. शेडोंग बिहाई पैकेजिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड
- xxvi. शेन्ज़ेन युतो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- xxvii. स्टोरा एनसो गुआंगशी पैकेजिंग कंपनी लिमिटेड
- xxviii. ट्राइसेल एचके ट्रेडिंग लिमिटेड
- xxix. यूनाइटेड इमाटेक किंगदाओ कंपनी लिमिटेड
- xxx. विपा लुआसेन एस ए
- xxxii. वाइटल सॉल्यूशंस पीटीई लिमिटेड
- xxxiii. वुहान शिन ओएसिस इंडस्ट्री एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड
- xxxiv. एक्सटी हार्टवी इमेजिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड
- xxxv. यानलॉर्ड पेपर लिमिटेड
- xxxvi. पीटी इंडाह किआट पल्प एंड पेपर

च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का निदेश दें।

छ. संबद्ध जाँच की शुरुआत होने पर, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करके उत्तर दिया है:

- i. कार्टुलिनास सीएमपीसी एसपीए

- ii. निंग्बो एशिया पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
 - iii. निंग्बो एशिया अनपॉल्यूटेड पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
 - iv. गुआंगशी जिंगुई पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
 - v. जियांगसू बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - vi. शेडोंग बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - vii. बोफेंग ग्रुप होल्लिंग्स (हांगकांग) लिमिटेड
 - viii. गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
- ज. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी, जिसमें नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगी गई।
- i. अद्विक एंटरप्राइजेज
 - ii. ऑल इंडिया ट्रेडिंग सॉल्यूशंस
 - iii. अमन पेपर कंपनी
 - iv. ए.के. ट्रेडिंग (पेपर) प्राइवेट लिमिटेड
 - v. एशिया पल्प एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - vi. ब्रिज पेपर्स
 - vii. ईसीएलएटी पेपर्स
 - viii. सी.एच. जावा कंपनी
 - ix. छगनराज कंपनी
 - x. चिमनलाल फीन पेपर प्राइवेट लिमिटेड
 - xi. दीपक पेपर कंपनी
 - xii. फ्रंट्रोक्वर्टर
 - xiii. ग्रीन ग्लोब इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xiv. गर्ग पेपर मार्ट
 - xv. हीरो मल्टी पेपर प्राइवेट लिमिटेड
 - xvi. आई एन इम्पेक्स
 - xvii. जन एजेंसीज एंड इंडस्ट्रीज
 - xviii. कागज डिजिटल पेपर प्राइवेट लिमिटेड
 - xix. कोकुयो रिद्धि पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xx. लक्ष्य पेपर
 - xxi. मंदागिनी सील्स
 - xxii. एम.एल.एम. (इंडिया) लिमिटेड
 - xxiii. नरसिंह दास एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 - xxiv. पेपर कॉर्पोरेशन
 - xxv. पीएलजी इम्पेक्स

- xxvi. पीएनजी ग्लोबल
- xxvii. प्रगति पेपर कंपनी
- xxviii. प्रिज्मा वर्ल्ड
- xxix. प्रभात पेपर मार्ट
- xxx. आरडी इम्पेक्स
- xxxi. राजीव रंजन
- xxxii. सार्थक एंटरप्राइजेज
- xxxiii. शांति कॉर्पोरेशन
- xxxiv. श्री अष्टविनायक पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxxv. श्री कृष्णा इम्पेक्स
- xxxvi. शिवानंद मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
- xxxvii. श्री अयप्पा पॉली पेपर एंड बोर्ड्स
- xxxviii. स्पेशलिटी पेपर एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxxix. सुप्रीम इंडिया कंपनी
- xl. स्वास्तिक पेपर कंपनी
- xli. श्रीनिवास पेपर्स इम्पेक्स एलएलपी
- xlvi. सिंडिकेट प्रिंटर्स लिमिटेड
- xlii. सिंघानिया अलू फ़ॉइल कंटेनर मैनुफैक्चरिंग कंपनी
- xliv. टीएम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
- xlv. टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड
- xlvi. टेम्पल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
- xlvi. टेद्रा पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xlvi. यूफ्लेक्स लिमिटेड
- xlix. वीनस पेपर कॉर्पोरेशन
- I. विबग्योर ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
- li .वाइटल पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

- झ. संबद्ध जाँच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में, किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ज. जाँच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति और आवेदन का अगोपनीय अंश निम्नलिखित एसोसिएशन को भेजा गया था:
- i. एसोचैम
 - ii. सीआईआई
 - iii. फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
 - iv. फिक्की
- ट. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

- ठ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए। सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करें। अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकारी ने 12 दिसंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया।
- ड. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल कर दें।
- ढ. डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का सौदा-वार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और सौदों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- ण. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 7 अप्रैल 2025 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने और उसके बाद खंडन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
- त. निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण, 12 जून 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।
- थ . उत्पादकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं और आयातकों के साथ-साथ प्रयोक्ताओं की एसोसिएशन सहित निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों की ओर से संबद्ध जाँच में अनुरोध प्रस्तुत किए गए।
- i. घरेलू उद्योग
 - ii. बोफेंग ग्रुप होल्डिंग्स (हांगकांग) लिमिटेड
 - iii. गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
 - iv. गुआंगशी जिंगुई पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
 - v. जियांगसू बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - vi. निंग्बो एशिया पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
 - vii. निंग्बो एशिया अनपॉल्यूटेड पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
 - viii. शेडोंग बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - ix. ग्रीन ग्लोब इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - x. हीरो मल्टी पाप प्राइवेट लिमिटेड,
 - xi. मिट्टन लाल मार्केटिंग लिमिटेड
 - xii. एमएलएम इंडिया लिमिटेड
 - xiii. एनपीटी पेपर्स प्रा. लिमिटेड
 - xiv. प्रगति पेपर कंपनी
 - xv. श्री अष्टविनायक पेपर्स प्रा. लिमिटेड
 - xvi. बॉम्बे मास्टर प्रिंटर्स एसोसिएशन
 - xvii. भारतीय कागज व्यापारी संघों का महासंघ

- द. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत और उसे बनाने एवं बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ध. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल थी।
- न. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जाँच परिणाम में उचित ढंग से विचार किया गया है।
- प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
- फ. जहाँ भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है, अथवा जाँच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/टिप्पणियाँ दर्ज की हैं।
- ब. प्राधिकारी ने, जाँच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया, जो वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम का आधार बनती है, और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का, जहाँ तक संगत, व्यावहारिक और आवश्यक समझा गया, सत्यापन किया गया था।
- भ. प्राधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ देने का अवसर प्रदान किया गया।
- म. इस अधिसूचना में '***' चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- य. संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.69 रुपये है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान जाँच की शुरुआत के समय निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में माना गया था।

“विचाराधीन उत्पाद सफेद/वर्जिन वुड पल्प से बना मल्टी-लेयर बोर्ड है, चाहे वह कोटेड हो या बिना कोटेड, और इसे वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड भी कहा जाता है। विचाराधीन उत्पाद कागज़ की कई परतों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। विचाराधीन उत्पाद पेड़ों के रेशों से प्राप्त पल्प से निर्मित है। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध है। विचाराधीन उत्पाद में फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी), सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस), कप स्टॉक पेपर या बोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड शामिल हैं, जिनका आकार 140 से 450 जीएसएम तक होता है। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: वर्जिन ग्रेड जो पेड़ों के रेशों से निर्मित होता है और पुनर्चक्रित ग्रेड जो पुनर्प्राप्त कागज़ और पेपरबोर्ड से प्राप्त रेशों से निर्मित होता है।

पुनर्चक्रित/भूरे रंग के पल्प या रेशे से बने कोटेड/बिना कोटेड सिगरेट बोर्ड और पेपरबोर्ड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

ख.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अनुरोध किए हैं।
 - i. कोटेड आर्टबोर्ड, अंतिम उपयोग अनुप्रयोग और तकनीकी विशिष्टताओं के संदर्भ में एफबीवी से भिन्न है। जहाँ आर्टबोर्ड का उपयोग ग्राफिकल प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, वहीं एफबीवी का उपयोग पैकेजिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है। आईटीसी द्वारा प्रदान किए गए कोटेड आर्टबोर्ड का अंतिम उपयोग अनुप्रयोग भी समान है। कोटेड आर्टबोर्ड को वर्तमान जाँच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - ii. कोटेड आर्टबोर्ड का उत्पादन केवल आईटीसी द्वारा किया जाता है, जो केवल 25% माँग को पूरा करने में सक्षम है।
 - iii. आवेदन में प्रस्तावित उत्पाद के दायरे में या प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित दायरे में कोटेड आर्टबोर्ड का उल्लेख नहीं किया गया है।
 - iv. प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित दायरे में यह प्रावधान है कि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग केवल पैकेजिंग के लिए किया जाता है, न कि मुद्रण अनुप्रयोगों के लिए।
 - v. आवेदन के पैराग्राफ 46 में, आईपीएमए ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "विचाराधीन उत्पाद पैकेजिंग सामग्री में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य, पेय और फार्मा उद्योग में पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। चूंकि संबद्ध वस्तुएं किसी भी उत्पाद के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री नहीं हैं और केवल उत्पाद की पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाती हैं, इसलिए प्रयोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा"।
 - vi. कोटेड आर्टबोर्ड सहित प्रिंटिंग पेपरबोर्ड जांच के दायरे से बाहर है, इसकी पुष्टि आवेदन के पैराग्राफ 54 से होती है, जिसमें कहा गया है कि "चूंकि विचाराधीन उत्पाद कच्ची सामग्री नहीं है और केवल खाद्य, पेय और फार्मा उद्योग में पैकेजिंग सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है, इसलिए उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा"।
 - vii. कोटेड आर्टबोर्ड एक ऐसा उत्पाद है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली ग्राफिकल प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। भारतीय उत्पादकों के अनुसार, कोटेड आर्टबोर्ड एक सुपर-कैलेंडर बोर्ड है जो विशेष रूप से डिजिटल प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त है और इसका उपयोग पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है। आईपीएमए ने अपने आवेदन में विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे को केवल पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पेपरबोर्ड तक सीमित कर दिया है। डबल-कोटेड आर्टबोर्ड, जिसका उपयोग विशेष रूप से मुद्रण उद्देश्यों के लिए किया जाता है, की कीमत अन्य मल्टीलेयर वर्जिन पेपरबोर्ड की कीमतों से लगभग 20-30% अधिक है।
 - viii. आवेदन में दी गई परिभाषा के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं का उपयोग केवल पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आवेदक ने "केवल" शब्द का प्रयोग यह निर्दिष्ट करने के लिए किया है कि विचाराधीन उत्पाद का अंतिम अनुप्रयोग पैकेजिंग तक ही सीमित है। अतः, कोटेड आर्टबोर्ड को इससे बाहर रखा जाना चाहिए।
 - ix. कोटेड आर्टबोर्ड की लागत और कीमतों में भौतिक अंतर और आवेदन द्वारा प्रस्तावित पीसीएन में इसके न होने के कारण, यह देखा जा सकता है कि यह उत्पाद वर्तमान जाँच के दायरे में शामिल नहीं है।
 - iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कप स्टॉक ग्राहकों के आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं है और घरेलू उद्योग की तुलना में अधिक कीमत पर आयात किया जाता है। यह आयातित कप स्टॉक पेपरबोर्ड के समान नहीं है।
 - v. विदेशी उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कप-स्टॉक पेपरबोर्ड की कीमत मापदंडों में अंतर के कारण 10-25% अधिक होती है।
 - vi. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए और भारत में आयातित कप स्टॉक के विनिर्देशनों में अंतर के कारण, पेपर कप निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयातित सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है। घरेलू उत्पादक कम मात्रा में कप स्टॉक की आपूर्ति करते हैं जो वैश्विक ग्राहकों के कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

- vii. 170-350 जीएसएम वाले कप स्टॉक, जिनकी मोटाई 277-476 माइक्रोन, भार 1.35-1.73 माइक्रोन, आर्द्रता 7.5%, आईएसओ ब्राइटनेस 78-80% और एजविक एलए/23 अधिकतम 1.50 किग्रा/मी² हो, को बाहर रखा जाना चाहिए।
- viii. जॉच शुरुआत अधिसूचना पॉलीइथाइलीन (पीई) जैसे अकार्बनिक यौगिक की परतों से कोटेड वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड को कवर नहीं करती है। प्राधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि यह जॉच के दायरे में शामिल नहीं है।
- ix. भारत को किए जाने वाले कुल निर्यात की तुलना में पीई कोटेड कप स्टॉक पेपरबोर्ड का हिस्सा नगण्य है।
- x. घरेलू उद्योग ने आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं में अंतर के संबंध में निर्यातकों के दावों का खंडन नहीं किया है। ऐसे मामले में, यह देखा जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद निर्यातकों द्वारा आपूर्ति किए गए कप स्टॉक पेपरबोर्ड के समान वस्तु नहीं है।
- xi. एफबीबी और सिगरेट बोर्ड समान वस्तुएँ हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। एक को जॉच से बाहर रखना और दूसरे को जॉच से बाहर नहीं रखना विरोधाभासी है। इसलिए, सिगरेट की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त एफबीबी को भी वर्तमान जॉच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xii. एफबीबी को जॉच से बाहर किए बिना सिगरेट बोर्ड को जॉच से बाहर करने से अनुप्रयोगों और कार्यात्मकताओं के अतिव्यापी होने के कारण अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होगा। एफबीबी को भी जॉच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xiii. सिगरेट बोर्ड तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एफबीबी के साथ प्रतिस्थापनीय हैं क्योंकि सिगरेट बोर्ड का उपयोग कन्फेक्शनरी और अन्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए एफबीबी के रूप में किया जा सकता है।
- xiv. आवेदक घरेलू उत्पादकों में से एक, आईटीसी लिमिटेड पर उपलब्ध सिगरेट बोर्ड के विवरण में कहा गया है कि सिगरेट बोर्ड एफबीबी हैं।
- xv. भारतीय आयातक सिगरेट बॉक्स बनाने के लिए चीन से एफबीबी का आयात करते हैं। आईटीसी स्वयं अपने सिगरेट पैकेजिंग अनुप्रयोगों के लिए एफबीबी का आयात करती है।
- xvi. सिगरेट बोर्ड को जॉच से बाहर करने से, यदि शुल्क लगाया जाता है, तो उसकी प्रवृत्तना होगी। सिगरेट बोर्ड को शामिल करने पर कोई पूर्व प्रभाव नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग को ऐसे शुल्क से लाभ होगा। जांच शुरू होने के बाद उत्पाद के दायरे का विस्तार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसा कि एल्युमीनियम फॉयल के आयात संबंधी पाटनरोधी जांच में किया गया था।
- xvii. लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड को संबद्ध देशों से आयात नहीं किया गया है या भारत में पाटित नहीं किया गया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी। इसलिए, इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xviii. लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड को ब्राज़ील और स्वीडन से आयात किया गया है और एलपीबी के उत्पादकों को कोई भी क्षति ऐसे आयातों के कारण हुई है। इसके अलावा, एफबीबी और एलपीबी वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद नहीं हैं।
- xix. वर्तमान जॉच में लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड को शामिल करने से दूध, जो एक आवश्यक वस्तु है, की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- xx. एसबीएस को संबद्ध देशों से आयात या पाटित नहीं किया गया है। इसलिए, एसबीएस के उत्पादकों को हुई क्षति को संबद्ध आयातों के कारण नहीं माना जा सकता है।
- xxi. आर्ट बोर्ड, एफबीबी, एसबीएस, लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड और कप स्टॉक पेपरबोर्ड के लिए ऐसे उत्पादों की कीमतों में अंतर के कारण अलग-अलग पीसीएन तैयार किए जाने चाहिए।
- xxii. पीसीएन पद्धति लागत अंतर पर नहीं, बल्कि कीमत अंतर पर आधारित है, जैसा कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 में प्रावधान है। अमेरिका-पाटनरोधी मेथोडोलॉजीज़ (चीन) में अपीलीय निकाय का भी यही जॉच परिणाम था, जहाँ उसने अनुच्छेद 2.4.2 के अंतर्गत अपने गुणात्मक विश्लेषण के लिए उत्पादन लागत को एक कारक के रूप में अस्वीकार कर दिया था।

- xxiii. घरेलू उत्पादकों की वेबसाइटें, जो एफबीबी, एसबीएस, आर्ट बोर्ड और कप स्टॉक में अंतर करती हैं, यह भी दर्शाती हैं कि इन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

ख.2. घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद में फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड ("एफबीबी"), सॉलिड ब्लीचड सल्फेट बोर्ड ("एसबीएस"), कप स्टॉक पेपर बोर्ड; लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड और आर्ट बोर्ड शामिल हैं, ये सभी 140-450 जीएसएम की रेंज में हैं।
- ii. प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित दायरा उपयुक्त है और इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।
- iv. विचाराधीन उत्पाद के दायरे को केवल जांच करने और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद अंतिम निर्धारण के चरण में ही अंतिम रूप दिया जा सकता है।
- v. आर्टबोर्ड, कप स्टॉक, सिगरेट पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड (एफबीबी) और पीई कोटेड कप स्टॉक के संबंध में अनुरोध किए गए अपवर्जन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने उक्त उत्पाद प्रकारों का उत्पादन किया है और बाजार में बेचा है।
- vi. जॉच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित उत्पाद क्षेत्र में कोटेड और कोटेड न किए गए वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड दोनों शामिल हैं। इसलिए, दोनों ओर से कोटेड आर्टबोर्ड विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में शामिल है।
- vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, जॉच शुरूआत अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग पैकेजिंग के साथ-साथ पुस्तक कवर और प्रकाशन के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार, आर्टबोर्ड विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है।
- viii. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि आर्टबोर्ड की विशेषताएँ विचाराधीन उत्पाद से भौतिक रूप से भिन्न हैं।
- ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, जिस सरलता से उत्पादक एक प्रकार के विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से आर्टबोर्ड के उत्पादन में स्थानांतरित हो सकते हैं, वह दर्शाता है कि सभी कोटेड आर्टबोर्ड एक ही समूह का हिस्सा हैं और विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।
- x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, केवल मांग-आपूर्ति अंतर की मौजूदगी ही किसी उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने का औचित्य नहीं बनता है।
- xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने याचिका में प्रभाव के परिमाणीकरण के संबंध में एक पैराग्राफ का गलत तरीके से संदर्भ देते हुए कहा है कि संबद्ध वस्तुओं का उपयोग केवल पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तथापि, याचिका में कई स्थानों पर, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद मुद्रण के लिए उपयुक्त है और ब्रोशर, फ़्लायर्स और डिस्प्ले बॉक्स जैसी प्रचार सामग्री के लिए भी उपयोग किया जाता है।
- xii. घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित आर्टबोर्ड के समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है और इसलिए, इसे जॉच से बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xiii. यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कप स्टॉक पेपरबोर्ड आयातित उत्पाद से भिन्न है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए कपस्टॉक घरेलू उद्योग को दिए गए आर्डरों के अनुसार ग्राहक विनिर्देशनों के अनुरूप हैं।
- xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग यदि उसे आर्डर दिया जाता है तो प्रयोक्ता उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कपस्टॉक का उत्पादन करने में सक्षम है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। किसी उत्पादक या उपभोक्ता के केवल आंतरिक मानक ही जॉच से बाहर करने का आधार नहीं बन सकते हैं।

- xv. प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित उत्पाद के दायरे में उत्पाद पर लगाए गए लेप की प्रकृति के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। इसलिए, पीई कोटेड कप स्टॉक को उत्पाद क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए।
- xvi. नियम 2(ख) के अनुसार, समान वस्तु समरूप वस्तु हो सकती है, या ऐसी वस्तु जो सभी प्रकार से समान न हो, किंतु जिसमें काफी हद तक समानताएं हों। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कप स्टॉक पेपरबोर्ड आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।
- xvii. सिगरेट बोर्ड को शामिल करने का अनुरोध संबद्ध वस्तु के निर्यातक द्वारा किया गया है, न कि घरेलू उत्पादक द्वारा। सिगरेट बोर्ड को शामिल न करने से निर्यातक के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा।
- xviii. सिगरेट बोर्ड, एफबीबी की तुलना में जीएसएम, कैलिपर, नमी, प्लाईबॉन्ड, तन्य शक्ति और फाइबर मशीन अलाइनमेंट सहित कई तकनीकी विशेषताओं के संबंध में एफबीबी से भिन्न होते हैं। परिणामस्वरूप, सिगरेट बोर्ड की लागत और कीमत एफबीबी की तुलना में अधिक होती है।
- xix. सिगरेट बोर्ड और एफबीबी के आयात कीमत में महत्वपूर्ण अंतर है। जबकि सिगरेट बोर्ड का न्यूनतम और औसत आयात कीमत क्रमशः ₹ 91,706 प्रति मीट्रिक टन और ₹ 1,18,316 प्रति मीट्रिक टन है, एफबीबी का न्यूनतम और औसत आयात कीमत क्रमशः ₹ 41,916 प्रति मीट्रिक टन और ₹ 61,629 प्रति मीट्रिक टन है।
- xx. विचाराधीन उत्पाद का दायरा उस उत्पाद को ध्यान में रखते हुए परिभाषित किया जाना आवश्यक है जो वास्तव में देश में पाटित किया जा रहा है और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है, जैसा कि यूरोपीय समुदाय - चीन से कतिपय लोहे या स्टील फास्टनरों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय (डब्ल्यूटी/डीएस397) में पैनेल के निष्कर्षों से स्पष्ट है। चूंकि सिगरेट बोर्ड भारत में पाटित नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- xxi. एल्युमीनियम फॉयल मामले पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों का भरोसा गलत है क्योंकि प्राधिकारी ने शुद्धिपत्र अधिसूचना के माध्यम से जांच की शुरुआत के चरण में शामिल नहीं किए गए उत्पाद को जाँच से बाहर रखा था।
- xxii. चूंकि घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित एफबीबी, अर्थात् एफबीबी के समान वस्तु का उत्पादन किया है, इसलिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) (के प्रावधानों के अंतर्गत सिगरेट बोर्ड आयातित एफबीबी के समान वस्तु नहीं हैं।
- xxiii. किसी उत्पाद प्रकार को केवल तभी बाहर रखा जा सकता है जब उसे भारत में आयात किया गया हो, किंतु घरेलू उद्योग ने उसके समान वस्तु का उत्पादन नहीं किया हो। प्राधिकारी ने कई जांचों में इसी सिद्धांत का पालन किया है। भारत में आयात नहीं किए गए उत्पादों को बाहर रखने के मामले में, प्राधिकारी को आयात होने के बाद प्रत्येक उत्पाद प्रकार के लिए अलग-अलग जांच करनी होगी।
- xxiv. चूंकि चीन जन गण के सभी निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, इसलिए यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड और एसबीएस बोर्ड भारत को निर्यात नहीं किए गए हैं।
- xxv. जाँच अवधि के बाद भारत में लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड आयात किए गए हैं।
- xxvi. लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड या एसबीएस बोर्ड को शामिल करने से चीन के निर्यातकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है क्योंकि ऐसे उत्पादकों द्वारा इसकी आपूर्ति नहीं की जा रही है और प्राधिकारी ने उनमें से प्रत्येक के लिए अलग-अलग पीसीएन बनाए हैं।
- xxvii. एफबीबी, एसबीएस और कप स्टॉक पेपरबोर्ड के लिए अलग-अलग पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xxviii. यदि विदेशी निर्यातक काफी भिन्न लागत और कीमतों वाले उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, तो हितबद्ध पक्षकारों का उनका प्रकटन करने का दायित्व है।
- xxix. लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड अलग-अलग गुण प्रदर्शित करता है और परिणामस्वरूप एफबीबी, एसबीएस और कप स्टॉक पेपरबोर्ड की तुलना में इसकी लागत और कीमत 20% - 25% अधिक होती है। इसलिए, लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड के लिए अलग पीसीएन की आवश्यकता है।

- xxx. अलग-अलग पीसीएन के दावों पर कीमत या अंतिम उपयोग के अंतर के आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। अलग-अलग पीसीएन के लिए उत्पादन लागत में अंतर दर्शाने की आवश्यकता है।
- xxxii. घरेलू उद्योग ने व्यापारिक बाज़ार में तरल पैकेजिंग सामग्री के लिए प्लास्टिक सामग्री, एल्युमीनियम या अन्य धातु से कोटेड, कोटेड या लेमिनेटेड चार या अधिक परत वाले पेपरबोर्ड का उत्पादन और बिक्री नहीं की है। इसे जाँच के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।

ख.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

7. कप स्टॉक पेपरबोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड को बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि उसने व्यापारिक बाज़ार में समान वस्तुओं का विनिर्माण और बिक्री की है। इस प्रकार, इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदन में कोटेड आर्ट बोर्ड का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए, इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं माना जाना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों ने कोटेड आर्टबोर्ड के लिए मांग-आपूर्ति अंतर का भी दावा किया। प्राधिकारी ने नोट किया है कि मांग-आपूर्ति अंतर किसी भी प्रकार के उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का औचित्य नहीं है। तथापि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन मुख्यतः पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पाद से संबंधित था। चूँकि कोटेड आर्टबोर्ड का उपयोग मुख्यतः मुद्रण उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसलिए उक्त उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी इस जाँच परिणाम पर पंहुचने का प्रस्ताव करते हैं कि मुद्रण उद्देश्यों के लिए आयातित कोटेड आर्टबोर्ड उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं है।
9. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से कप स्टॉक को बाहर करने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ग्राहकों के विनिर्देशनों के अनुसार उत्पाद प्रकार उपलब्ध नहीं कराता है और आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने अपने तर्क को पुष्ट करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त, नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या घरेलू उद्योग भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु की आपूर्ति करता है और यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग को बिल्कुल समान उत्पाद विनिर्देशनों की आपूर्ति करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे कोई अनिवार्य मानक नहीं हैं जिनका घरेलू उद्योग द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है और जो ऐसे उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करने का आधार बन सकते हैं। किसी अलग आयातक द्वारा अपेक्षित विनिर्देशन किसी उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करने का आधार नहीं है। चूँकि घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाज़ार में कप स्टॉक का उत्पादन और आपूर्ति की है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे से कप स्टॉक को बाहर करना उचित नहीं है।
10. जहाँ तक इस अनुरोध का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपेक्षित विनिर्देशनों का पालन करने के लिए डाउनस्ट्रीम उद्योग को कप स्टॉक के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि अभिलेखों में इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। किसी भी स्थिति में, डाउनस्ट्रीम उद्योग अग्रिम प्राधिकारी के अंतर्गत और बिना किसी पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए, निर्यात उद्देश्यों के लिए विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के लिए स्वतंत्र है।
11. पीई कोटेड कप स्टॉक पेपरबोर्ड को जाँच से बाहर करने के लिए मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि जाँच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद, कोटिंग के प्रकार के आधार पर उत्पादों के बीच अंतर नहीं करता है। इस प्रकार, कोटिंग की विशिष्ट प्रकृति किसी उत्पाद ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में "कोटेड और बिना कोटेड, वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड" शामिल हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि पीई कोटेड कप स्टॉक विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल है।

12. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि सिगरेट पैकेजिंग में प्रयुक्त एफबीबी को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें सिगरेट बोर्ड के समान विशेषताएं होती हैं। वैकल्पिक रूप से, सिगरेट बोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आवेदन प्रस्तुत करते समय सिगरेट बोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सिगरेट बोर्ड की विशेषताएं एफबीबी से भिन्न होती हैं और इनकी लागत और कीमत अधिक होती है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, सिगरेट बोर्ड की आयात कीमत एफबीबी की आयात कीमत से काफी अधिक है। दोनों उत्पादों की कीमत में अंतर स्वयं दर्शाता है कि उत्पाद की विशेषताओं में अंतर है जिसके कारण सिगरेट बोर्ड की कीमत अधिक होती है। चूंकि, सिगरेट बोर्ड भारत में आयात किए जाने वाले एफबीबी के समान उत्पाद नहीं हैं, इसलिए इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद की लागत, कीमत और तकनीकी मानकों में अंतर के आधार पर सिगरेट अनुप्रयोग हेतु एफबीबी को बाहर करने की आवश्यकता प्रदर्शित नहीं की है। इसके अतिरिक्त, जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा भारतीय बाजार में एफबीबी का उत्पादन और बिक्री की गई है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद का दायरा विचाराधीन उत्पाद के अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। चूंकि अंतिम उपयोग के आधार पर एफबीबी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे से इसे बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
14. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा उस उत्पाद के आधार पर परिभाषित किया गया है जिसे भारत में पाटित किया जा रहा है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सिगरेट बोर्ड अधिक कीमत पर आयात किए जा रहे हैं और इसलिए, उन्हें भारत में पाटित नहीं किया जा रहा है। ऐसे मामले में, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सिगरेट बोर्ड को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है।
15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड को जाँच से बाहर करने का अनुरोध किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि एलपीबी एक अलग उत्पाद है, इसकी कीमतें अधिक हैं और इसे संबद्ध देशों से आयात नहीं किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार, जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से 1,077 मीट्रिक टन लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड का आयात किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने पहले ही इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि उक्त उत्पाद की लागत और कीमतें अधिक हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड के लिए एक अलग पीसीएन का गठन किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने लिक्विड पैकेजिंग सामग्री के लिए प्लास्टिक सामग्री, एल्युमीनियम या अन्य धातुओं से कोटेड या लेमिनेटेड चार या अधिक परत वाले प्रसंस्कृत पेपरबोर्ड का उत्पादन और बिक्री नहीं की है। इसलिए, प्राधिकारी इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव करते हैं।
16. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विभिन्न प्रकार के वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड आवश्यक उत्पाद विशेषताओं, जैसे भौतिक, उत्पादन तकनीक, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र और उपकरण, कार्य और उपयोग, आदि के संदर्भ में तुलनीय हैं। विभिन्न श्रेणियों/प्रकारों का उद्देश्य विभिन्न अंतिम-प्रयोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करना है। उत्पाद अंतिम-प्रयोक्ता आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न होते हैं। जहाँ तक एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग का प्रश्न है, विभिन्न उत्पाद समूहों से संबंधित वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग योग्य नहीं हो सकते हैं। तथापि, ये उत्पाद जाँच के उत्पाद क्षेत्र में आते हैं क्योंकि इनमें समान व्यापक विशेषताएँ हैं।
17. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित दायरे के निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद सफेद/वर्जिन वुड पल्प से बना मल्टी-लेयर बोर्ड है, चाहे वह कोटेड हो या अनकोटेड, और इसे वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद कागज की कई परतों को एक साथ जोड़कर बनाया गया है। विचाराधीन उत्पाद पेडों के रेशों से प्राप्त पल्प से निर्मित है। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध है। विचाराधीन उत्पाद में फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी), सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस), कप स्टॉक पेपर या बोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड शामिल हैं, ये सभी 140 से 450 जीएसएम की रेंज में हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- i. पुनर्चक्रित/भूरे रंग के पल्प या फाइबर से बने पेपरबोर्ड, जिन्हें आवेदन में शामिल नहीं किया गया है।
- ii. कोटेड/अनकोटेड सिगरेट बोर्ड
- iii. मुद्रण प्रयोजनों के लिए आयात किए जाने पर दोनों ओर कोटेड आर्टबोर्ड।
- iv. पैकेजिंग सामग्री के लिए प्लास्टिक सामग्री, एल्यूमीनियम या अन्य धातु से कोटेड, बिना कोटेड या लेमिनेटेड चार या अधिक परत वाला पेपरबोर्ड।

18. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के लिए निम्नलिखित पीसीएन तैयार किया है और हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद पीयूसी के दायरे का पता लगाने के निर्णय की सूचना दी गई। प्राधिकारी ने दो मौखिक सुनवाईयों कीं और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विस्तार से सुनवाई की। हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जाँच के बाद, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे का निर्णय लिया है। चूँकि सिगरेट बोर्ड, लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड, अर्थात् चार या अधिक परतों वाले पेपरबोर्ड, चाहे वे प्लास्टिक सामग्री से कोटेड हों, अनकोटेड हों या लेमिनेटेड हों, लिक्विड पैकेजिंग सामग्री के लिए एल्यूमीनियम या अन्य धातु से, दो तरफ कोटेड आर्टबोर्ड, और पुनर्चक्रित पल्प से बने पेपरबोर्ड, जाँच के दायरे से बाहर हैं, इसलिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया गया है और उस पर विचार किया गया है:

क्र.सं.	उत्पाद प्रकार	कोड
1	सालिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड	एसबीएस
2	फोल्डिंग बाक्स बोर्ड	एफबीबी
3	कप स्टॉक	सीयूएस
4	लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड	एलपीबी
5	अन्य	अन्य

19. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 48 के अंतर्गत एचएस कोड 4805 9100, 4805 9200, 4805 9300, 4810 9200 और 4810 9900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने बताया है कि उत्पाद का आयात 32 एचएस कोडों के अंतर्गत किया जा रहा है, जिनमें शीर्ष 4802, 4805, 4810, 4811 और 4819 शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का आयात मुख्यतः 4805 और 4810 के अंतर्गत किया जा रहा है। तदनुसार, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ इन पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा एवं स्थिति

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

21. घरेलू उद्योग के दायरे एवं स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड ने व्यापार सूचना 13/2018 के अनुसार आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी आँकड़े गोपनीय बताए गए हैं। यद्यपि समर्थक ने कॉपियर पेपर के आयात की पाटनरोधी जाँच में संपूर्ण आँकड़े उपलब्ध कराए थे, परंतु वर्तमान मामले में वह ऐसा करने में विफल रहा है। व्यापार सूचना के अनुपालन में विफलता के कारण, समर्थन के दावे को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

- ii. यह दावा कि समर्थक की भारतीय उत्पादन में 2.5% हिस्सेदारी है, गलत है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार, संबद्ध वस्तुओं और गैर-संबद्ध वस्तुओं की क्षमता और उत्पादन में समर्थक की हिस्सेदारी 2.5% नहीं बल्कि 15% से अधिक है।
- iii. अन्य घरेलू उत्पादक की बिक्री में गिरावट आई है, किंतु उसने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है।

ग.2. घरेलू उद्योग के विचार

- 22. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. वर्तमान जाँच की शुरुआत के लिए आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से इंडियन पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
 - ii. आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड, इमामी पेपर्स मिल्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, जेके पेपर लिमिटेड और तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड ने वर्तमान जाँच के लिए संपूर्ण आँकड़े उपलब्ध कराए हैं।
 - iii. भारत में समान वस्तु का केवल एक अन्य घरेलू उत्पादक, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, है। उक्त उत्पादक ने वर्तमान जाँच का समर्थन किया है।
 - iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के विपरीत, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड ने व्यापार सूचना 4/2021 के अनुसार पूर्ण समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है। किसी भी स्थिति में, नियमावली के अनुसार, समर्थक को आवेदन के समर्थन में कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
 - v. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कंपनी द्वारा उत्पादित सभी उत्पादों के लिए है, न कि केवल संबद्ध वस्तुओं के लिए। समर्थक ने स्वयं अपने समर्थन पत्र में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है।
 - vi. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक या निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबंधित नहीं हैं।
 - vii. आवेदक घरेलू उत्पादक भारत में कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा हैं और वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 23. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“(ख) ‘‘घरेलू उद्योग’’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ‘‘घरेलू उद्योग’’ शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।”
- 24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच शुरू करने के लिए आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से इंडियन पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (‘‘आईपीएमए’’) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आवेदक एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विस्तृत आँकड़े उपलब्ध कराए हैं।
 - i. आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड
 - ii. इमामी पेपर्स मिल्स लिमिटेड
 - iii. जेके पेपर लिमिटेड
 - iv. आईटीसी लिमिटेड

v. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल एक अन्य घरेलू उत्पादक, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड ने वर्तमान जाँच में एक समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है।
26. इस अनुरोध के संबंध में कि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड ने व्यापार सूचना 13/2018 के अनुसार समर्थन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समर्थक ने व्यापार सूचना 4/2021 के अनुसार पूरी जानकारी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि जानकारी वार्षिक रिपोर्टों से मेल नहीं खाती, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि वार्षिक रिपोर्ट कंपनी द्वारा निर्मित सभी उत्पादों से संबंधित हैं, समर्थन पत्र में प्रदान की गई जानकारी केवल संबद्ध वस्तुओं से संबंधित है।
27. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं हैं।
28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उत्पादक भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 98% हिस्सा बनाते हैं और साथ ही, वे भारत में कुल घरेलू उत्पादन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उत्पादक भारत में घरेलू खपत का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और इस प्रकार, इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक घरेलू उत्पादक, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

29. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध दी गई हैं:
 - i. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उसने विक्री कीमत, प्रति इकाई पीवीआईटी, कुल पीवीआईटी, कीमतहास, नियोजित पूंजी, निवल अचल संपत्ति और कार्यशील पूंजी के समग्र आंकड़ों के बजाय रुझान दिए हैं।
 - ii. समर्थन पत्र में वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए सभी आंकड़ों को गोपनीय बताया गया है।

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

30. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध दी गई हैं।
 - i. आयातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि वे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से जुड़ी इकाइयों और शेयरधारिता संरचनाओं का प्रकटन करने में विफल रहे हैं।
 - ii. निर्यातकों ने व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है और अपने कॉर्पोरेट ढांचे और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री की जानकारी साझा करने में विफल रहे हैं।
 - iii. अन्य हितबद्ध पक्षकार प्रस्तुत की गई जानकारी का अगोपनीय सारांश प्रदान करने में विफल रहे हैं।
 - iv. वित्तीय और संविदात्मक संबंधों, संयुक्त उद्यमों के साथ-साथ कारखानों के विवरण को गोपनीय बताया गया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग इस पर उचित टिप्पणी करने में असमर्थ है।

- v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारत में प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कुछ अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं जिन्हें गोपनीय बताया गया है। ऐसी गोपनीयता के कारण, घरेलू उद्योग अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है।
- vi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, समर्थन पत्र में दी गई जानकारी एक व्यक्तिगत उत्पादक से संबंधित है, जिसका प्रकटन प्रतिस्पर्धियों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाला होगा और बाज़ार में उत्पादक के हित को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। यहाँ तक कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी ऐसी जानकारी प्रदान नहीं की है।
- vii. निष्पक्ष तुलना के लिए किए गए व्यय और समायोजन हेतु दावा किए गए व्यय का प्रकटन किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यय प्राधिकारी के निष्कर्षों में दर्ज हैं।
- viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कुल बिक्री कीमत अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा की गई है। कुल लाभ संबंधी जानकारी संवेदनशील जानकारी है जिसका उपयोग लागत संबंधी जानकारी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, जिसके प्रकटन से भविष्य की बातचीत में प्रयोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ होगा और घरेलू उत्पादकों के हित प्रभावित होंगे।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 31. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ भी आवश्यक हो, स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। गोपनीयता के संबंध में पक्षकारों के तर्कों की भी नीचे जाँच की गई है।
- 32. इस अनुरोध के संबंध में कि समर्थक ने समर्थन पत्र में दी गई किसी भी जानकारी का प्रकटन नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समर्थक द्वारा प्रदान की गई जानकारी केवल एक ही उत्पादक की जानकारी है। ऐसी जानकारी के प्रकटन से बाज़ार में उक्त उत्पादक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः, ऐसे गोपनीयता के दावों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव है।
- 33. इस अनुरोध के संबंध में कि अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने उत्तरों में कतिपय जानकारी का प्रकटन करने में विफल रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने द्वारा दावा की गई गोपनीयता को उचित ठहराया है। इसके अतिरिक्त, ऐसी जानकारी का प्रकटन न करने से घरेलू उद्योग के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है।
- 34. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने लागत और कीमत निर्धारण संबंधी जानकारी के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 8 अप्रैल 2025 को याचिका का संशोधित अगोपनीय अंश परिचालित किया है और घरेलू बिक्री कीमत तथा निर्यात कीमत के संबंध में जानकारी का प्रकटन किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि लाभप्रदता संबंधी जानकारी के प्रकटन से आवेदकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे लागत और लाभप्रदता संबंधी जानकारी का भी प्रकटन होगा। प्राधिकारी इस संबंध में घरेलू उद्योग के गोपनीयता संबंधी दावों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करते हैं।

ड. विविध अनुरोध

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।

- i. नियम 4, जो कमतर शुल्क नियम निर्धारित करता है, के अनुसार पाटनरोधी शुल्क उपचारात्मक होना चाहिए, दंडात्मक नहीं। घरेलू उद्योग पहले ही एमआईपी लगाने के लिए आवेदन कर चुका है। चूँकि एमआईपी और पाटनरोधी शुल्क दोनों का उद्देश्य आयात कीमत को क्षति स्तर से ऊपर रखना है, इसलिए न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) लगाने से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति निष्प्रभावी हो जाएगी। ऐसे मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाना कमतर शुल्क नियम का उल्लंघन होगा। यदि जाँच के दौरान एमआईपी लगाया जाता है, तो वर्तमान जाँच समाप्त कर दी जानी चाहिए।
- ii. आईक्यूआर को उचित समय-सीमा के भीतर परिचालित किया गया है। परिचालित करने का अनुरोध करने वाली अधिसूचना में अनुरोध परिचालित करने की कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। चूँकि घरेलू उद्योग के पास आईक्यूआर पर टिप्पणी करने के लिए 2.5 महीने का समय था, इसलिए उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

ड.2. घरेलू उद्योग के विचार

36. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के विपरीत, उद्योग ने वर्तमान मामले में जाँच अवधि के बाद कीमतों में और गिरावट और उस अवधि में इंडोनेशिया से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण एमआईपी लगाने के लिए आवेदन किया है। इंडोनेशिया वर्तमान जाँच में संबद्ध देश नहीं है।
- ii. जिन प्रतिक्रियाओं को समय पर परिचालित नहीं किया गया, उन्हें प्राधिकारी द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए और स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

37. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने भी एमआईपी के लिए आवेदन किया है, वर्तमान जाँच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच का उद्देश्य यह जाँच करना है कि क्या संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटन किया जा रहा है, क्या इस पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति से निपटने के लिए पाटनरोधी शुल्क की कितनी राशि पर्याप्त होगी। एमआईपी का उद्देश्य पाटन के रूप में अनुचित व्यापार व्यवहार की जाँच करना नहीं है। इसके अतिरिक्त, जबकि वर्तमान जाँच केवल दो देशों के विरुद्ध है, एमआईपी भारत में कुल आयातों पर लगाया जाता है। एमआईपी लगाना एक कार्यकारी निर्णय है, जबकि पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश एक अर्ध-न्यायिक कार्रवाई है। इस प्रकार, एमआईपी और पाटनरोधी शुल्क के लिए निर्णयों का उद्देश्य और प्रकृति भिन्न है। चूँकि संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटन किया जा रहा है और इस पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, इसलिए वर्तमान जाँच को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है, चाहे एमआईपी लगाया गया हो या नहीं।

38. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आयातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तरों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें समय पर परिचालित नहीं किया गया था। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार उत्तर परिचालित नहीं किए गए थे और उनका अगोपनीय अंश बाद में घरेलू उद्योग को प्रदान किया गया था। तथापि, ऐसे उत्तरों के विलंब से परिचालित होने से घरेलू उद्योग के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास उन पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय था।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

39. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- i. निर्यात कीमत के लिए आवेदक का दावा गलत है क्योंकि दावा किए गए समायोजन के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है।
- ii. एपीपी समूह ने वर्तमान जाँच में पूर्ण सहयोग किया है और मार्जिन का निर्धारण समूह कंपनियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर किया जाना चाहिए।
- iii. एपीपी समूह ने अपनी सभी संबद्धताएँ सूचित की हैं और इसलिए, एक पूर्ण उत्तर प्रदान किया है।

च .2. घरेलू उद्योग के विचार

40. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
 - i. कार्टुलिनास सीएमपीसी एसपीए ने उत्तर का अगोपनीय अंश विलंब से परिचालित किया, जिसके कारण घरेलू उद्योग को सार्थक अनुरोध देने का अवसर नहीं मिल पाया। इस तरह के उत्तर की अनदेखी की जानी चाहिए।
 - ii. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) (के अनुसार चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण एडी नियमावली के अनुबंध I, नियम 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।
 - iii. चूँकि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) (के प्रावधान अभी भी लागू हैं, इसलिए चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह दर्शाना आवश्यक है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ प्रचलित हैं।
 - iv. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण आवेदक घरेलू उत्पादकों की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ-साथ उचित लाभ मार्जिन को भी समायोजित किया गया है।
 - v. आवेदक के पास चिली में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। चूँकि उत्पाद के लिए कोई समर्पित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है, इसलिए संबद्ध देश में आयात या संबद्ध देश से निर्यात की कीमत नहीं ली जा सकती। संबद्ध देश में उत्पादन लागत के संबंध में जानकारी घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।
 - vi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत की सटीकता की जाँच की जा सकती है। चूँकि विदेशी उत्पादकों ने भाग लिया है, इसलिए प्राधिकारी उनके आँकड़ों का सत्यापन कर सकते हैं और जो अधिक सटीक हो उसे अपना सकते हैं।
 - vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विरोधाभासी अनुरोध किए हैं क्योंकि उत्पादकों और निर्यातकों ने घरेलू बाज़ार में बिक्री और भारत को निर्यात पर हुए व्यय का प्रकटन नहीं किया है और उचित तुलना के लिए समायोजन हेतु "लागू नहीं" बताया है।
 - viii. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

च .3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

41. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

- i. बोफेंग ग्रुप होल्डिंग्स (हांगकांग) लिमिटेड
- ii. गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
- iii. गुआंगशी जिंगुई पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
- iv. जियांगसू बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- v. निंग्बो एशिया पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
- vi. निंग्बो एशिया अनपॉल्यूटेड पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
- vii. शेडोंग बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- viii. कार्टुलिनास सीएमपीसी एसपीए

च .4. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

च .4.1. चीन गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

43. विश्व व्यापार संगठन में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

- (क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयाँ हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहाँ व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
44. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदकों द्वारा यह बताया गया है कि यदि प्रतिवादी चीन के उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
45. वर्तमान मामले में किसी भी नमूना उत्पादकों ने बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें निम्नानुसार वर्णन है।
- "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहाँ यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन

उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी। "

46. आवेदक ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 में सूचीबद्ध आधारों के अलावा कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बन सके। इसलिए, प्राधिकारी ने आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित, भारत में देय कीमत के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

च .4.2. चीन जन गण के लिए निर्यात कीमत

निंग्बो एशिया पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड ("एनएपीपी"), गुआंगशी जिंगुई पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड ("जीजेपी"), निंग्बो एशिया अनपॉल्यूटेड पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ("एनएयूपी"), शांदोंग बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ("एसडीबीएच") और जियांग्सू बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ("जेएसबीएच") के लिए निर्यात कीमत

47. एनएपीपी, जीजेपी, एनएयूपी, एसडीबीएच और जेएसबीएच (जिन्हें सामूहिक रूप से "एपीपी समूह" कहा जाता है) ने संबंधित निर्यातकों गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड ("जीईएचके") और बोफेंग ग्रुप होल्डिंग्स (एचके) लिमिटेड ("बीएफएचके") के माध्यम से जांच अवधि के दौरान भारत को *** मीट्रिक टन वस्तुएँ निर्यात कीं। एपीपी समूह के कुल निर्यात में से, एनएपीपी ने जीईएचके के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन वस्तुएँ निर्यात कीं; जीजेपी ने जीईएचके के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन वस्तुएँ निर्यात कीं; एनएयूपी ने जीईएचके के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है; एसडीबीएच ने बीएफएचके के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और जेएसबीएच ने बीएफएचके के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

एनएपीपी□ → जीईएचके□ → भारत में असंबंधित ग्राहक

जीजेपी□ → जीईएचके□ → भारत में असंबंधित ग्राहक

एनएयूपी□ → जीईएचके → □ भारत में असंबंधित ग्राहक

एसडीबीएच□ → बीएफएचके → भारत में असंबंधित ग्राहक

जेएसबीएच□ → बीएफएचके□ → भारत में असंबंधित ग्राहक

48. उपर्युक्त सभी निर्यातकों और व्यापारियों ने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जीईएचके और बीएफएचके ने एपीपी समूह के संबंधित उत्पादकों के साथ करार किए हैं, जिसमें [***]। तदनुसार, प्राधिकारी ने पहले असंबंधित ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। उत्पादक और निर्यातकों ने समुद्री भाड़ा, बीमा, छूट, अंतर्देशीय भाड़ा, कमीशन, बैंक शुल्क और ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया था। डेस्क सत्यापन के बाद इन्हें अनुमति दे दी गई है। भारत में असंबंधित ग्राहक से ली गई कीमत के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

चीन जनवादी गणराज्य में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

49. चीन जनवादी गणराज्य के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च .4.3. चिली के लिए सामान्य मूल्य

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्टुलिनास सीएमपीसी एसपीए, जो चिली में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है, द्वारा एक उत्तर प्रस्तुत किया गया है। तथापि, कार्टुलिनास सीएमपीसी एसपीए द्वारा प्रस्तुत उत्तर अपूर्ण है और उक्त उत्पादक कई परिशिष्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसके अलावा, उत्पादक द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट अपूर्ण हैं। प्राधिकारी ने उक्त उत्पादक को 28 अगस्त 2025 को कमियाँ जारी कीं। तथापि, निर्धारित अवधि के भीतर उक्त उत्पादक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार, प्राधिकारी प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करने और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं।

चिली में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

51. चिली के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च .4.4.चिली के लिए निर्यात कीमत

52. चिली के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च .5.पाटन मार्जिन

53. ऊपर यथा प्रदत्त परिकलित सामान्य मूल्य और यथा निर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन इस प्रकार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	निर्माता का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(अम डा/एमटी)	(अम डा/एमटी)	(अम डा/एमटी)	(%)	(रेंज)
क	चीन जन गण					
1	निंगबो एशिया पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड ("एनएपीपी")	***	***	***	***	25-35%
	गुआंगशी जिंगुई पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड ("जीजेपी"),					
	निंगबो एशिया अनपॉल्यूटेड पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ("एनएयूपी"),					
	शांडोंग बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ("एसडीबीएच")					
	जियांगसू बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ("जेएसबीएच")					
2	अन्य उत्पादक	***	***	***	***	65-75%
ख	चिली					
3	सभी उत्पादक	***	***	***	***	15-25%

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन**छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

54. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- घरेलू उद्योग ने क्षति के खतरे या संभावना का दावा नहीं किया है। वर्तमान जाँच केवल वास्तविक क्षति तक ही सीमित होनी चाहिए।
 - घरेलू उद्योग दो प्रकार के एफबीबी का उत्पादन करता है, अर्थात् प्राकृतिक सफेद फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड और नीले सफेद फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड। एपीपी समूह नीले सफेद एफबीबी की आपूर्ति नहीं करता है और इसलिए, दावा की गई किसी भी क्षति को संबंधित आयात के कारण नहीं माना जाना चाहिए।
 - आईटीसी द्वारा सेंचुरी पल्प एंड पेपर का अधिग्रहण उद्योग की वित्तीय मजबूती को दर्शाता है और वास्तविक क्षति के दावों के साथ असंगत है।
 - 21-2020 और 2021-22 में आयात की मात्रा कोविड-19 और उसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से प्रभावित हुई। इस अवधि के दौरान, मात्रा कम थी, और तुलनात्मक प्रवृत्ति बाद के वर्षों में वृद्धि दर्शाती है। आयातों की 2018-19 की तुलना में जाँच की जानी चाहिए।
 - पहुँच कीमत केवल बिक्री लागत से कम है क्योंकि उच्च ब्याज और कीमतहास लागत ने घरेलू उद्योग की लागत बढ़ा दी है।
 - कीमत प्रभाव की पीसीएन आधार पर जाँच की जानी चाहिए।
 - घरेलू उद्योग की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप रही हैं।
 - घरेलू उद्योग को कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में परिवर्तन आया है। यह इष्टतम क्षमता उपयोग पर भी कार्य कर रहा है।
 - सेंचुरी और आईटीसी ने अन्य सार्वजनिक रिपोर्टों और वार्षिक रिपोर्टों में अलग-अलग क्षमताओं की सूचना दी है। सार्वजनिक रूप से बताई गई क्षमता सूचित क्षमता से मेल नहीं खा रही है।
 - दावा की गई क्षति अतिरंजित है क्योंकि घरेलू उद्योग के लिए सार्वजनिक/निवेशक अनुरोध पेपरबोर्ड खंड में बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि दर्शाती हैं।
 - इसके अलावा, बिक्री में मांग में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि आयात मांग में वृद्धि द्वारा खपत कर लिया गया है और इसका घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
 - यह क्षति निर्यात बिक्री और निजी उपभोग में गिरावट के कारण हुई है, जिसे संबद्ध आयातों के कारण नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि मालसूची में वृद्धि भी निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण हुई है।
 - मालसूची में वृद्धि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई है।
 - कर्मचारियों की संख्या, वेतन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण वेतन और मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
 - क्षमता में वृद्धि की तुलना में ब्याज लागत और कीमतहास में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है।
 - सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार, नियोजित पूंजी पर आय %21.1 है। यह कोविड-पूर्व स्तर से अधिक है।
 - आयात के अलावा अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है, जैसे मांग में गिरावट, बढ़ी हुई क्षमता के कारण अधिक आपूर्ति और पुनर्नवीनीकृत पेपरबोर्ड के प्रति बढ़ती प्राथमिकता।
 - गैर-संबद्ध देशों से आयात कीमत, संबद्ध देशों से आयात कीमतों से कम हैं।
 - आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण 2021-22 और 2022-23 में आयात कीमतों में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग को हुई क्षति, मांग में वृद्धि की प्रत्याशा में किए गए क्षमता विस्तार के कारण होने वाली उच्च स्थिर लागतों के कारण हुई है।

- xx. जेके पेपर्स द्वारा दावा किया गया है कि लाल सागर संकट के परिणामस्वरूप लुगदी की कीमतों और मालभाड़ा लागत में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हुई है। चीन के उत्पादकों को इस तरह के व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ा, जो वैश्विक कीमत उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं हुए।
- xxi. उच्च कीमतह्रास और ब्याज लागतों के कारण इसकी क्षति-रहित कीमत प्रभावित हुई है। इसे समायोजित किया जाना चाहिए।
- xxii. नियोजित पूंजी और निवल अचल संपत्तियों में परिवर्तन स्थापित क्षमता के अनुपात में नहीं है। प्राधिकारी को क्षति-रहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से इसका सत्यापन करना चाहिए।

छ. .2 घरेलू उद्योग के विचार

55. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, जबकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारण पीसीएन के आधार पर किया जा सकता है, सभी पीसीएन के लिए अलग-अलग क्षति जाँच नहीं की जा सकती है। समान वस्तु के लिए समग्र रूप से क्षति का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
- ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, विभिन्न उत्पाद प्रकारों के लिए अलग-अलग क्षति जाँच नहीं की जा सकती है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राकृतिक सफेद फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड और नीले-सफेद फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड की लागत और कीमत में कोई अंतर नहीं बताया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एफबीबी, संबद्ध देशों से आयातित एफबीबी से तुलनीय है।
- iii. एक ही मशीन और उपकरण पर विभिन्न रंगों के एफबीबी का उत्पादन किया जा सकता है। निर्यातकों के दावे के विपरीत, ब्लश व्हाइट एफबीबी का आयात चीन से किया गया है।
- iv. क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा समग्र और सापेक्ष रूप से बढ़ी है। उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध आयात दोगुना हो गया है।
- v. आयात की मात्रा में वृद्धि की दर मांग की दर में वृद्धि से अधिक है।
- vi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, संबद्ध आयातों में 2018-19 की तुलना में वृद्धि हुई है।
- vii. आयात की मात्रा में मांग में वृद्धि से अधिक वृद्धि हुई है। आयात की मात्रा 2022-23 से भी बढ़ी है, जिस पर किसी भी कोविड संबंधी व्यवधान का प्रभाव नहीं पड़ा था।
- viii. संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में गिरावट आई है। पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है। यह आयातों में वृद्धि के साथ मेल खाता है, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- ix. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, जिसके कारण संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ गया है।
- x. घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत नहीं बढ़ा पाया है। बिक्री लागत में 37% की वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री कीमत में केवल 19% की वृद्धि हुई है।
- xi. घरेलू उद्योग को आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जाँच अवधि के दौरान अपनी कीमतों को अपनी लागत से कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, संबद्ध आयातों की कीमत गैर-संबद्ध देशों से आयातों की कीमत से कम थी। जबकि अन्य आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक थीं, संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी।
- xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत घरेलू कीमतों से अधिक है। घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजार में अधिक लाभ अर्जित किया है।
- xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, यदि उत्पादन लागत से कीमतह्रास और ब्याज को हटा दिया जाए, तो भी पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की लागत के बराबर है।

- xv. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत और पहुँच कीमत के बीच अंतर में कमी आई है।
- xvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षमताओं के संबंध में आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड की पुरानी रिपोर्टों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी रिपोर्ट की गई क्षमताओं का सत्यापन कर सकते हैं।
- xvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आईटीसी लिमिटेड की क्षमताओं पर किए गए अनुरोधों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- xviii. आवेदकों की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए विवरण केवल समान वस्तु से संबंधित नहीं हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- xix. यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, यह आयातों के कारण कीमतों में कमी के कारण है। मात्रा मापदंडों को बनाए रखने के लिए, घरेलू उद्योग ने अपनी लाभप्रदता से समझौता किया है।
- xx. घरेलू उद्योग के निर्यात से घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने की उसकी क्षमता बाधित नहीं होगी क्योंकि क्षति अवधि में अपने उच्चतम निर्यात पर भी, घरेलू उद्योग ने निर्यात के लिए अपनी क्षमता का केवल 10% ही उपयोग किया। यदि घरेलू उद्योग का निर्यात दोगुना भी हो जाता है, तो भी घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- xxi. घरेलू उद्योग को स्पष्ट मात्रात्मक क्षति का सामना करना पड़ा है क्योंकि घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में 67% की वृद्धि हुई है।
- xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, निर्यात में गिरावट के कारण मालसूची में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि मालसूची में वृद्धि घरेलू उद्योग के निर्यात में गिरावट से कहीं अधिक है।
- xxiii. क्षमता में वृद्धि के कारण कर्मचारियों, वेतन और मजदूरी में वृद्धि हुई है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी मानदंड घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाएं।
- xxiv. यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री पर अनुरोध प्रस्तुत किए हैं, घरेलू उद्योग के कीमत मानदंडों में गिरावट क्षति का प्रमाण है।
- xxv. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ में 113% की गिरावट आई है। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है।
- xxvi. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभ और निवेश पर आय में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- xxvii. घरेलू उद्योग द्वारा पल्प संयंत्रों की स्थापना के कारण स्थिर लागत, व्याज और कीमतहास व्यय में वृद्धि हुई है। चूँकि व्यय आबद्ध इनपुट से संबंधित हैं, इसलिए इसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे बड़े हुए व्यय को लाभ में समायोजित भी कर दिया जाए, तो भी घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- xxviii. आईटीसी द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थिर लागत और कीमतहास में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है।
- xxix. अन्य हितबद्ध पक्षकार क्षति अवधि के दौरान कोविड-19 के प्रभाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, जिसके लिए 2018-19 से आयात मात्रा की तुलना आवश्यक होगी।
- xxx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कई आवेदकों के पास लुगदी संयंत्र हैं और वे मालभाड़ा लागत में परिवर्तन से अप्रभावित हैं।
- xxxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत अनुबंध III के प्रावधानों के अनुसार और जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।

छ. .3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 56. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की जाँच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

57. इस अनुरोध के संबंध में कि चूँकि एपीपी समूह ब्लूइश व्हाइट एफबीबी की आपूर्ति नहीं करता है, जिसकी आपूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा की जाती है, इसलिए ऐसे आयातों के कारण कोई क्षति नहीं मानी जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए किया जाता है, न कि विचाराधीन उत्पादों के ग्रेड या प्रकार के लिए। इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे उत्पाद के संबंध में या ऐसे उत्पाद के लिए किसी भिन्न पीसीएन पर विचार करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है। ऐसे उत्पाद की लागत और कीमत निर्यातक द्वारा आपूर्ति किए गए एफबीबी की लागत और कीमत से भिन्न नहीं है। इसके अतिरिक्त, दोनों उत्पाद एक ही लाइन पर निर्मित होते हैं और एफबीबी की श्रेणी में आते हैं। प्राधिकारी ने समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति विश्लेषण किया है।
58. इस अनुरोध के संबंध में कि आईटीसी द्वारा सेंचुरी पल्प एंड पेपर का अधिग्रहण उद्योग की वित्तीय मजबूती को दर्शाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्वामित्व में उक्त परिवर्तन जाँच अवधि के बाद का घटनाक्रम है और जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, चूँकि संबद्ध वस्तुओं के एक विनिर्माता ने दूसरे विनिर्माता का अधिग्रहण कर लिया है, इसलिए ऐसे सौदे के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

छ. .3.1 क्षति का संचयी मूल्यांकन

59. विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में प्रावधान है कि यदि किसी उत्पाद का एक से अधिक देशों से आयात एक साथ पाटनरोधी जाँच के अधीन है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेंगे, यदि उनमें यह निर्धारित होता है कि:
- क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहाँ अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहाँ आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है, और
- ख. आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।
60. वर्तमान मामले में, प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद में परस्पर तुलनीय विशेषताएँ हैं और इनका उपयोग समान अनुप्रयोगों के लिए और समान ग्राहक वर्ग द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार, संबद्ध आयात भारतीय बाजार में परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
61. इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निम्नलिखित कारणों से जाँच में क्षति का संचयी मूल्यांकन करना उचित होगा।
- क. संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ग. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% से अधिक है।
- घ. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल प्रत्येक संबद्ध देश से आयात के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

छ. 3.2. पाटित आयातों का परिमाण प्रभाव**क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन**

62. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	एमटी	709,090	885,818	1,026,508	1,142,659
अन्य उत्पादकों की बिक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	110	89
संबद्ध आयात	एमटी	34,005	17,180	62,945	102,581
चिली	एमटी	13,943	1,279	4,277	13,292
चीन	एमटी	20,062	15,901	58,668	89,289
अन्य आयात	एमटी	38,184	39,998	71,707	52,600
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
कुल मांग	सूचीबद्ध	100	121	147	163

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

64. आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयात में, समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात की मात्रा निम्नलिखित थी:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	34,005	17,180	62,945	102,581
चिली	एमटी	13,943	1,279	4,277	13,292
चीन	एमटी	20,062	15,901	58,668	89,289
अन्य आयात	एमटी	38,184	39,998	71,707	52,600
कुल आयात	एमटी	72,189	57,178	134,652	155,181
निम्न के संबंध में आयात					
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	38	126	199
खपत (आबद्ध को छोड़कर)	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	42	126	186
कुल आयात	%	47%	30%	47%	66%

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- i. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।
 - ii. उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
 - iii. भारत में होने वाले आयातों में अधिकांश हिस्सा संबद्ध देशों से आयात का है।
66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में 63 %की वृद्धि हुई है, वहीं संबद्ध आयात में क्षति अवधि के दौरान 202% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, संबद्ध आयात में भारत में मांग में वृद्धि की दर से कहीं अधिक दर से वृद्धि हुई है।
67. इस अनुरोध के संबंध में कि आयात में वृद्धि केवल कोविड-19 के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण हुई है और आयात में वृद्धि 2018-19 से देखी जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने 2018-19 और 2019-20 में आयात के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जाँच अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में 2018-19 और 2019-20 की तुलना में भी वृद्धि हुई है। किसी भी स्थिति में, जाँच अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में 2022-23 की तुलना में भी वृद्धि हुई है, जिस पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

छ. .3.3पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

68. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या कथित आयातों के कारण भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में कीमत में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में कटौती करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य रूप में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जाँच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

क) कीमत कटौती

69. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच कीमत के साथ की गई है। इस संबंध में, व्यापार के समान स्तर पर, सभी छूटों और करों को घटाकर, उत्पाद के पहुँच कीमत और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है।

विवरण	यूनिट	चीन जन गण	चिली	संबद्ध देश
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***
पहुँच कीमत	रु./एमटी	66,989	59,274	65,989
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10%	10-20%	0-10%

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं। सभी संबद्ध देशों से कीमतों में कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में काफी अधिक ह्रास कर रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना है या कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य रूप से बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की जाँच की है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	138	134

बिक्री कीमत	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	142	119
पहुँच कीमत	र./एमटी	61,913	80,870	91,631	65,989
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	148	107

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है, बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में बहुत कम हुई है। क्षति अवधि के दौरान पहुँच कीमत में भी वृद्धि हुई है, तथापि, पहुँच कीमत में वृद्धि बहुत कम है, जिसके कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर पाया है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई है, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट की तुलना में बहुत अधिक हुई है। पहुँच कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है और यह गिरावट विगत वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में बिक्री लागत में गिरावट की तुलना में अधिक दर से हुई है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों में हास किया है और उन्हें न्यूनीकृत कर दिया है।

छ.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

73. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के अनुसार, क्षति के निर्धारण में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होगी। संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जाँच की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

74. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	1,480,000	1,515,863	1,690,000	1,690,000
उत्पादन (पी यू सी + एन पी यू सी)	एमटी	1,255,176	1,522,944	1,591,201	1,668,701
क्षमता उपयोग	%	85%	100%	94%	99%
उत्पादन (पी यू सी)	एमटी	818,894	1,083,054	1,214,499	1,265,886
घरेलू बिक्रियाँ	एमटी	709,090	885,818	1,026,508	1,142,659
निर्यात बिक्रियाँ	एमटी	90,165	148,595	112,604	77,318

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है।
- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन के साथ-साथ घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है।
- जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग इष्टतम क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है।

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कम कीमत वाले आयातों में वृद्धि के कारण, घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन और बिक्री को बनाए रखने के लिए लाभप्रदता को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
77. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री कुल उत्पादन का केवल 0-10% है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग का मुख्य ध्यान घरेलू बाजार पर है और निर्यात बिक्री में कोई भी गिरावट घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं है।
78. इस अनुरोध के संबंध में कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना में आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड और आईटीसी द्वारा बताई गई क्षमता वर्तमान जाँच में बताई गई क्षमता से भिन्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों की क्षमताओं का सत्यापन किया जा चुका है और सत्यापित सूचना ऊपर दी गई तालिका में प्रदान की गई है।

ख) बाजार हिस्सा

79. आयात और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	87%	89%	85%	86%
अन्य उत्पादक की बिक्री	%	5%	5%	3%	3%
संबद्ध आयात	%	4%	2%	5%	8%
अन्य आयात	%	5%	4%	6%	4%

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 और जाँच अवधि में थोड़ी कम हुई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में सक्षम रहा है क्योंकि उसने अपने उत्पादन और बिक्री को बनाए रखने के लिए लाभप्रदता में कमी की है।

ग) मालसूची

81. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
आरंभिक मालसूची	एमटी	34,830	27,061	28,186	48,699
अंतिम मालसूची	एमटी	23,831	28,186	48,699	49,318
औसत मालसूची	एमटी	29,330	27,623	38,442	49,009

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के मालसूची में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता से समझौता किया है और संबद्ध वस्तुओं को घाटे पर बेचा है, फिर भी घरेलू उद्योग को मालसूची के संचय के कारण नुकसान हुआ है।
83. इस अनुरोध के संबंध में कि मालसूची में वृद्धि घरेलू उद्योग के निर्यात में गिरावट के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में 19,678 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, जबकि निर्यात में केवल 12,847 मीट्रिक टन की गिरावट आई है। इस प्रकार, मालसूची में वृद्धि निर्यात में गिरावट से कहीं अधिक है। इस प्रकार, मालसूची में वृद्धि निर्यात में गिरावट के कारण नहीं है।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

84. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	138	134
बिक्री कीमत	रु./एमटी	57,480	68,344	81,634	68,532
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	142	119
लाभ/(घाटा)	रु./एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	187	174	-11
लाभ/(घाटा)	लाख रु.	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	233	251	-17
पीवीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	203	242	30
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	201	236	39
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	127	15

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा था, परंतु जांच अवधि के दौरान उसे वित्तीय घाटा हुआ है।
- नकद लाभ में भी यही प्रवृत्ति रही है और जांच अवधि के दौरान इसमें भारी गिरावट आई है।
- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में भी भारी गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ने ***% का नगण्य आय अर्जित की है।

86. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के ब्याज कवरेज अनुपात में भारी गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ, घरेलू उद्योग के ब्याज दायित्व को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
पीवीआईटी	लाख रुपये	***	***	***	***
पीवीआईटी	सूचीबद्ध	100	203	242	30
ब्याज	लाख रुपये	***	***	***	***
ब्याज	सूचीबद्ध	100	84	205	221
ब्याज कवरेज अनुपात	समय	***	***	***	***
ब्याज कवरेज अनुपात	सूचीबद्ध	100	242	118	14

87. इस निवेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग की ब्याज लागत और मूल्यहास, क्षमता वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया है, प्राधिकरण नोट करता है कि ब्याज लागत और मूल्यहास का प्राधिकरण द्वारा सत्यापन किया गया है। ब्याज लागत और मूल्यहास में वृद्धि कैपिटल इनपुट के लिए संयंत्र में निवेश के कारण हुई है। यदि ब्याज लागत और मूल्यहास को समायोजित भी कर दिया जाए, तो भी घरेलू उद्योग का ब्याज और मूल्यहास पूर्व लाभ काफी कम हो गया है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
ब्याज लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
ब्याज लागत	सूचीबद्ध	100	67	142	137
मूल्यहास	रु./एमटी	***	***	***	***
मूल्यहास	सूचीबद्ध	100	93	134	118
कुल	रु./एमटी	***	***	***	***
कुल	सूचीबद्ध	100	82	137	126
पीबीटी	रु./एमटी	***	***	***	(***)
पीबीटी	सूचीबद्ध	100	187	174	-11
पीबीडीआईटी	रु./एमटी	***	***	***	***
पीबीडीआईटी	सूचीबद्ध	100	147	160	42

इ (रोज़गार, उत्पादकता और मजदूरी)

88. प्राधिकारी ने रोज़गार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जाँच की है, जो नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	3,882	3,970	4,147	4,160
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिवस	2,244	2,967	3,327	3,468
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	211	273	293	304
मजदूरी	लाख रुपये	16,945	20,940	33,216	36,630

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है, साथ ही क्षमता में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता के साथ-साथ वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
स्थापित क्षमता	%	-	2%	11%	-
उत्पादन	%	-	32%	12%	4%
घरेलू बिक्रियाँ	%	-	25%	16%	11%
प्रति यूनिट लाभ/(घाटा)	%	-	87%	-7%	-106%
नकद लाभ	%	-	61%	1%	-85%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	50%	-15%	-88%

90. प्राधिकारी नोट करते हैं:

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता 2021-22 और 2022-23 में बढ़ी है। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है।

- ख. घरेलू उद्योग के मात्रा मानदंडों ने क्षति अवधि में वर्ष-दर-वर्ष सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मात्रा मानदंडों में सुधार हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता में कमी की है।
- ग. जबकि घरेलू उद्योग के वित्तीय लाभ और नकद लाभ में 2021-22 और 2022-23 में वृद्धि हुई, फिर भी जाँच अवधि में इनमें नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।
- घ. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में 2022-23 से वर्ष-दर-वर्ष नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

छ) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

91. चूँकि संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है, इसलिए इसने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला है। इसके अलावा, आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमतों से कम हैं। इसके कारण, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपने उत्पाद की कीमत तय नहीं कर पाया है। घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी लाभप्रदता से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसलिए, संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

ज) पाटन की मात्रा

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

झ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है और घरेलू उद्योग का व्याज कवरेज अनुपात 1 से कम है। ऐसे में, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ञ) क्षति मार्जिन

94. प्राधिकारी ने संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत का निर्धारण किया है। संबद्ध वस्तुओं की क्षति-रहित कीमत, जाँच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आँकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से प्राप्त कीमत की तुलना हेतु क्षति-रहित कीमत को ध्यान में रखा गया है। क्षति-रहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री, सुविधाओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय नहीं लगाया गया हो। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल परिसंपत्तियाँ और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय) कर-पूर्व %22 की दर से (कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी ताकि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित क्षति-रहित कीमत ज्ञात की जा सके और उसका पालन किया जा रहा है।
95. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुँच कीमत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।
96. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति-रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है: -

क्षति मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	एनआईपी	पंहुच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		अमडा/एमटी	अमडा/एमटी	अमडा/एमटी	%	रेंज (%)
क	चीन पीआर					
1	निंगबो एशिया पल्प पेपर कंपनी लिमिटेड ("एनएपीपी") गुआंगशी जिंगुई पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड ("जीजेपी"), निंगबो एशिया अनपॉल्यूटेड पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ("एनएयूपी"), शांडोंग बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ("एसडीबीएच") जियांगसू बोहुई पेपर कंपनी लिमिटेड ("जेएसबीएच")	***	***	***	***	20-30%
2	अन्य	***	***	***	***	40-50%
B	चिली					
3	सभी उत्पादक	***	***	***	***	20-30%

छ. 3.5 गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

97. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के क्षति, मात्रात्मक और कीमत प्रभावों की मौजूदगी की जाँच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह जाँच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति, नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है:

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

98. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों के अलावा, ब्राज़िल और स्वीडन से भी पर्याप्त मात्रा में आयात किए गए हैं। तथापि, ब्राज़िल और स्वीडन से आयात की कीमत संबद्ध देशों से आयात की कीमत से कहीं अधिक है। इसलिए, यह क्षति संबद्ध देशों के अलावा किसी अन्य देश से आयात के कारण नहीं हुई है।

ख. माँग में संकुचन

99. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की माँग में वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति माँग में संकुचन के कारण नहीं हुई है।

100. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति पुनः चक्रित पेपरबोर्ड के लिए वरीयता में वृद्धि के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भले ही पुनः चक्रित उत्पाद के लिए वरीयता में वृद्धि हुई हो, फिर भी भारत में विचाराधीन उत्पाद की माँग में गिरावट नहीं आई है। इस प्रकार, ऐसे कारक के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

ग. उपभोग की प्रवृत्ति

101. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृत्ति में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

102. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ या प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

103. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

च. उत्पादकता

104. घरेलू उद्योग की उत्पादकता उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप बढ़ी है। इस प्रकार, क्षति उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं हो सकती है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

105. ऊपर जाँच की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इसलिए, क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

106. क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में ही जानकारी को अलग करके उपलब्ध कराया है।

ज. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे**ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

107. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- माँग-आपूर्ति में अंतर है और आयात आवश्यक है। यह तब भी है जब घरेलू उद्योग 98% क्षमता उपयोग पर काम कर रहा है, जिसका अर्थ है कि उत्पादक अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं।
 - भू-राजनीतिक कारकों के कारण घरेलू उद्योग के निर्यात में गिरावट आई है, और निर्यात सामान्य होने पर घरेलू उद्योग की घरेलू बाजार में आपूर्ति करने की क्षमता कम हो जाएगी।
 - माँग में वृद्धि की उम्मीद के बावजूद किसी भी घरेलू उत्पादक ने क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश की योजना नहीं बनाई है।
 - पाटनरोधी शुल्क का उपभोक्ताओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसका उपयोग फार्मा और खाद्य पैकेजिंग में किया जाता है।
 - पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसमें मुख्य रूप से असंगठित और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम शामिल हैं।
 - घरेलू उद्योग के तर्कों के विपरीत, घरेलू उद्योग स्वयं भारत में पल्प और पूंजीगत वस्तुओं का आयात करता है और इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने से विदेशी मुद्रा की बचत नहीं होगी।
 - घरेलू उद्योग के तर्कों के विपरीत, एपीपी समूह अनधिकृत रूप से वनों की कटाई नहीं करता है।

ज. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

108. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- जनहित का निर्धारण (क) समान वस्तु के घरेलू उत्पादक, (ख) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ताओं, (ग) उत्पादक और उपभोक्ता दोनों उद्योगों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों, और (घ) आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
 - आयातकों और प्रयोक्ताओं की भागीदारी की कमी और आर्थिक हित संबंधी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने में विफलता दर्शाती है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

- iii. संबद्ध वस्तुएँ किसी भी डाउनस्ट्रीम उत्पाद के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री नहीं हैं और इनका उपयोग पैकिंग सामग्री, पुस्तक कवर और प्रकाशन उद्योग में किया जाता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव न्यूनतम होगा।
- iv. डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमतें वर्जिन पेपर बोर्ड की कीमतों के अनुसार भिन्न नहीं होती हैं।
- v. यदि भारत में विचाराधीन उत्पाद की पाटन जारी रहता है, तो घरेलू उद्योग की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसका पल्पबुड उगाने वाले किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- vi. घरेलू उद्योग द्वारा उपभोग किया जाने वाला लुगदी यूकेलिप्टस, सुबाबुल, बबूल, चिनार आदि से बनाया जाता है, जिसके कई स्थायी और पर्यावरणीय लाभ हैं और देश में हरित आवरण को बढ़ाते हैं और बंजर भूमि को हरा-भरा करते हैं।
- vii. भारत संबद्ध वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भर है और इसे बनाए रखना आवश्यक है।
- viii. उत्पाद के क्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के बीच कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं हैं और प्रयोक्ता आसानी से स्रोत बदल सकते हैं।
- ix. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता आयातित उत्पाद के समतुल्य है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग भारतीय मांग में प्रमुख हिस्सेदारी रखता है।
- x. पिछले चार वर्षों के दौरान, प्रयोक्ताओं ने इन वस्तुओं के आयात पर 423 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। शुल्क लगाने से विदेशी मुद्रा के इस अपव्यय को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि भारत पहले से ही इस उत्पाद के मामले में आत्मनिर्भर है।
- xi. देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग में मांग में वृद्धि को भी पूरा करने की क्षमता है।
- xii. ***, ***, मीट्रिक टन क्षमता विस्तार की योजना बना रहा है। तथापि, वर्तमान स्थिति आगे निवेश के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में पाटन के कारण नुकसान उठा रहा है।
- xiii. चीन के उत्पादकों को चीन सरकार से पर्याप्त समर्थन मिल रहा है, जो भारत में उचित बाजार स्थितियों में बाधा डाल रहा है।
- xiv. यद्यपि संबद्ध देशों में उत्पादक बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करते हैं, भारतीय उद्योग वनों की कटाई को बढ़ावा नहीं देता है। इसके बजाय, भारतीय उद्योग द्वारा उन बागानों से लकड़ी खरीदी जाती है जिनका समर्थन और रखरखाव भारतीय उद्योग द्वारा किया जाता है।
- xv. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का नगण्य प्रभाव पड़ता है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

109. प्राधिकारी ने नोट किया है कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने। यह केवल एक नियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयात को मनमाने ढंग से कम करना नहीं है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मूलतत्त्व अक्षुण्ण बना रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ अर्जित होने को रोकने में मदद मिलती है। यह उपभोक्ताओं की संबद्ध वस्तुओं के व्यापक चयन तक पहुँच को सुरक्षित करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं में बाधा नहीं बल्कि सहायक हैं।
110. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जाँच शुरूआत अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जाँच से संबंधित संगत जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए एक

आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी, जिसमें उनके कार्यों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं।

111. प्राधिकारी ने नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद किसी भी उत्पाद के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री नहीं है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग पैकिंग के लिए किया जाता है। चूँकि विचाराधीन उत्पाद कच्ची सामग्री नहीं है, इसलिए डाउनस्ट्रीम उद्योग की कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का नगण्य प्रभाव पड़ेगा।
112. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत विचाराधीन उत्पाद की कीमत में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। यह नोट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में, भारत में उपभोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
113. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क लगाने का अंतिम उपभोक्ताओं पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव 0.5% से भी कम है।

विवरण	यूनिट	साबुन 75 ग्रा.	आइसक्रीम 750 मिली.	हौजरी प्रीमियम	अगरबत्ती 88 ग्रा.
डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत	रुपये	50	150	300	55
एक यूनिट में लगने वाला वीबीपी	किग्रा.	0.007	0.023	0.018	0.016
वीबीपी की पंधुच कीमत	रु./किग्रा.	64.82	64.82	64.82	64.82
एक साबुन में वीबीपी की लागत	रु.	0.45	1.49	1.17	1.04
प्रस्तावित एडीडी	रु./किग्रा.	***	***	***	***
एडीडी के बाद वीपीबी की कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
एक साबुन में वीपीबी की लागत	₹	***	***	***	***
प्रभाव	₹	***	***	***	***
प्रभाव	%	0.5% से कम	0.5% से कम	0.5% से कम	0.5% से कम

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में विचाराधीन उत्पाद की कमी नहीं होगी। भारतीय उद्योग की क्षमताएँ भारत में घरेलू माँग की सम्पूर्ण पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होता, फिर भी देश में माँग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद विचाराधीन उत्पाद का आयात बंद भी हो जाता है, तो भी भारत में संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होगी।

विवरण	यूनिट	
भारत में क्षमता	एमटी	17,44,321
माँग	एमटी	***
अंतर	एमटी	(***)

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि *** भारत में *** मीट्रिक टन क्षमता विस्तार की योजना बना रहा है। तथापि, चूँकि घरेलू उद्योग को जाँच अवधि के दौरान घाटा हुआ है, इसलिए वर्तमान स्थिति भारत में किसी भी निवेश के लिए अनुकूल नहीं है।

झ. प्रकटीकरण के बाद टिप्पणियाँ**झ.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ**

116. प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद अन्य इच्छुक पक्षों ने निम्नलिखित नए प्रस्तुतियाँ दी हैं:

- i. शुल्क तालिका में निंगबो एशिया पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड और जियांग्सू बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के नामों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- ii. सहकारी चीनी उत्पादकों के लिए भूमि मूल्य और निर्यात मूल्य निर्धारित करने की विस्तृत कार्यप्रणाली का खुलासा नहीं किया गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि व्यापारियों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को दो-तरफ़ा लेपित आर्टबोर्ड की सभी बिक्री को भूमि मूल्य निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा गया है या नहीं।
- iii. प्राधिकरण ने उतराई मूल्य की गणना के लिए 7% सीमा शुल्क को गलत माना है। भारतीय आयातकों ने प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर 10% मूल सीमा शुल्क का भुगतान किया है। इसकी पुष्टि उपलब्ध कराए गए प्रवेश बिलों और 18 फरवरी 2021 के अलर्ट परिपत्र संख्या 03/2021 - सीमा शुल्क से की जा सकती है जो दर्शाता है कि प्रतिवादी निर्यातकों को कोई रियायती शुल्क नहीं दिया गया था क्योंकि माल का चालान हांगकांग के व्यापारियों द्वारा किया गया था।
- iv. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से एसबीएस को बाहर करने के अनुरोध की जाँच नहीं की है। चूँकि एसबीएस का भारत में आयात नहीं किया गया है, इसलिए इसे पाट नहीं दिया गया है और एसबीएस के आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुई किसी भी क्षति के लिए संबद्ध देशों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- v. विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे के लिए क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की जानी चाहिए, अर्थात् आर्टबोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड को बाहर करने के बाद।
- vi. विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे के अनुसार आयातों को अलग करने की पद्धति का खुलासा किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण यह स्पष्ट करे कि क्या आर्ट बोर्ड के सभी लेन-देन को बाहर रखा गया है या केवल उन्हीं लेन-देन को बाहर रखा गया है जिनमें आर्टबोर्ड का आयात केवल मुद्रण उद्देश्यों के लिए किया गया था।
- vii. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय बताई गई जानकारी का खुलासा करने के बाद एक नया खुलासा जारी किया जाना चाहिए। आवेदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन करता है, जैसा कि उन मामलों में किया जाता है जहाँ निर्यातकों द्वारा दायर प्रतिक्रियाओं को उक्त व्यापार सूचना का उल्लंघन होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है।
- viii. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि यह बढ़ती क्षमताओं के बावजूद पूर्ण क्षमता उपयोग पर काम कर रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है।
- ix. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर मूल्यहास और व्याज लागत में उल्लेखनीय वृद्धि, और निर्यात बिक्री और कैप्टिव खपत में गिरावट के प्रभाव की जांच नहीं की है।
- x. घरेलू उद्योग की क्षति की जांच के लिए निर्यात बिक्री और कैप्टिव खपत में गिरावट के प्रभाव को हटाया जाना चाहिए।

- xi. क्षति का कारण बनने वाले अन्य कारकों, अर्थात्, बाजार में अधिक आपूर्ति और पुनर्चक्रित पेपरबोर्ड की मांग में बदलाव की जांच नहीं की गई है।
- xii. घरेलू उत्पादक पैकेजिंग क्षेत्र की 90% माँग को पूरा करते हैं और यदि आयात लागत से कम पर हो रहा है, तो घरेलू उद्योग को सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- xiii. यद्यपि उपयोगकर्ता संघ शुल्क लगाने का विरोध नहीं करता है, फिर भी इसका उपयोग अत्यधिक लाभ के लिए घरेलू कीमतों में अवास्तविक वृद्धि करने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- xiv. एमआईपी निर्धारित करने के लिए घरेलू उत्पादकों की लागत और उचित लाभ की जाँच हेतु प्रयुक्त कार्यप्रणाली का उपयोग एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए भी किया जाना चाहिए।
- xv. फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने वर्तमान जाँच में प्रस्तुतियाँ दी हैं और कृपया उन्हें इच्छुक पक्षों की सूची में एक पक्ष के रूप में दर्ज किया जाए।
- xvi. दो तरफा लेपित पेपरबोर्ड को शामिल करने के बारे में आयातकों द्वारा की गई प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया है। इसके अलावा, प्रकटीकरण में दो तरफा लेपित पेपरबोर्ड को शामिल करने या बाहर करने पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
- xvii. दो तरफा लेपित पेपरबोर्ड विशेषताओं और अनुप्रयोग में मुद्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले दो तरफा लेपित आर्टबोर्ड के समान है, जिसे विचाराधीन उत्पादन के दायरे से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद की तुलना में दो तरफा लेपित पेपरबोर्ड के अनुप्रयोग, विशेषताएँ और मूल्य निर्धारण अलग हैं। दो तरफा लेपित पेपरबोर्ड को भी निष्कर्षों से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में केवल आईटीसी ही इसका उत्पादन करता है।
- xviii. एमआईपी पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से अति संरक्षण और कम शुल्क नियम का उल्लंघन होगा। एमआईपी जाँच प्रक्रिया के दौरान लगाया गया है और इससे आयात कीमतें गैर-क्षतिग्रस्त कीमत से ऊपर आ गई हैं।
- xix. भले ही एमआईपी अल्पकालिक उपाय के लिए लगाया गया हो और घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिग्रस्त कीमत के बराबर न हो, इसके परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए इनपुट लागत में वृद्धि होगी और आयात कीमतें बढ़ेंगी। अतिरिक्त एंटी-डंपिंग शुल्क उपाय को दोहरा देगा।
- xx. मांग में वृद्धि की प्रत्याशा में किए गए क्षमता विस्तार के कारण उच्च मूल्यहास और ब्याज लागत के कारण क्षति हुई है। जांच की अवधि में, आयात कीमतें केवल कोविड-19 से पहले के स्तर पर स्थिर हुई हैं, और हुई क्षति संबंधित आयातों के मात्रा प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि उच्च मूल्यहास और ब्याज लागत के कारण हुई है।
- xxi. संबद्ध आयातों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप हैं। घरेलू उद्योग के निर्यात मूल्य और घरेलू मूल्य भी एककि संबद्ध आयात जो दर्शाता है, दूसरे के अनुरूप रहे हैं। अन्य देशों से आयात भी कम कीमतों पर हैं- अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बराबर हैं।
- xxii. लाभ में गिरावट उच्च ब्याज और मूल्यहास लागतोंकच्चे माल की अस्थिर कीमतों और लाल सागर संकट के , कारण उच्चमाल दुलाई दरों के कारण है। एमआईपी के प्रभाव पर विचार करने के बाद प्रभाव आकलन %3 हैवरण के अनुसार प्रभाव से अधिक है। जो प्रकटीकरण वि ,

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

117. प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित नई प्रस्तुतियाँ दी हैं:

- i. सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उसके नए और मौजूदा नाम, आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड से संदर्भित करने का अनुरोध किया जाता है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद का दायरा पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों तक सीमित नहीं है। इसे चुनिंदा रूप से पढ़कर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि आर्टबोर्ड विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं है।
- iii. पैकेजिंग के लिए आर्टबोर्ड के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। अगर आर्टबोर्ड को इससे बाहर रखा गया है, तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पैकेजिंग के लिए आर्टबोर्ड विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल है।
- iv. एमआईपी लागू होने से एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एमआईपी गैर-विषयक देशों से होने वाले आयातों पर भी लागू होता है और यह केवल 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है। एमआईपी केवल घरेलू उद्योग की लागत को ध्यान में रखकर लगाया गया है। इससे पहले, ग्लूफोसिनेट टेक्निकल के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, जब यह एमआईपी के अधीन था।
- v. शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे बुनियादी ढांचे और विकास के संबंध में पहल को बढ़ावा मिलेगा।
- vi. चूंकि क्रेता और ग्राहक के बीच कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं होता, इसलिए शुल्क लगाने से उपयोगकर्ताओं को घरेलू स्रोतों में से चुनने की सुविधा मिलेगी, जिनमें मांग को पूरा करने की क्षमता है।
- vii. घरेलू उद्योग आयातित उत्पादों के बराबर गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति करता है, जो उद्योग द्वारा पहले प्राप्त बाजार हिस्सेदारी से स्पष्ट है। आयात की मांग केवल डंप की गई कीमतों पर आयात की उपलब्धता के कारण बढ़ी है।
- viii. चीन जन.गण. के निर्यातकों को महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप का लाभ मिलता है, जिससे ऐसे निर्यातकों को भारत में उचित बाजार स्थितियों को नष्ट करने की अनुमति मिलती है।

अ.3 प्राधिकरण द्वारा जाँच

118. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतियों की जाँच की है और नोट किया है कि कई प्रस्तुतियाँ पुनरावृत्तियाँ हैं जिनकी पहले ही उचित रूप से जाँच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। हितबद्ध पक्षों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और पर्याप्त साक्ष्यों से समर्थित तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए मुद्दों की नीचे जाँच की गई है।
119. इस निवेदन के संबंध में कि लेपित/बिना लेपित पेपरबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल या बाहर रखा गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में लेपित और बिना लेपित वर्जिन बहु-परत पेपरबोर्ड शामिल हैं। चूंकि विचाराधीन उत्पाद में लेपित और बिना लेपित पेपरबोर्ड शामिल हैं, जिनमें कोटिंग के किनारों का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि दो तरफा लेपित पेपरबोर्ड भी विचाराधीन उत्पाद के विवरण में शामिल हैं। हालाँकि, मुद्रण प्रयोजनों के लिए आयात किए जाने वाले दो तरफ लेपित आर्टबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

120. इस निवेदन के संबंध में कि भारत में दो तरफा लेपित पेपरबोर्ड के संबंध में मांग-आपूर्ति में अंतर है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी उत्पाद प्रकार के लिए मांग-आपूर्ति का अंतर उस उत्पाद प्रकार को बाहर रखने का औचित्य नहीं है। चूँकि आयातकों ने स्वयं स्वीकार किया है कि आईटीसी लिमिटेड ने उक्त उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की है, घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है। ऐसे मामले में, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से उसे बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।
121. हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि डबल-साइडेड कोटेड पेपरबोर्ड को शामिल न करने का अनुरोध प्रकटीकरण विवरण में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे पक्षों को टिप्पणी करने का अवसर नहीं मिलता। प्राधिकारी इस तर्क में कोई दम नहीं पाते, क्योंकि प्रकटीकरण विवरण का मूल उद्देश्य प्राधिकरण द्वारा दर्ज तथ्यों का खुलासा करना और पक्षों को टिप्पणी करने का अवसर प्रदान करना है। इसलिए, हितबद्ध पक्षों को प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणियों में डबल-साइडेड कोटेड पेपरबोर्ड को शामिल करने या शामिल न करने पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया। प्राधिकारी द्वारा अपने अंतिम निर्णय में इन निवेदनों पर विधिवत विचार किया गया है। इसलिए, वर्तमान निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है, और सभी हितबद्ध पक्षों को अपने हितों की रक्षा करने का एक सार्थक अवसर दिया गया है।
122. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के दावे के कारण एक नया प्रकटीकरण विवरण जारी करने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित प्रस्तुतियों में घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता की विस्तृत जाँच की गई है। घरेलू उद्योग ने मूल्य संबंधी जानकारी पहले ही प्रकट कर दी है। तथापि, घरेलू उद्योग की लागत और लाभप्रदता संबंधी जानकारी के प्रकटीकरण से बाजार में घरेलू उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीयता के दावों से संतुष्ट होकर प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ स्वीकार कर ली हैं। इस प्रकार, वर्तमान जाँच में नया प्रकटीकरण जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
123. अन्य हितबद्ध पक्षों ने प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों और प्रकटीकरण पर टिप्पणियों के अगोपनीय संस्करण को साझा करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी की प्रथा के अनुसार, प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ और प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ किसी भी हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रसारित नहीं की जाती हैं। वास्तव में, ऐसे प्रसार का अनुरोध करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षों ने स्वयं प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ और प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ अन्य हितबद्ध पक्षों और घरेलू उद्योग को प्रसारित नहीं की हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रत्युत्तरों में प्रस्तुत सभी प्रस्तुतियाँ संक्षेप में प्रस्तुत की गई हैं और प्रकटीकरण विवरण में उपलब्ध कराई गई हैं। इस प्रकार, ऐसी प्रस्तुतियों को साझा न करने से किसी भी हितबद्ध पक्ष के हित को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है।
124. विदेशी उत्पादकों के साथ-साथ आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड के नामों में सुधार के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण ने इस अधिसूचना के प्रासंगिक भाग और शुल्क तालिका में इसे सही कर दिया है।

125. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि आर्टबोर्ड का उपयोग पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि केवल मुद्रण उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले आर्टबोर्ड को ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। यदि आर्टबोर्ड का आयात पैकेजिंग के उद्देश्य से किया जाता है, तो उसे भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाता है।
126. उत्पादकों और निर्यातकों के साथ विस्तृत कार्य-प्रणाली का खुलासा न किए जाने के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात मूल्य और पहुँच मूल्य के निर्धारण के संबंध में अन्य इच्छुक पक्षों को पर्याप्त जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त, व्यापारियों और मुद्रकों को आर्टबोर्ड के लेन-देन के संबंध में, चूँकि प्राधिकारी ने मुद्रण प्रयोजनों के लिए कोटेड आर्टबोर्ड को पहले ही बाहर कर दिया है, इसलिए निर्यात मूल्य और पहुँच मूल्य के निर्धारण हेतु ऐसे किसी लेन-देन पर विचार नहीं किया गया है।
127. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से एसबीएस को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी का यह स्थापित मत है कि केवल उन्हीं उत्पाद प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता है जिनका जाँच अवधि के दौरान आयात किया गया है और घरेलू उद्योग ने उनके समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दर्शाते हैं कि उसने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में एसबीएस का उत्पादन और विक्रय किया है। इसलिए, एसबीएस को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता।
128. इस निवेदन के संबंध में कि क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे के आधार पर की जानी चाहिए, प्राधिकरण नोट करते हैं कि तरल पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त चार या अधिक परत वाले पेपरबोर्ड, चाहे वे लेपित हों, लेपित न हों, या प्लास्टिक, एल्युमीनियम या अन्य धातुओं से लैमिनेटेड हों, को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। चूँकि उक्त उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किया गया था, इसलिए यह संबंधित भाग में जाँचे गए क्षति आँकड़ों का हिस्सा नहीं है। मुद्रण प्रयोजनों के लिए आयात किए जाने वाले आर्टबोर्ड के बहिष्करण के संबंध में, प्राधिकरण ने इस अधिसूचना के संबंधित भाग में बहिष्करण के बाद घरेलू उद्योग के क्षति आँकड़ों की जाँच की है।
129. इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि घरेलू उद्योग की ब्याज लागत और मूल्यहास, क्षमता वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया है, प्राधिकरण नोट करता है कि ब्याज लागत और मूल्यहास का प्राधिकरण द्वारा सत्यापन किया गया है। ब्याज लागत और मूल्यहास में वृद्धि कैप्टिव इनपुट के लिए संयंत्र में निवेश के कारण हुई है। यदि ब्याज लागत और मूल्यहास को समायोजित भी कर दिया जाए, तो भी मूल्यहास और ब्याज लागत से पहले घरेलू उद्योग के लाभ में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
ब्याज लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	142	137

मूल्यहास	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	134	118
कुल	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	137	126
पीबीटी	रु./एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	187	174	-11
पीबीडीआईटी	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	160	42

130. इस निवेदन के संबंध में कि कैप्टिव उपभोग और निर्यात बिक्री में गिरावट के प्रभाव से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, प्राधिकरण नोट करता है कि कैप्टिव उपभोग और निर्यात बिक्री घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का केवल 0-10% है। इसलिए, कुल मात्रा में ऐसे कैप्टिव उपभोग और निर्यात का हिस्सा कम है। इस प्रकार, क्षति कैप्टिव उपभोग और निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण नहीं है।
131. इस निवेदन के संबंध में कि एमआईपी पहले ही लगाया जा चुका है और एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एमआईपी और एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्देश्य अलग-अलग है। एमआईपी लगाने से एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने पर रोक नहीं लगती है। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देशों के निर्यातक भारत में विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। ऐसे मामले में, एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, एंटी-डंपिंग शुल्क की तुलना में एमआईपी एक अल्पकालिक उपाय है। इस तर्क के संबंध में कि एमआईपी पहले ही आयात कीमतों को गैर-क्षतिग्रस्त कीमतों से ऊपर ला चुका है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण जांच अवधि में प्रचलित स्थिति के आधार पर किया जाएगा। प्राधिकारी डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण में आयात कीमतों में बाद में आई गिरावट पर विचार नहीं करते हैं। इसलिए, इसी प्रकार यह तर्क कि जांच अवधि के बाद क्षति मार्जिन कम हो गया होगा, भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
132. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि शुल्क के प्रभाव की गणना में एमआईपी को शामिल नहीं किया जाता है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव की जांच करना अपेक्षित है, न कि सरकार के अन्य नीतिगत उपायों की।
133. इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण के लिए एक अलग डेटा पर विचार किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटीकरण विवरण में विचार किया गया डेटा घरेलू उद्योग का सत्यापित डेटा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई तुलना में प्रकटीकरण विवरण में क्षति विश्लेषण की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे मामले में, अन्य हितबद्ध पक्षों के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्राधिकारी अपने द्वारा विचार किए जा रहे आवश्यक तथ्यों को सभी हितबद्ध पक्षों के

समक्ष केवल प्रकटीकरण विवरण के चरण में ही प्रकट करते हैं। इसलिए, क्षति विश्लेषण के लिए विचार की जा रही सत्यापित जानकारी, और पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए विचार किए गए सत्यापित डेटा को इस चरण में सभी हितबद्ध पक्षों के समक्ष प्रकट किया जाता है। इस चरण में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षों को प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों के संबंध में प्रस्तुतिकरण देकर अपने हितों की रक्षा करने का अवसर भी देते हैं। ऐसा अवसर यह सुनिश्चित करता है कि पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए।

134. जहां तक इस अनुरोध का प्रश्न है कि एंटी-डंपिंग शुल्क की गणना एमआईपी के समान पद्धति से की जा सकती है, प्राधिकरण नोट करता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क की गणना सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों के आधार पर की गई है।
135. चीनी उत्पादकों ने अनुरोध किया है कि 10% सीमा शुल्क की दर पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें भारत-एपीटीए मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत रियायत नहीं दी गई थी। प्राधिकारी ने नोट किया है कि अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के अनुसार, संबंधित वस्तुओं की निकासी 10% सीमा शुल्क के अंतर्गत की गई है। तदनुसार, संबंधित खंड में पहुँच मूल्य को संशोधित किया गया है। हालाँकि, चूँकि एंटी-डंपिंग शुल्क का परिमाणन डंपिंग मार्जिन के आधार पर किया गया है क्योंकि यह क्षति मार्जिन से कम है, इसलिए पहुँच मूल्य में परिवर्तन चीनी उत्पादकों के लिए निर्धारित शुल्क पर प्रभाव नहीं डालता है।
136. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल न किए गए आयात आंकड़ों के पृथक्करण की कार्यप्रणाली के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि प्राधिकरण ने आर्टबोर्ड से संबंधित सभी लेन-देनों की पहचान की है, जिनका इच्छित अनुप्रयोग के संदर्भ में उल्लेख नहीं है, या पैकेजिंग अनुप्रयोग के अलावा अन्य अनुप्रयोग के संदर्भ में उल्लेख नहीं है, और भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का परिमाणन करने के लिए उन्हें बाहर रखा गया है। तथापि, यह सुनिश्चित किया गया है कि पैकेजिंग प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले आर्टबोर्ड से संबंधित किसी भी लेन-देन को बाहर नहीं रखा गया है।
137. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को उच्च मूल्यह्रास और व्याज लागत के कारण नुकसान हुआ है, प्राधिकारी ने पीवीडीआईटी की जाँच की है और पाया है कि इस अवधि में इसमें भी गिरावट आई है। हितबद्ध पक्षों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को अस्थिर लुगदी कीमतों और लाल सागर माल भाड़े के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान क्षति विश्लेषण में उन घरेलू उत्पादकों पर विचार किया गया है जो लुगदी खरीद रहे हैं, साथ ही उन उत्पादकों पर भी जो निजी तौर पर लुगदी का उत्पादन कर रहे हैं। यदि कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं, तो यह उचित रूप से अपेक्षित है कि उत्पाद की कीमतें भी उसी प्रवृत्ति का अनुसरण करेंगी। हालाँकि, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्य दर्शाते हैं कि लागत में वृद्धि के कारण आयात की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है, जिससे घरेलू उद्योग को भी अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

138. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिग्रस्त कीमत उच्च मूल्यहास और ब्याज लागत के कारण बढ़ी हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-क्षतिग्रस्त कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।
139. घरेलू उद्योग के क्षति-रहित मूल्य की गणना हेतु वास्तविक कार्यप्रणाली के प्रकटीकरण के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने अपनाई गई कार्यप्रणाली का पहले ही खुलासा कर दिया है। क्षति-रहित मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध III के प्रावधानों के आधार पर किया गया है। घरेलू उद्योग का क्षति-रहित मूल्य आवेदकों की गोपनीय व्यावसायिक स्वामित्व संबंधी जानकारी है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ साझा नहीं किया जा सकता। ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण से बाजार में घरेलू उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
140. हितबद्ध पक्षों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बेल्जियम, ब्राजील, एस्टोनिया, न्यूजीलैंड, रूस, स्लोवेनिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से कम कीमत वाले आयात होते हैं, जिनकी कीमतें संबद्ध देशों की कीमतों से कम होती हैं। पक्षों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसे आयात सामूहिक रूप से कुल आयात का 4.5% हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत, किसी विशेष देश से आयात की मात्रा को महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि वह कुल आयात का कम से कम 3% हो; या यदि उन देशों से आयात, जो व्यक्तिगत रूप से 3% से कम के लिए जिम्मेदार हैं, 7% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए, उपरोक्त देशों से आयात, जो सामूहिक रूप से कुल आयात का केवल 4.5% है, को घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने के रूप में महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, इस तर्क के संबंध में कि ऐसे कम आयात मूल्य दर्शाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हैं, प्राधिकारी को इस तरह के तर्क में योग्यता नहीं लगती है। संबद्ध आयात बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हैं। इस प्रकार, ऐसे कम कीमत वाले आयात अन्य देशों के उत्पादकों को भी अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि, वर्तमान मामले में पाए गए पाटन के तथ्य से पता चलता है कि संबद्ध आयातों की कीमतें पाटन के कारण कम हैं, न कि अन्य कारकों के कारण।
141. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, विदेशी उत्पादकों के साथ उपयोगकर्ताओं के कोई दीर्घकालिक समझौते नहीं हैं। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता, बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि उसका आयात उचित मूल्य पर किया जाए। यदि उपयोगकर्ता पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो दीर्घकालिक समझौते न होने के कारण वे घरेलू उद्योग से विचाराधीन उत्पाद खरीद सकेंगे।
142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रस्तुतियाँ दी हैं और कहा है कि घरेलू उद्योग भारत में अधिकांश माँग को पूरा करता है और कम कीमतों पर आयात के मामले में घरेलू उद्योग को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि भारत में कम लागत वाले आयात से भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ रही है और मेक इन इंडिया पहल को नुकसान पहुँच रहा है।
143. अन्य हितबद्ध पक्षों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति लागत दबाव और बाजार स्थितियों के सामान्य होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री की उच्च लागत के कारण है। यह भी प्रस्तुत किया गया है

कि निर्यातकों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं के अनुसार, उत्पादकों ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग की है।

ज. निष्कर्ष और सिफारिशें

144. सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

- i. विचाराधीन उत्पाद सफेद/वर्जिन वुड पल्प से बना एक बहु-परत बोर्ड है, चाहे वह लेपित हो या बिना लेपित, मुख्यतः पैकेजिंग अनुप्रयोग के लिए, और इसे वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड भी कहा जाता है। विचाराधीन उत्पाद कागज़ की कई परतों को एक साथ जोड़कर बनाया गया है। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध है। विचाराधीन उत्पाद में फोर्लिंग बॉक्स बोर्ड (FBB), सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड (SBS), कप स्टॉक पेपर या बोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड शामिल हैं, ये सभी 140 से 450 GSM की रेंज में हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं।
 - क. पुनर्नवीनीकृत/भूरे रंग के गूदे या फाइबर से बने पेपरबोर्ड।
 - ख. लेपित/बिना लेपित सिगरेट बोर्ड।
 - ग. मुद्रण प्रयोजनों के लिए आयातित होने पर दो तरफ लेपित आर्टबोर्ड।
 - घ. चार या अधिक स्तरित पेपरबोर्ड, तरल पैकेजिंग सामग्री के लिए प्लास्टिक सामग्री, एल्यूमीनियम या अन्य धातु के साथ लेपित, लेपित या लेमिनेटेड।
- ii. घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाज़ार में कप स्टॉक पेपरबोर्ड का उत्पादन और विक्रय किया है। अतः, इसे उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है।
- iii. किसी उत्पाद ग्रेड के लिए मांग-आपूर्ति का अंतर, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद प्रकार को बाहर करने का औचित्य नहीं है।
- iv. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है। कोटेड आर्टबोर्ड का उपयोग मुख्यतः मुद्रण के लिए किया जाता है, पैकेजिंग के लिए नहीं। इसलिए, प्राधिकरण ने मुद्रण के उद्देश्य से आयात किए गए आर्टबोर्ड को इस सूची से बाहर रखा है।
- v. लेपित और लेपित-रहित कप स्टॉक विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं। कोटिंग के प्रकार के आधार पर, उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा जाता है।
- vi. सिगरेट बोर्ड ऊँची कीमतों पर आयात किए गए हैं और भारत में डंप नहीं किए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सिगरेट बोर्ड को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है।
- vii. घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाज़ार में लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड का उत्पादन और बिक्री की है। इसके अतिरिक्त, उक्त उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किया गया है। अतः, इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है।
- viii. घरेलू उद्योग ने तरल पैकेजिंग सामग्री के लिए प्लास्टिक सामग्री, एल्यूमीनियम या अन्य धातुओं से लेपित या लेमिनेटेड चार या अधिक परत वाले प्रसंस्कृत पेपरबोर्ड का उत्पादन और बिक्री नहीं की है। तदनुसार, इसे जाँच के दायरे से बाहर रखा गया है।
- ix. उपर्युक्त के अधीन, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।
- x. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने जाँच अवधि के दौरान विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे विषयगत देशों में विषयगत वस्तुओं के किसी भी उत्पादक या भारत में किसी भी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

- xi. यह आवेदन भारतीय कागज निर्माता संघ द्वारा भारत के सभी घरेलू उत्पादकों की ओर से दायर किया गया है। भारत में कुल 6 उत्पादक हैं, जिनमें से 5 ने वर्तमान जाँच के उद्देश्य से विस्तृत जानकारी प्रदान की है। वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड ने एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के आवेदन का समर्थन किया है।
- xii. आवेदक घरेलू उत्पादक भारतीय उत्पादन में अधिकांश हिस्सा रखते हैं, और इसलिए नियम 2(बी) के अनुसार घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।
- xiii. समर्थन पत्र में किए गए गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि सूचना एक उत्पादक से संबंधित है और ऐसी सूचना के प्रकटीकरण से उक्त उत्पादक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- xiv. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता संबंधी सूचना के संबंध में गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ऐसी सूचना के प्रकटीकरण से लागत और लाभप्रदता संबंधी सूचना का प्रकटीकरण हो जाएगा, जो घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों के लिए हानिकारक होगा।
- xv. न्यूनतम आयात मूल्य लागू करना वर्तमान जांच को समाप्त करने का औचित्य नहीं है, क्योंकि संबद्ध वस्तुएं पाटित पाई गई हैं तथा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही हैं।
- xvi. अर्थव्यवस्था माना गया है तथा प्राधिकरण ने चीनी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया के आधार पर उनके लिए निर्यात मूल्य निर्धारित किया है।
- xvii. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों के लिए डंपिंग मार्जिन सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है।
- xviii. प्राधिकरण ने क्षति का संचयी मूल्यांकन किया है क्योंकि वर्तमान जांच में संचयी मूल्यांकन की शर्तें पूरी हो गई हैं।
- xix. क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है।
- xx. घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है, जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता है।
 - क. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई।
 - ख. संबद्ध आयातों में मांग में वृद्धि की दर से अधिक गति से वृद्धि हुई है।
 - ग. आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं और कीमतों में यह कमी सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
 - घ. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है और उन्हें कम कर दिया है। घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री लागत में कमी से भी अधिक अपनी बिक्री कीमतों में कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
 - ङ. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है।
 - च. घरेलू उद्योग बिक्री बनाए रखने के लिए मुनाफे से समझौता करके क्षमता उपयोग बनाए रखने में सक्षम रहा है।
 - छ. चूंकि निर्यात बिक्री घरेलू उद्योग के उत्पादन का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को ऐसे निर्यातों के कारण नहीं माना जा सकता।
 - ज. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ गया है।
 - झ. यद्यपि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं को घाटे में बेचा है, फिर भी माल सूची में वृद्धि हुई है।
 - ञ. माल-सूची में वृद्धि निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण नहीं है, क्योंकि माल-सूची में निर्यात में गिरावट की तुलना में कहीं अधिक वृद्धि हुई है।
 - ट. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है।

- ठ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल में उल्लेखनीय गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल केवल [2%] है।
- ड. संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम हैं और इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- ढ. घरेलू उद्योग की पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- xxi. आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग के गैर-क्षतिकारी मूल्य से कम है। संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- xxii. घरेलू उद्योग को नुकसान भारतीय बाजार में डंपिंग के कारण हुआ है। किसी अन्य ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं हुआ है।
- xxiii. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है।
- क. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग पैकेजिंग प्रयोजनों के लिए किया जाता है तथा यह किसी भी डाउनस्ट्रीम उत्पाद के उत्पादन के लिए कच्चा माल नहीं है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद की कीमतें डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमतों पर सीधे प्रभाव नहीं डालती हैं।
- ग. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से उपयोगकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का कोई साक्ष्य नहीं है। शुल्क लगाने का प्रभाव 0.5% से कम है।
- घ. देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग की क्षमता भारत की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- ङ. *** क्षमता विस्तार की योजना बना रही है। चूँकि घरेलू उद्योग को जाँच अवधि में घाटा हुआ है, इसलिए वर्तमान स्थिति आगे किसी भी निवेश के लिए अनुकूल नहीं है।
145. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच शुरू करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
146. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

एस.एन.	शीर्षक	विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	मात्रा	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4805 और 4810	वर्जिन मल्टी- लेयर पेपरबोर्ड*	चीन पीआर	चीन सहित कोई भी देश	निंगबो एशिया पल्प पेपर कंपनी लिमिटेड	152.27	मीट्रिक टन	अम.डा.

2.	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन सहित कोई भी देश	गुआंगशी जिंगुई पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	152.27	मीट्रिक टन	अम.डा.
3.	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन सहित कोई भी देश	निंगबो एशिया अनपॉल्यूटेड पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	152.27	मीट्रिक टन	अम.डा.
4.	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन सहित कोई भी देश	शेडोंग बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	152.27	मीट्रिक टन	अम.डा.
5.	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन सहित कोई भी देश	जियांग्सू बोहुई पेपर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	152.27	मीट्रिक टन	अम.डा.
6.	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन सहित कोई भी देश	एसएन 1 से एसएन 5 में उल्लिखित के अलावा कोई भी।	221.36	मीट्रिक टन	अम.डा.
7.	-वही-	-वही-	चीन पीआर और चिली के अलावा कोई भी देश	चीन पीआर	कोई	221.36	मीट्रिक टन	अम.डा.
8.	-वही-	-वही-	चिली	चिली सहित कोई भी देश	कोई	123.18	मीट्रिक टन	अम.डा.
9.	-वही-	-वही-	चीन पीआर और चिली के अलावा कोई भी देश	चिली	कोई	123.18	मीट्रिक टन	अम.डा.

* सफ़ेद/वर्जिन वुड पल्प से बना बहु-परत बोर्ड, चाहे लेपित हो या बिना लेपित, जिसे वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड भी कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से पैकेजिंग अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (FBB), सॉलिड ब्लीच्ड सल्फेट बोर्ड (SBS), कप स्टॉक पेपर या बोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड शामिल हैं, ये सभी 140 से 450 GSM की रेंज में हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- पुनर्नवीनीकृत/भूरे रंग के गूदे या फाइबर से बने पेपरबोर्ड।
- लेपित/बिना लेपित सिगरेट बोर्ड।
- मुद्रण प्रयोजनों के लिए आयातित होने पर दो तरफ लेपित आर्टबोर्ड।
- चार या अधिक स्तरित पेपरबोर्ड, तरल पैकेजिंग सामग्री के लिए प्लास्टिक सामग्री, एल्यूमीनियम या अन्य धातु के साथ लेपित, लेपित या लेमिनेटेड।

ट. आगे की प्रक्रिया

- इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

FINAL FINDING**Case No. – AD(OI) – 26/2024**

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Virgin Multi-Layer Paperboards” originating in or exported from Chile and China PR.

F. No. 6/28/2024-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Anti-Dumping Rules or the Rules);

A. BACKGROUND

1. Whereas, The Indian Paper Manufacturer Association (hereinafter referred to as the “applicant” or “applicant association” or “IPA”) filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Anti-Dumping Rules” or the “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Virgin Multi-Layer Paperboard (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from Chile and China PR (hereinafter also referred to as the “subject countries”). The following members of the applicant association (hereinafter also referred to as the “applicant domestic producers”) provided their data for the present investigation.
 - i. Aditya Birla Real Estate Limited (Formerly known as Century Textiles and Industries Limited)
 - ii. Emami Paper Mills Limited
 - iii. JK Papers Limited
 - iv. ITC Limited
 - v. Tamil Nadu Papers and Newsprint Limited
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/28/2024-DGTR dated 30th September 2024, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from Chile and China PR in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 30th September 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made

- available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.
- e. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. Cartulinas CMPC S.P.A., Chile
 - ii. Anhui Cole Packaging Materials Co Ltd.
 - iii. Anhui Technology Import and Export Company Ltd.
 - iv. Blue Sky Logitrade Ltd.
 - v. Changle Keyuan Paper Co Ltd.
 - vi. Changzhou Easy Joint Import Export Co Ltd.
 - vii. Chengtong International Ltd.
 - viii. Ekman Pulp and Paper Ltd.
 - ix. Gold East Trading Hong Kong Company Ltd.
 - x. Hangzhou Sinosea Paper Co Ltd.
 - xi. Hartwii Imaging Materials Co Ltd.
 - xii. Heinzl Sales Asia Pacific SDN BHD
 - xiii. Hong Kong Paper Sources Co Ltd.
 - xiv. Kaifeng Yucai Packaging Technology Co Ltd.
 - xv. King Empire Group Ltd.
 - xvi. Kingdecor Zhejiang Co Ltd.
 - xvii. Lami Packaging Hong Kong Company Ltd.
 - xviii. Lami Packaging Kunshan Co Ltd.
 - xix. Material Sources International Ltd.
 - xx. M S Nanjing Jinhan Technology Co Ltd.
 - xxi. Modern International Asia Ltd.
 - xxii. Ningbo Asia Pulp & Paper Co Ltd.
 - xxiii. Oriental Paper HK Ltd.
 - xxiv. PG Paper Company Ltd.
 - xxv. Shandong Bihai Packaging Materials Co Ltd.
 - xxvi. Shenzen Yuto Packaging Technology Co Ltd.
 - xxvii. Stora Enso Guangxi Packaging Co Ltd.
 - xxviii. Tricell HK Trading Ltd.
 - xxix. United Imatek Qingdao Co Ltd.
 - xxx. Vipa Luasanne S A
 - xxxi. Vital Solutions PTE Ltd.
 - xxxii. Wuhan Xin Oasis Industry and Trade Company Ltd.
 - xxxiii. XT Hartwii Imaging Materials Company Ltd.
 - xxxiv. Yanlord Paper Ltd.
 - xxxv. PT Indah Kiat Pulp and Paper

- f. The Embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- g. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:
 - i. Cartulinas CMPC SpA
 - ii. Ningbo Asia Pulp & Paper Co. Ltd
 - iii. Ningbo Asia Unpolluted Paper Products Co., Ltd
 - iv. Guangxi Jingui Pulp & Paper Co. Ltd
 - v. Jiangsu Bohui Paper Industry Co. Ltd
 - vi. Shandong Bohui Paper Industry Co. Ltd.
 - vii. Bofeng Group Holdings (HK) Ltd.
 - viii. Gold East Trading (Hong Kong) Co. Ltd
- h. The Authority sent Importer's and User's Questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Advik Enterprises
 - ii. All India Trading Solutions
 - iii. Aman Paper Company
 - iv. A.K. Trading (Paper) Private Limited
 - v. Asia Pulp & Papers Private Limited
 - vi. Brid Papers
 - vii. ECLAT Papers
 - viii. C.H. Java Co.
 - ix. Chaganraj Co.
 - x. Chimanlal Fein Paper Private Limited
 - xi. Deepak Paper Company
 - xii. Frontro Covertor
 - xiii. Green Globe Impex Private Limited
 - xiv. Garg Paper Mart
 - xv. Hero Multi Paper Private Limited
 - xvi. I N Impex
 - xvii. Jana Agencies & Industries
 - xviii. Kagaj Digital Paper Private Limited
 - xix. Kokuyo Riddhi Paper Products Private Limited
 - xx. Lakshaya Paper
 - xxi. Mandagini Seals
 - xxii. M.L.M. (India) Limited
 - xxiii. Narsing Dass & Co. Private Limited
 - xxiv. Paper Corporation
 - xxv. PLG Impex
 - xxvi. PNG Global
 - xxvii. Pragati Paper Co.
 - xxviii. Prisma World

- xxix. Prabhat Paper Mart
- xxx. RD Impex
- xxxi. Rajiv Ranjan
- xxxii. Sarthak Enterprises
- xxxiii. Shanthi Corporation
- xxxiv. Shree Ashtavinayak Papers Private Limited
- xxxv. Shri Krishna Impex
- xxxvi. Shivananda Marketing Private Limited
- xxxvii. Sri Ayyappa Poly Paper & Boards
- xxxviii. Specialty Paper and Boards Private Limited
- xxxix. Supreme India Company
- xl. Swastik Paper Company
- xli. Srinivas Papers Impex LLP
- xl.ii. Syndicate Printers Limited
- xl.iii. Singhania Alu Foil Containers Manufacturing Company
- xl. iv. TM Enterprises Private Limited
- xl. v. TCPL Packaging Limited
- xl. vi. Temple Packaging Private Limited
- xl. vii. Tetra Pack India Private Limited
- xl. viii. Uflex Limited
- xl. ix. Venus Paper Corporation
- i. Vibgyor Global Trade Private Limited
- ii. Vital Paper Products Private Limited
- i. In response to the initiation of the subject investigation, none of the importers/users have responded by filing questionnaire response.
- j. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the following associations
 - i. ASSOCHAM
 - ii. CII
 - iii. Federation of Paper Traders' Associations of India
 - iv. FICCI
- k. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassies of the subject countries, all the known exporters, importers and the domestic industry. The response to the Economic Interest Questionnaire has been filed only by the domestic industry.
- l. The Authority invited views from the interested parties regarding the PCN methodology proposed by the domestic industry. All the interested parties were requested to make their views known in writing within the time limit prescribed. Based on the comments received from the other interested parties, the Authority notified PCN methodology vide notification dated 12th December 2024.
- m. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- n. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

- o. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 7th April 2025. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- p. Due to the change in the Designated Authority, a second oral hearing was conducted on 12th June 2025, which was attended by all the interested parties. The interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- q. Submissions were filed in the subject investigation on behalf of the following interested parties including producers, exporters, users and importers as well as association of users.
 - i. Domestic industry
 - ii. Bofeng Group Holdings (HK) Ltd
 - iii. Gold East Trading (Hong Kong) Co. Ltd
 - iv. Guangxi Jingui Pulp & Paper Co, Ltd
 - v. Jiangsu Bohui Paper Industry Co, Ltd
 - vi. Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd
 - vii. Ningbo Asia Unpolluted Paper Products Co., Ltd
 - viii. Shandong Bohui Paper Industry Co, Ltd
 - ix. Green Globe Impex Pvt. Ltd.
 - x. Hero Multi Pap Pvt. Ltd.,
 - xi. Mitthan Lal Marketing Ltd.
 - xii. MLM India Ltd.
 - xiii. NPT Papers Pvt. Ltd.
 - xiv. Pragati Paper Co.
 - xv. Shree Ashtavinayak Papers Pvt. Ltd.
 - xvi. Bombay Master Printers' Association
 - xvii. Federation of Paper Traders' Associations of India
- r. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- s. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.
- t. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this notification.
- u. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- v. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

- w. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present notification to the extent possible and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary
- x. An opportunity was provided by the Authority to all interested parties to give their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology.
- y. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 21st September 2025 and the interested parties were allowed time up to 26th September 2025 to file comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in this final finding.
- z. ‘****’ in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- aa. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 83.69.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 4. At the stage of initiation of the present investigation, the following was considered as the scope of the product under consideration.

“The product under consideration is multi-layer board made of white / virgin wood pulp, whether coated or uncoated, and is also known as Virgin Multi-Layer Paperboard. The product under consideration is made up of multiple layers of paper bonded together. The product under consideration is made up of pulp from fibre of trees. The product under consideration comes in various grades. The product under consideration includes Folding Box Board (FBB), Solid Bleached Sulfate Board (SBS), Cup Stock Paper or Board and Liquid Packaging Board, all in the range of 140 to 450 GSM. These are classified into two main categories, virgin grade which is manufactured from fibre of the trees and recycled grade manufactured from fibres obtained from recovered paper and paperboard.

Coated/uncoated Cigarette board and paperboards made out of recycled/brown pulp or fibre are excluded from the scope of the product under consideration.”

C.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

- 5. The other interested parties have made following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article.
 - i. Coated Artboard is different from FBB in terms of end-use application and technical specifications. While Artboard is used for graphical printing, FBB is used in packaging applications. The end-use application of coated artboard provided by ITC is also the same. Coated artboard must be excluded from the scope of the present investigation.
 - ii. Coated Artboard is only produced by ITC which is only capable of catering to the 25% of demand.
 - iii. Coated Artboard has not been mentioned in the scope of the product proposed in the application or in scope notified by the Authority.
 - iv. The scope notified by the Authority provides that the product under consideration is only used for packaging and not printing applications.
 - v. At paragraph 46 of the application, IPMA has specifically stated that “the product under consideration is use in packaging material. It is predominantly used in food, beverage and pharma industry for packaging purposes. Since the subject goods are not a raw material for manufacturing of any product and are only used for packaging of product, the impact of duty on the users would be very low”.

- vi. Printing paperboards including coated artboard is outside the scope of investigation is further confirmed from paragraph 54 of the application which states that “since the product under consideration is not a raw material and only used as packaging material in food, beverages and pharma industry, the impact of proposed duty on the consumers shall be miniscule”.
- i. Coated artboard is a product used for high quality graphical printing. As per Indian producers, Coated artboard is super-calendared board especially suited for digital printing and is not used for packaging purposes. IPMA in its application has specifically limited the scope of the product under consideration limited to paperboard used for packaging purposes only. Artboard double-coated which is used for printing purposes exclusively is priced almost 20-30% above the prices of the other multilayer virgin paperboard.
- ii. As per the definition in the application, the subject goods are used only for packaging purposes. The applicant has used the term “only” to specify the end-application of the product under consideration is limited to packaging. Thus, coated artboard must be excluded.
- iii. In light of material differences in the cost and prices of coated artboard and absence of the same from the PCN proposed by the application, it can be seen that the product is not included in the scope of the present investigation.
- iv. Cup stock produced by the domestic industry does not match the necessary standards of customers and is imported at a higher price than that of the domestic industry. The same is not like article to the imported cup stock paperboard.
- v. The cup-stock paperboard supplied by foreign producers are priced at a premium of 10-25% due to difference in parameters.
- vi. The manufactures of paper cups have to rely on imported material to cater to the international market due to the difference between the specifications of cup stock supplied by domestic industry and imported into India. The domestic producers supply low-bulk cup stocks which do not meet stringent quality standards of global customers.
- vii. Cup stock with 170 – 350 GSM having thickness of 277-476 microns, bulk of 1.35-1.73, moisture of 7.5%, ISO brightness of 78-80% and edgewick LA/23 of 1.50 kg/m2 max, should be excluded.
- viii. The initiation notification does not cover virgin multi-layer paperboard coated with layers of inorganic compound such as polyethylene (PE). The Authority must clarify that the same is not included in the scope of the investigation.
- ix. The share of PE coated cup stock paperboard is negligible as compared to total exports to India.
- x. The domestic industry has not rebutted the claims of the exporters in respect of the differences in the technical specifications of the product imported and that produced by the domestic industry. In such a case, it must be found that the product produced by the domestic industry is not like article to the cup stock paperboard supplied by exporters.
- xi. FBB and Cigarette Boards are like article and must be given same treatment. Exclusion of one and not of the other is contradictory. Thus, FBB used for packaging of cigarettes must also be excluded from the scope of the present investigation.
- xii. Exclusion of Cigarette Boards without excluding FBB would result in unjust competitive advantage because of overlapping applications and functionalities. FBB must also be excluded from the scope of the investigation.
- xiii. Cigarette Boards are technically and commerciality substitutable with FBB as Cigarette Boards can be used as FBB for packaging of confectionary and other products.
- xiv. The description of Cigarette Boards available on one of the applicant domestic producers, ITC Limited, states that a Cigarette Boards are FBB.
- xv. Indian importers import FBB from China for manufacturing cigarette boxes. ITC itself imports FBB for its cigarette packaging applications.
- xvi. Exclusion of cigarette boards shall lead to circumvention of duty, if levied. There is no prejudice on inclusion of Cigarette Boards as the domestic industry will benefit from such duty. There is no restriction on expanding product scope post initiation, as done in anti-dumping investigation into imports of Aluminium Foil.

- xvii. Liquid Packaging Board has not been imported from the subject countries or dumped into India which could have caused injury to the domestic industry. Thus, the same must be excluded from the scope of the product under consideration.
- xviii. Liquid Packaging Board has been imported from Brazil and Sweden and any injury to the producers of LPB is due to such imports. Further, FBB and LPB are not commercially and technically substitutable products.
- xix. Inclusion of Liquid Packaging Board in the present investigation is likely to have an adverse impact on the prices of milk, an essential commodity.
- xx. SBS has not been imported or dumped from the subject countries. Hence, injury to producers of SBS cannot be attributed to subject imports.
- xxi. Separate PCNs must be devised for art boards, FBB, SBS, liquid packaging boards and cup stock paperboard on account of differences in prices of such products.
- xxii. PCN methodology is not based on cost differences but on price differences, as provided in Article 2.4 of the Anti-dumping Agreement. The same was concluded by the Appellate Body in US – Anti-Dumping Methodologies (China), where it rejected cost of production as a factor for its qualitative analysis under Article 2.4.2.
- xxiii. The websites of domestic producers which differentiate FBB, SBS, art board and cup stock, also show the these cannot be clubbed together.

C.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

6. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:
 - i. The product under consideration includes Folding Box Board (“FBB”); Solid Bleached Sulfate Board (“SBS”); Cup Stock Paper Board; Liquid Packaging Board and Art Board all in the range of 140-450 GSM.
 - ii. The scope notified by the Authority is appropriate and must be confirmed.
 - iii. The product produced by domestic industry is like article to the product imported from the subject countries.
 - iv. The scope of the product under consideration may only be finalised at the stage of final determination after conducting an investigation and providing due opportunity for a hearing to all interested parties.
 - v. The exclusions requested in respect of artboard, cup stock, liquid packaging board FBB used for cigarette packaging and PE coated cup stock must not be allowed as the domestic industry has produced and sold the said product types in the market.
 - vi. The product scope defined in the initiation notification includes both coated and uncoated virgin multi-layer paperboards. Hence, 2 side coated artboard is included within the definition of the product under consideration.
 - vii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the initiation notification clearly mentions that the product under consideration is used for packaging as well as book covers and publishing. Thus, artboard is covered within the scope of the product under consideration.
 - viii. The other interested parties have failed to demonstrate that artboard have characteristics materially different from the product under consideration.
 - ix. As opposed to the submissions by the other interested parties, the ease with which producers can shift from producing one type of product under consideration to artboard, shows that all coated artboard is part of the same group and like article to the product under consideration.
 - x. Contrary to the contentions of the other interested parties, mere existence of a demand supply gap does not justify exclusion of a product from the scope of the product under consideration.
 - xi. The other interested parties have wrongly relied on a single paragraph regarding quantification of impact in the petition to state that the subject goods are only used for packaging purposes. However, at

- multiple places in the petition, the domestic industry has mentioned that the product under consideration is suitable for printing and also used for promotional materials such as brochures, flyers and display boxes.
- xii. The domestic industry has produced and sold like article to artboard imported into India and hence, there is no need for exclusion of the same.
 - xiii. No evidence has been provided to demonstrate that the cup stock paperboard produced by the domestic industry is different from that imported. The cupstock produced and supplied by the domestic industry adhere to customer specifications as per the orders given to the domestic industry.
 - xiv. As opposed to the submissions by the other interested parties, the domestic industry is capable to produce cupstock as per the requirements of the user industry, in case, order is placed on it. The other interested parties are not relying on standards laid down by the Government of India. Mere internal standards of either a producer or a consumer cannot become ground for exclusion.
 - xv. The product scope notified by the Authority does not distinguish between the nature of coating applied on the product. Thus, PE coated cup stock must be included in the product scope.
 - xvi. As per Rule 2(b), like article can be identical article, or an article which may not be alike in all respects, but has closely resembling characteristics. Thus, cup stock paperboard produced by domestic industry is like article to imported product.
 - xvii. The inclusion of cigarette boards has been requested by the exporter of the subject goods and not by the domestic producer. There is no prejudice caused to the interest of the exporter by non-inclusion of cigarette boards.
 - xviii. Cigarette Boards differ from FBB in respect of multiple technical specifications including as GSM, Caliper, Moisture, plybond as compared to FBB, tensile strength and fiber machine alignment. As a result, the cost as well as price of Cigarette Boards is higher than that of FBB.
 - xix. There is significant difference in the import price of cigarette board and FBB. While the lowest and average import price of cigarette boards is ₹ 91,706 per MT and ₹ 1,18,316 per MT respectively, the lowest and average import price of FBB is ₹ 41,916 per MT and ₹ 61,629 per MT respectively.
 - xx. The scope of the product under consideration is required to be defined having regard to the product which is actually being dumped in the country and causing injury to the domestic industry as evident from the findings of the Panel in European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China (WT/DS397). Since Cigarette Boards are not being dumped in India, the same cannot be included in the scope of the product under consideration.
 - xxi. The reliance by other interested parties on Aluminium Foil case is misplaced as the Authority had excluded the product not included at the at the stage of initiation vide corrigendum notification.
 - xxii. Since the domestic industry has produced identical article, that is FBB to FBB imported into India, cigarette boards do not constitute like article to the imported FBB, under the provisions of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.
 - xxiii. A product type can be excluded only if it has been imported into India, but the domestic industry has not produced a like article to the same. The Authority has followed the same principle in a number of investigations. In case of exclusion of products not imported into India, the Authority will have to undertake individual investigations for each product type once the same are imported.
 - xxiv. Since all exporters from China PR have not participated in the present investigation, it cannot be established that liquid packaging boards and SBS board have not been exported to India.
 - xxv. Liquid Packaging Boards have been imported into India post the period of investigation.
 - xxvi. No prejudice is caused to the Chinese exporters by inclusion of Liquid Packaging Board or SBS Board as the same is not being supplied by such producers and the Authority has formed separate PCNs for each of them.
 - xxvii. There is no requirement for separate PCNs for FBB, SBS and cup stock paperboard.
 - xxviii. The interested parties have an obligation to disclose, if the foreign exporters supply products with significantly different cost and prices.

- xxix. Liquid Packaging Board exhibits different properties and as a result commands 20% - 25% higher costs and prices as compared to FBB, SBS and Cup stock paperboard. There, is a need for separate PCN for Liquid Packaging Board.
- xxx. Claims for separate PCNs must not be considered on the basis of price or end use differences. There is a need to show difference in cost of production for separate PCNs.
- xxxi. The domestic industry has not produced and sold four or more layered paperboard, either coated, uncoated or laminated with plastic material, aluminium, or other metal for liquid packaging material in the merchant market. The same may be excluded from the scope of investigation.

C.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

7. With regard to request for exclusion of Cup Stock Paperboards and Liquid Packaging Board, the Authority notes that the domestic industry has provided evidence that it has manufactured and sold the identical articles in the merchant market. Thus, there is no requirement to exclude the same from the scope of the product under consideration.
8. The other interested parties have submitted that coated art boards have not been mentioned specifically in the application and hence, should not be considered within the scope of the product under consideration. The interested parties also claimed demand-supply gap for coated artboard. The Authority notes that demand-supply gap is not a justification for exclusion of any product type from the scope of the product under consideration. However, it is further noted, that the application filed by the domestic industry was related to the product predominantly used for packaging purposes. Since coated artboards are majorly used for printing purposes, the said product is not included in the scope of the product under consideration. Thus, the Authority concludes that the product scope does not include coated artboard when imported for printing purposes.
9. With regard to request for exclusion of the cup stock from the scope of the product under consideration, the Authority notes that the other interested parties have submitted that the domestic industry does not provide the product type as per specifications of the customers and the price of import is higher than the selling price of the domestic industry. The interested parties have, however, not provided evidence substantiating its contention. Further, the Rules require the Authority to consider whether the domestic industry supplies like article to the product imported into India and does not require that the domestic industry should have supplied the exact same product specifications. Further, there are no mandatory standards notified by the Government of India which are not being adhered to by the domestic industry and which may warrant exclusion of such product from the scope of the product under consideration. The specifications required by an individual importer is not the basis for exclusion of a product type from the scope of the product under consideration. Since the domestic industry has produced and supplied cup stock in the domestic market during the period of investigation, exclusion of cup stock from the scope of the product under consideration is not justified.
10. As regard the submissions that the downstream industry is forced to rely on imports of cup stock in order to adhere to specification required in international markets, the Authority notes that there is no evidence for the same on record. In any case, the downstream industry is free to import the product under consideration for export purposes under advance authorisation and without payment of any anti-dumping duty.
11. With regard to the clarification sought for exclusion for PE coated cup stock paperboard, the Authority notes that the product under consideration as defined in the Initiation Notification does not distinguish between products on basis of type of coating. Thus, specific nature of coating is not sufficient to exclude a product grade from the scope of the product under consideration. The scope of the product under consideration includes "coated and uncoated, virgin multi-layer paperboards". Thus, it can be clarified that PE coated cup stock is included in the scope of the product under consideration.
12. The other interested parties have contended that FBB used for cigarette packaging must be excluded as it has similar characteristics as that of cigarette boards. Alternatively, cigarette boards may be included within the scope of the product under consideration. The Authority notes that the domestic industry has excluded cigarette

boards from the scope of the product under consideration while filing the application. The domestic industry has submitted that cigarette boards have different specifications as that of FBB and commands higher cost and price. As per the evidence on record, the import price of Cigarette Boards is much higher than the import price of FBB. The difference in the price of the two products itself shows that there is difference between the characteristics of the product due to which Cigarette Boards command a higher price. Since, Cigarette Boards are not like product to FBB being imported into India, the same has been excluded from the scope of the product under consideration.

13. The Authority notes that the other interested parties have not demonstrated a need for exclusion of FBB for cigarette application based on difference in cost, price and technical parameters of the product. Further, FBB has been produced and sold by the domestic industry in the Indian market during the period of investigation. Further, the scope of product under consideration is not based on the application of the product under consideration. Since there is no difference between FBB based on end-use application, there is no requirement for exclusion of the same from the scope of the product under consideration.
14. The Authority further notes that the scope of the product under consideration is defined based on the product which is being dumped into India. The domestic industry has submitted that Cigarette Boards are being imported at a higher price and thus, not being dumped into India. In such a case, there is no justification for inclusion of Cigarette Boards in the scope of the product under consideration.
15. The Authority notes that the other interested parties have requested exclusion of Liquid Packaging Board. The other interested parties have claimed that LPB is a different product, has higher prices and is not imported from the subject countries. The Authority notes that as per the DG Systems data, 1,077 MT of Liquid Packaging Board has been imported from the subject countries during the period of investigation. Further, the Authority has already accounted for the fact that the said product entails higher costs and prices. Accordingly, the Authority has formed a separate PCN for liquid packaging boards. However, the domestic industry has not produced and sold four or more layered processed paperboard, coated or laminated with plastic material, aluminium, or other metals for liquid packaging material. Hence, the Authority excludes the same from the scope of the product under consideration.
16. The Authority also notes that different types of virgin multi-layer paperboards are comparable in terms of essential product characteristics including physical, production technology, manufacturing process, plant & equipment, functions & usage, etc. Different categories/types are intended to meet different end-user requirements. The products differs as per the end-user requirements. As far as interchangeability is concerned, virgin multi-layer paperboards that belong to different product groups may not be interchangeable. However, these products fall in the product scope of the investigation as they share the same broad characteristics.
17. In view of the above, the Authority has considered the following scope of the product under consideration.

“The product under consideration is multi-layer board made of white / virgin wood pulp, whether coated or uncoated, and is also known as Virgin Multi-Layer Paperboard. The product under consideration is made up of multiple layers of paper bonded together. The product under consideration is made up of pulp from fibre of trees. The product under consideration comes in various grades. The product under consideration includes Folding Box Board (FBB), Solid Bleached Sulfate Board (SBS), Cup Stock Paper or Board and Liquid Packaging Board, all in the range of 140 to 450 GSM. The scope of the product under consideration excludes the following:

- i. Paperboards made out of recycled/brown pulp or fibre per-se excluded in the application.
- ii. Coated/uncoated cigarette boards
- iii. Two side coated artboard when imported for printing purposes.
- iv. Four or more layered paperboard, either coated, uncoated or laminated with plastic material, aluminium, or other metal for liquid packaging material.

18. The Authority has devised PCN for the present investigation and notified the decision to ascertain the scope of PUC after providing an opportunity of hearing to the interested parties. The Authority conducted two oral hearings and heard submissions of interested parties at length. After examining the submissions of interested parties, the Authority has decided the scope of the product under consideration. Since cigarette boards, liquid packaging boards i.e. Four or more layered paperboard, either coated, uncoated or laminated with plastic material, aluminium, or other metal for liquid packaging material, two side coated artboard, and paperboard made from recycled pulp are excluded from the scope of investigation, the following PCN methodology has been finalised and considered:

SN	Product Type	Code
1	Solid Bleached Sulfate Board	SBS
2	Folding Box Board	FBB
3	Cup Stock	CUS
4	Liquid Packaging Board	LPB
5	Others	OTH

19. The product under consideration is classified under Chapter 48 of the Customs Tariff Act, 1975 under the HS Codes 4805 9100, 4805 9200, 4805 9300, 4810 9200 and 4810 9900. Further, the domestic industry has stated that the product is being imported under 32 HS Codes including heading 4802, 4805, 4810, 4811 and 4819. The Authority notes that the product under consideration is majorly being imported under 4805 and 4810. Accordingly, the same have been considered for the purpose of the present investigation. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.
20. The Authority notes that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The product produced by the domestic industry and that imported from the subject countries is being used interchangeably by the consumers. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

21. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing:
- West Coast Paper Mills Limited has not provided data as per Trade Notice 13/2018. All data provided by the producer has been claimed confidential. While the supporter provided complete data in anti-dumping investigation into imports of Copier Paper, it has failed to do so in the present case. Due to the failure of compliance with Trade Notice, the claim of support must be rejected.
 - The claim that the supporter has a share of 2.5% in Indian production is incorrect. As per the Annual Report of the company the share of the supporter in capacity and production of subject goods and non-subject goods is more than 15% and not 2.5%, as claimed by the applicant.
 - The other domestic producer faced decline in sales but has not participated in the present investigation.

D.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

22. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:

- i. The application for initiation of the present investigation has been filed by Indian Paper Manufacturers Association on behalf of the domestic industry.
- ii. Aditya Birla Real Estate Limited, Emami Papers Mills Limited, ITC Limited, JK Paper Limited, and Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited have provided complete data for the present investigation.
- iii. There is only one other domestic producer of like article in India, namely, West Coast Paper Mills Limited. The said producer has supported the present investigation.
- iv. As opposed to the submissions by the other interested parties, West Coast Paper Mills Limited has filed complete support letter as per Trade Notice 4/2021. In any case, the Rules do not require the supporter to file any information for supporting the application.
- v. Reliance cannot be placed on the information given in the annual reports of West Coast Paper Mills Limited as the same is for all products produced by the company and not only for the subject goods. The supporter has itself furnished information related to the subject goods in its support letter.
- vi. The applicant domestic producers have not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation and are not related to any producer or exporter of the subject goods from the subject countries or any importer in India.
- vii. The applicant domestic producers account for major proportion of total domestic production in India and constitute domestic industry in the present investigation.

D.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

23. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

24. The Authority notes that the application for initiation of the present investigation was filed by Indian Papers Manufacturers Association (“IPMA”) on behalf of the domestic industry. The following members of the applicant association have provided detailed data for the purpose of the present investigation.
- i. Aditya Birla Real Estate Limited
 - ii. Emami Papers Mills Limited
 - iii. JK Paper Limited
 - iv. ITC Limited
 - v. Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited
25. The Authority notes that there is only one other domestic producer of the subject goods in India, namely, West Coast Paper Mills Limited. West Coast Paper Mills Limited has filed a support letter in the present investigation.
26. With regard to the submissions that West Coast Paper Mills Limited has not filed support letter as per Trade Notice 13/2018, the Authority notes that the supporter has provided complete information as per Trade Notice 4/2021. Further, while the other interested parties have stated that the information does not match the annual reports, the Authority notes that while the annual reports pertain to all the products manufactured by the company, the information provided in the support letter only pertains to the subject goods.
27. The applicant domestic producers have submitted that have not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation and are not related to any producer of the subject goods in the subject countries or any importer of the subject goods in India.

28. The Authority notes that the applicant domestic producers account for 98% of the total domestic production in India and along with supporter, they account for total domestic production in India. In view of the foregoing, the Authority notes that the applicant domestic producers account for major proportion of domestic consumption in India and thus, concludes that the applicant domestic producers constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

29. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:
- i. The applicant has claimed excessive confidentiality as it has given trends instead of aggregate figures for sales value, PBIT per unit, total PBIT, depreciation, capital employed, net fixed assets and working capital.
 - ii. All data provided by West Coast Paper Mills Limited in the support letter has been claimed confidential.

E.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

30. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.
- i. The importers have claimed excessive confidentiality as they have failed to disclose the units linked to production of product under consideration and shareholding structures.
 - ii. The exporters have not adhered to the requirements of Trade Notice 10/2018 and have failed to share their corporate structure and major raw materials used for production of the subject goods.
 - iii. The other interested parties have failed to provide non-confidential summary of the information filed.
 - iv. The financial and contractual links, joint ventures as well as details of factories have been claimed confidential due to which the domestic industry is unable to make reasonable comments on the same.
 - v. The other interested parties have submitted certain representations made by users in India which have been claimed confidential. Due to such confidentiality, the domestic industry is unable to defend its interests.
 - vi. As opposed to the submissions of the other interested parties, the information provided in the support letter concerns an individual producer, disclosure of which would be of significant competitive advantage to the competitors and would seriously impact the interest of the producer in the market. Even the other interested parties have not provided such information.
 - vii. The expenses incurred and claimed for adjustments for fair comparison should be disclosed as such expenses are recorded in the findings of the Authority.
 - viii. Contrary to the submissions by the other interested parties, the aggregate sales value has shared with the other interested parties. Aggregate profit related information is sensitive information which can be used to ascertain the cost related information, disclosure of which would give significant advantage to users, in future negotiations, and would impact the interest of the domestic producers.

E.3. EXAMINATION BY AUTHORITY

31. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The arguments of the parties with regard to confidentiality have also been examined hereinbelow.
32. With regard to the submissions that the supporter has not disclosed any information filed in the support letter, the Authority notes that the information provided by the supporter consists of information of a single producer.

Disclosure of such information will have an adverse impact on the interests of the said producer in the market. Thus, such confidentiality claims are accepted by the Authority.

33. With regard to the submissions that the other interested parties have failed to disclose certain information in their responses, the Authority notes that the interested parties have justified the confidentiality claimed by them. Further, no prejudice has been caused to the interest of the domestic industry due to non-disclosure of such information.
34. As regard to the submissions that the domestic industry has claimed excessive confidentiality with regard to costing and pricing information, the Authority notes that the domestic industry has circulated a revised non-confidential version of the petition on 8th April 2025 and has disclosed the information with regard to domestic selling price and export price. The domestic industry has claimed that disclosure of profitability information will cause an adverse impact on the applicants as the same will lead to disclosure of the costing and profitability information. The Authority accepts the confidentiality claims of the domestic industry in this regard.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

35. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.
 - i. Rule 4 which stipulates the lesser duty rule, requires anti-dumping duties to be strictly remedial and not punitive. The domestic industry has already approached for imposition of MIP. Since the purpose of both MIP and anti-dumping duty is to increase the import price above injurious level, imposition of MIP will neutralize the injury to the domestic industry. Imposition of anti-dumping duty, in such a case, will be violation of lesser duty rule. The present investigation should be terminated if MIP is imposed during the investigation.
 - ii. The IQRs have been circulated within a reasonable timeframe, the notification requesting circulation did not specify a time limit to circulate the submissions. Since domestic industry had 2.5 months to comment on the IQRs, no prejudice has been caused to its interest.

F.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

36. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.
 - i. As opposed to the submissions by the other interested parties, the industry has filed for imposition of MIP because of further decline in prices in the post POI of the present case and significant increase in imports from Indonesia in that period. Indonesia is not a subject country in the present investigation.
 - ii. The responses which were not circulated within a timely manner should be disregarded and not accepted by the Authority.

F.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

37. With regard to the submissions that the domestic industry has also applied for MIP, the present investigation should be terminated, the Authority notes that the purpose of the present investigation is to examine whether the subject goods from the subject countries are being dumped in India, whether such dumping is causing material injury to the domestic industry and the amount of anti-dumping duty which will be sufficient to address the dumping and injury to the domestic industry. The purpose of MIP is not to examine unfair trade practice in form of dumping. Further, while the present investigation is against only two countries, MIP is imposed on total imports into India. While imposition of MIP is an executive decision, recommendation for imposition of anti-dumping duty is a quasi-judicial action. Thus, the purpose as well as the nature of decisions for MIP and anti-dumping duty is different. Since the subject goods are being dumped in India and such dumping is causing injury to the domestic industry, there is no justification for termination of the present investigation irrespective of whether MIP is imposed or not.

38. The domestic industry has submitted that that the questionnaire responses filed by the importers should be rejected as the same were not circulated in a timely manner. In this regard the Authority notes that the responses were not circulated by the other interested parties as per the instructions of the Authority and were non-confidential version of the same were provided to the domestic industry at a later stage. However, no prejudice has been caused to the interest of the domestic industry due to late circulation of such responses as the domestic industry had ample of time to furnish comments on the same.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

39. The following submissions have been made by the other interested parties, with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
- i. The claim of the applicant for the export price is incorrect as no basis has been provided for the adjustment claimed.
 - ii. APP Group has fully cooperated in the present investigation and the margins should be quantified based on the response filed by the group entities.
 - iii. APP Group has reported all its affiliation and hence, provided a complete response.

G.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

40. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
- i. Cartulinas CMPC SpA circulated the non-confidential version of the response at a belated stage due to which the domestic industry has not been provided with an opportunity to make meaningful submissions. Such response should be disregarded.
 - ii. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the AD Rules.
 - iii. Since the provisions of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol continue to remain in force, the producers in China PR are required to show that market economy conditions prevail.
 - iv. The normal value for China PR has been determined based on price payable in India. The normal value has been determined based on the estimates of cost of production of the applicant domestic producers duly adjusted for selling, general and administrative expenses, along with reasonable profit margin.
 - v. The applicant did not have access to information regarding the domestic selling price prevailing in Chile. Since there is no dedicated tariff classification for the product, the price of imports into the subject country or exports from the subject country could not be taken. Information with regard to cost of production in the subject country was not available to the domestic industry. Accordingly, normal value has been determined based on facts available.
 - vi. As opposed to the submissions of the other interested parties, the export price claimed by the domestic industry may be verified for accuracy. Since the foreign producers have participated, the Authority may verify their data and adopt what is more accurate.
 - vii. The other interested parties have made contradictory submissions as the producers and exporters have not disclosed the expenses incurred for sale in home market and exports to India and have stated "Not Applicable" for adjustments for fair comparison.
 - viii. The dumping margin is positive and significant.

G.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

41. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

"(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."

42. The Authority notes that the following producers/exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:

- i. Bofeng Group Holdings (HK) Ltd
- ii. Gold East Trading (Hong Kong) Co. Ltd
- iii. Guangxi Jingui Pulp & Paper Co, Ltd
- iv. Jiangsu Bohui Paper Industry Co. Ltd
- v. Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd
- vi. Ningbo Asia Unpolluted Paper Products Co., Ltd
- vii. Shandong Bohui Paper Industry Co, Ltd
- viii. Cartulinas CMPC SpA

G.4. DETERMINATION OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE

G.4.1. NORMAL VALUE FOR CHINA PR

43. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product,

the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

44. The applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacturing, the production and the sale of the product under consideration. It has been stated by the applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
45. None of the producers have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules which state as follows.

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

46. The applicant has claimed that the normal value should be determined on the basis of price payable in India. The other interested parties have not adduced any other basis, amongst that listed under paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which may form basis of determination of normal value. The Authority has therefore, determined normal value as per the price payable in India, based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

G.4.2. EXPORT PRICE FOR CHINA PR

Export price for Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd (“NAPP”), Guangxi Jingui Pulp & Paper Co, Ltd (“GJP”), Ningbo Asia Unpolluted Paper Products Co., Ltd (“NAUP”), Shandong Bohui Paper Industry Co, Ltd (“SDBH”) and Jiangsu Bohui Paper Industry Co. Ltd (“JSBH”)

47. NAPP, GJP, NAUP, SDBH and JSBH (collectively referred to as the “APP Group”) exported *** MT to India during the period of investigation through related exporters Gold East Trading (Hong Kong) Co. Ltd (“GEHK”) and Bofeng Group Holdings (HK) Ltd (“BFHK”). Out of the total exports of the APP Group, NAPP has exported *** MT of subject goods to India through GEHK; GJP has exported ***MT subject goods to India through GEHK; NAUP has exported ***MT subject goods to India through GEHK; SDBH has exported ***MT of subject goods to India through BFHK and JSBH has exported 702 MT subject goods to India through BFHK.

NAPP → GEHK → Unrelated customers in India

GJP → GEHK → Unrelated customers in India

NAUP → GEHK → Unrelated customers in India

SDBH → BFHK → Unrelated customers in India

JSBH → BFHK → Unrelated customers in India

48. All the aforesaid exporters and traders have cooperated before the Authority. The Authority notes that GEHK and BFHK have entered into agreements with the respective producers of APP group wherein ***. Accordingly, the Authority has determined the net export price based on the price charged from the first unrelated customer. The producer and exporters claimed adjustment on account of ocean freight, insurance, rebate, inland freight, commission, bank charges and credit cost. The same have been allowed after desk verification. The landed price has been determined based on the price charged from the unrelated customer in India. The net export price so determined is mentioned in the table below.

Export price for other producers/exporters in China PR

49. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of China PR has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.3. NORMAL VALUE FOR CHILE

50. The Authority notes that a response has been filed by Cartulinas CMPC SpA which is a producer of the subject goods in Chile. However, the response filed by Cartulinas CMPC SpA is deficient and the said producer has failed to provide a number of appendices. Further, the appendices provided by the producer are incomplete. The Authority issued deficiencies to the said producer on 28th August 2025. However, no reply has been received from the said producer within the stipulated period. Accordingly, the Authority rejects the response filed and determine the normal value and export price as per the facts available.

Normal value for other producers/exporters in Chile

51. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters from Chile has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.4. EXPORT PRICE FOR CHILE

52. The export price for all non-cooperating producers and exporters of Chile has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.5. DUMPING MARGIN

53. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

Dumping Margin Table

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
A	China PR					
1	Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd (“NAPP”)	***	***	***	***	25-35%
	Guangxi Jingui Pulp & Paper Co, Ltd (“GJP”),					
	Ningbo Asia Unpolluted Paper Products Co., Ltd (“NAUP”),					
	Shandong Bohui Paper Industry Co, Ltd (“SDBH”)					
	Jiangsu Bohui Paper Industry Co. Ltd (“JSBH”)					
2	Other producers	***	***	***	***	65-75%
B	Chile					
3	All producers	***	***	***	***	15-25%

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK**H.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES**

54. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
- The domestic industry has not claimed threat or likelihood of injury. The present investigation should be only restricted to material injury.
 - The domestic industry produces two types of FBB, namely, Natural White Folding Box Board and Bluish White Folding Box Board. APP group does not supply Bluish White FBB and hence, no injury claimed must be attributed to subject imports.
 - Acquisition of Century Pulp and Paper, by ITC shows the financial strength of the industry and is inconsistent with the claims of material injury.

- iv. The volume of imports in 2020-21 and 2021-22 were impacted by COVID-19 and consequent supply chain disruptions. During this period, the volume was low, and the comparative trend shows an increase in the subsequent years. Imports must be examined in comparison to 2018-19.
- v. Landed price is below the cost of sales only because high interest and depreciation cost have inflated the costs of the domestic industry.
- vi. Price effect must be examined on PCN basis.
- vii. The prices of the domestic industry have moved in line with international prices.
- viii. The domestic industry has not suffered any volume injury. The capacity, production, capacity utilisation, and sales of the domestic industry have changed in line. It is also operating at an optimum capacity utilisation.
- ix. Aditya Birla Real Estate Limited and ITC have reported different capacities in other public reports and annual reports. The capacity reported publicly is not matching the capacity reported.
- x. The injury claimed are exaggerated as the public/investor presentations for domestic industry show increase in sales and capacity utilisation in paperboard segment.
- xi. Further, the sales have increased in line with increase in demand showing that the imports have been absorbed by the increase in demand and did not impact the domestic industry.
- xii. The injury is due to decline in exports sales and captive consumption which cannot be attributed to subject imports. Even the increase in inventories is on account of decline in export sales.
- xiii. The increase in inventories is due to increase in production of the domestic industry.
- xiv. The number of employees, wages and salaries and productivity have increased. There has been a significant increase in salary and wages due to factors other than subject imports.
- xv. The interest cost and depreciation have increased abnormally as compared to increase in capacity.
- xvi. The return on capital employed is 21.1% as per public reports. The same is higher than per-covid levels.
- xvii. Injury is caused due to factors other than imports, such as, decline in demand, oversupply due to increased capacity and increase in preference for recycled paperboard.
- xviii. Import prices from non-subject countries are lower than import prices from subject countries.
- xix. Import prices increased in 2021-22 and 2022-23 due to supply chain disruptions and increase in raw material costs. Injury suffered by the domestic industry is on account of high fixed costs incurred due to capacity expansion undertaken in anticipation of increase in demand.
- xx. Profitability of the domestic industry has been impacted due to increase in pulp prices and freight costs as a result of the red sea crises, as has been claimed by JK Papers. Such a disruption was not faced by Chinese producers which did not get impacted by global price fluctuations.
- xxi. The non-injurious price of has been impacted by the high depreciation and interest costs. The same must be adjusted.
- xxii. The change in capital employed and net fixed assets is disproportionate to installed capacity. The Authority must verify the same for the purpose of determination of the non-injurious price.

H.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

55. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
 - i. Contrary to the submissions of the other interested parties, while dumping margin and injury margin may be determined on PCN basis, injury examination cannot be done for all PCNs separately. Injury is required to be determined for the like article, as a whole.
 - ii. As opposed to the submissions of the other interested parties, separate injury examination cannot be done for different product types. The other interested parties have not provided any difference in cost and price of natural white folding box board and bluish white folding box board. The FBB produced by domestic industry is comparable to FBB imported from the subject countries.

- iii. Different coloured FBB can be produced on the same machine and equipment. Contrary to the claim of the exporters, Blush White FBB has been imported from China.
- iv. The volume of subject imports has increased in absolute and relative terms in the injury period. The subject imports have doubled in relation to production and consumption.
- v. The rate of increase in volume of imports is higher than the increase in the rate of demand.
- vi. As opposed to the submissions of the other interested parties, the subject imports have increased in comparison to 2018-19.
- vii. The volume of imports has increased more than increase in demand. The import volumes have increased from 2022-23 as well, which was not impacted by any COVID related disruptions.
- viii. The landed price of the subject imports has declined. The landed price is below the cost of sales of the domestic industry. This has coincided with the increase in imports, forcing the domestic industry to reduce its selling prices.
- ix. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry due to which the market share of the subject imports has increased.
- x. The domestic industry has not been able to increase its selling price in line with the increase in costs. The cost of sales has increased by 37%, while the selling price has increased by only 19%.
- xi. The domestic industry was forced to reduce its prices during the period of investigation below its cost to compete with the imports.
- xii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the price of the subject imports was below the price of imports from non-subject countries. While the prices of the other imports were above the cost of sales of the domestic industry, the subject imports were priced lower than the cost of sales of the domestic industry.
- xiii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the export price of the domestic industry is higher than the domestic prices. The domestic industry has earned higher profits in the export market.
- xiv. Contrary to the submissions by the other interested parties, even if depreciation and interest is excluded from the cost of production, the landed price is at par with the cost of the domestic industry.
- xv. The difference between the variable cost of the domestic industry and landed price has declined over the injury period.
- xvi. The other interested parties have relied upon outdated reports of Aditya Birla Real Estate Limited regarding capacities. The Authority may verify the capacities reported.
- xvii. The other interested parties have not provided any evidence with regard to the submissions made on capacities of ITC limited.
- xviii. The statements in annual reports of the applicants do not related to like article alone and the same cannot be relied upon.
- xix. While the production and sales of the domestic industry has increased, the same is due to reduction in prices in response to the imports. In order to maintain volume parameters, the domestic industry compromised on its profitability.
- xx. Exports of the domestic industry will not hamper its ability to cater to domestic market as the domestic industry as even at its highest exports in the injury period, it used only 10% of its capacity for exports. Even if the exports of the domestic industry double, the capacity of the domestic industry is enough to cater to the entire domestic demand in India.
- xxi. The domestic industry has faced a clear volume injury as the inventories of the domestic industry have increased. The inventories of the domestic industry have increased by 67% over the injury period.
- xxii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the inventories have not increased due to decline in exports, as increase in inventories is much more than the decline in exports of the domestic industry.
- xxiii. The employees, salary and wages have increased due to increase in capacity. It is not necessary that all parameters should show injury to the domestic industry.

- xxiv. While the other interested parties have made submissions on domestic sales and export sales of the domestic industry, the injury to the domestic industry is evidence from decline in price parameters.
- xxv. The profits of the domestic industry have declined by 113% in the injury period. The domestic industry has incurred financial losses in the period of investigation.
- xxvi. The cash profit and return on investment of the domestic industry has also declined significantly over the injury period.
- xxvii. The increase in fixed costs, interest and depreciation expenses is on account of setting up of pulp plants by domestic industry. Since the expenses relate to captive input, the same has not resulted in the increase of production capacity. Additionally, even if such increased expenses are adjusted to the profits, the profitability of the domestic industry has declined.
- xxviii. The capacity expansion undertaken by ITC has resulted in increase in fixed cost and depreciation of the domestic industry. The same may be verified by the Authority.
- xxix. The other interested parties have failed to provide any evidence of impact of COVID-19 and supply chain disruptions during the injury period which would necessitate comparison of import volume from 2018-19.
- xxx. As opposed to the submissions of the other interested parties, a number of applicants have pulp plants and are insulated by changes in freight costs.
- xxxi. As opposed to the submission of the other interested parties, the non-injurious price of the domestic industry must be determined as per the provisions of Annexure III and based on the cost of production of the domestic industry in the period of investigation.

H.3. Examination by the Authority

- 56. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 57. With regard to the submissions that since APP group does not supply Bluish White FBB which is supplied by the domestic industry, no injury should be attributed to such imports, the Authority notes that the injury analysis is conducted for the product under consideration as a whole and not on grades or types of products under consideration. Further, the other interested parties have not made any submissions on such product or for consideration of a different PCN for such product. The cost and price of such product does not differ from the cost and price of FBB supplied by the exporter. Further, both the products are manufactured on the same line and fall within the category of FBB. The Authority has conducted the injury analysis for product under consideration as a whole.
- 58. As regard the submissions that the acquisition of Century Pulp and Paper by ITC shows financial strength of the industry, the Authority notes that the said shift in ownership is a post period of investigation development and does not impact the performance of the domestic industry during the period of investigation. Further, since one manufacturer of the subject goods has acquired the other manufacturer, no conclusion can be drawn with regard to such a transaction.

H.3.1. Cumulative assessment of injury

- 59. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less

than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and

- b. A cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic articles.

60. In the instant case, volume of imports and dumping margin from each of the subject countries is more than the de-minimis. Further, the imports from the subject countries and the product manufactured by the domestic industry have inter-se comparable properties and is being used for the same applications and by the same segment of customers. Thus, the subject imports are competing in the Indian market inter-se as well as with the subject goods manufactured by the domestic industry.

61. The Authority thus, concludes that it would be appropriate to undertake cumulative assessment of injury in the present investigation for the following reasons.

- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries.
- b. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
- c. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
- d. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the imports from each of the subject countries but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

H.3.2. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

62. The Authority, for the purpose of the present investigation, has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Sales of domestic industry	MT	709,090	885,818	1,026,508	1,142,659
Sales of other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	110	89
Subject imports	MT	34,005	17,180	62,945	102,581
Chile	MT	13,943	1,279	4,277	13,292
China	MT	20,062	15,901	58,668	89,289
Other imports	MT	38,184	39,998	71,707	52,600
Total demand	MT	***	***	***	***
Total demand	Indexed	100	121	147	163

63. The Authority notes that the demand for the subject goods in India has increased year on year during the injury period.

b) Import Volumes from the subject countries

64. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes from subject countries during the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Subject imports	MT	34,005	17,180	62,945	102,581
Chile	MT	13,943	1,279	4,277	13,292
China	MT	20,062	15,901	58,668	89,289
Other imports	MT	38,184	39,998	71,707	52,600
Total imports	MT	72,189	57,178	134,652	155,181
Imports in relation to					
Domestic production	%	***	***	***	***
Domestic production (Trend)	Indexed	100	38	126	199
Consumption (excluding captive)	%	***	***	***	***
Consumption (excluding captive) (Trend)	Indexed	100	42	126	186
Total Imports	%	47%	30%	47%	66%

65. The Authority notes that:
- The volume of imports from the subject countries have increased in absolute terms over the injury period.
 - Imports in relation to production and consumption have also increased over the injury period.
 - The imports from subject countries account for majority of imports into India.
66. The Authority notes that while the demand for the subject goods has increased by 63% over the injury period, the subject imports have increased by 202% over the injury period. Thus, the subject imports have increased at a rate much more than the rate of increase in demand in India.
67. With regard to the submissions that the imports show an increase only due to disruption in supply chain due to COVID-19 and the increase in imports should be seen from 2018-19, the Authority notes that the other interested parties have not provided any information with regard to imports in 2018-19 and 2019-20. As per the information on record, the volume of subject imports has increase in the period of investigation even when compared to 2018-19 and 2019-20. In any case, the volume of subject imports has increased in the period of investigation as compared to 2022-23 as well, which was not impacted by COVID-19.

H.3.3. Price Effect Of The Dumped Imports

68. With regard to the price effect of dumped imports from the subject countries, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a) Price undercutting

69. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject countries. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

Particulars	Unit	China PR	Chile	Subject countries
Net sales realization	₹/MT	***	***	***
Landed price	₹/MT	66,989	59,274	65,989
Price undercutting	₹/MT	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***
Price undercutting	Range	0-10%	10-20%	0-10%

70. The Authority notes that the subject imports are priced below the selling price of the domestic industry. The price undercutting from all subject countries is positive and significant.

b) Price suppression/depression

71. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	138	134
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	142	119
Landed price	₹/MT	61,913	80,870	91,631	65,989
Trend	Indexed	100	131	148	107

72. The Authority notes that while the cost of sales of the domestic industry as well as the selling price has increased over the injury period, the selling price has increased much less than the increase in the cost of sales. The landed price has also increased over the injury period, however, the increase in landed price is much lower due to which the domestic industry has not been able to increase its selling price commensurate to increase in its cost of sales. Further, while both cost of sales and selling price has declined in the period of investigation as compared to the previous year, the selling price has declined much more than decline in cost of sales. The landed price has declined significantly and at a rate more than the decline in cost of sales in the period of investigation as compared to the previous year. Thus, landed price of subject imports has suppressed and depressed the prices of the domestic industry.

H.3.4. Economic Parameters Of The Domestic Industry

73. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

74. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	MT	1,480,000	1,515,863	1,690,000	1,690,000
Production (PUC+NPUC)	MT	1,255,176	1,522,944	1,591,201	1,668,701
Capacity utilization	%	85%	100%	94%	99%
Production (PUC)	MT	818,894	1,083,054	1,214,499	1,265,886
Domestic Sales	MT	709,090	885,818	1,026,508	1,142,659
Export sales	MT	90,165	148,595	112,604	77,318

75. The Authority notes that:

- I. The installed capacity of the domestic industry has increased over the injury period.
- II. The production as well as the domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period.
- III. The domestic industry is operating at optimum capacity utilization during the period of investigation.

76. The Authority notes that the domestic industry has submitted that due to increase in low-priced imports, the domestic industry has been forced to compromise on profitability in order to maintain its production and sales.

77. With regard to the submissions that the injury to the domestic industry is due to decline in export sales, the Authority notes that the export sales of the domestic industry accounts for 0-10% of total production in the injury period. Thus, the main focus of the domestic industry is the domestic market and any decline in export sales is not a cause of injury to the domestic industry.

78. As regard the submissions that the capacity reported by Aditya Birla Real Estate Limited and ITC in the publicly available information is different from that reported for the present investigation, the Authority notes that the capacities of the applicants have been verified and the verified information has been provided in the table above.

b) Market share

79. Market share of the imports and domestic industry is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Domestic industry	%	87%	89%	85%	86%
Sales of other producer	%	5%	5%	3%	3%
Subject imports	%	4%	2%	5%	8%
Other imports	%	5%	4%	6%	4%

80. The Authority notes that the market share of the domestic industry and Indian industry as a whole declined slightly in 2022-23 and the period of investigation. The market share of subject imports have increased over the injury period. The domestic industry has submitted that it has been able to maintain its market share as it has compromised on profitability in order to maintain its productions and sales.

c) Inventories

81. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventory	MT	34,830	27,061	28,186	48,699
Closing Inventory	MT	23,831	28,186	48,699	49,318
Average Inventory	MT	29,330	27,623	38,442	49,009

82. The Authority notes that the inventories of the domestic industry has increased significantly over the injury period. Even though the domestic industry has compromised on profitability and sold the subject goods at losses, the domestic industry has suffered due to accumulation of inventories.
83. With regard to the submissions that the increase in inventories is due to decline in exports of the domestic industry, the Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased by 19,678 MT over the injury period, while the exports have declined only by 12,847 MT. Thus, increase in inventories is much more than the decline in exports. Thus, increase in inventories is not attributable to decline in exports.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

84. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Cost of sales (Trend)	Indexed	100	111	138	134
Selling price	₹/MT	57,480	68,344	81,634	68,532
Selling price (Trend)	Indexed	100	119	142	119
Profit / (loss)	₹/MT	***	***	***	(***)
Profit / (loss) (Trend)	Indexed	100	187	174	-11
Profit / (loss)	₹ Lacs	***	***	***	(***)
Profit / (loss) (Trend)	Indexed	100	233	251	-17
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
PBIT (Trend)	Indexed	100	203	242	30
Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Cash profits (Trend)	Indexed	100	201	236	39
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Return on capital employed (Trend)	Indexed	100	150	127	15

85. The Authority notes that:
- The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period. While the domestic industry was earning profits, it has incurred financial losses during the period of investigation.
 - The cash profits have followed the same trend and have declined significantly in the period of investigation.
 - The return on capital employed of the domestic industry has also declined significantly over the injury period. During the period of investigation, the domestic industry has earned a negligible return of ***%.
86. The domestic industry has submitted that the interest coverage ratio of the domestic industry has declined significantly over the injury period. The Authority notes that the profits earned by the domestic industry are not enough to even cover the interest obligation of the domestic industry.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
PBIT	₹ Lakhs	***	***	***	***
PBIT (Trend)	Indexed	100	203	242	30
Interest	₹ Lakhs	***	***	***	***
Interest (Trend)	Indexed	100	84	205	221

Interest coverage ratio	Times	***	***	***	***
Interest coverage ratio (Trend)	Indexed	100	242	118	14

87. With regard to the submissions that the interest cost and depreciation of the domestic industry have increased much more than the increase in capacities the Authority notes that the interest cost and depreciation have been verified by the Authority. The increase in interest costs and depreciation is due to investment in plant for captive inputs. Even if interest cost and depreciation are adjusted, the profit of the domestic industry before interest and depreciation has declined significantly.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Interest Cost	₹/MT	***	***	***	***
Interest Cost (Trend)	Indexed	100	67	142	137
Depreciation	₹/MT	***	***	***	***
Depreciation (Trend)	Indexed	100	93	134	118
Total	₹/MT	***	***	***	***
Total (Trend)	Indexed	100	82	137	126
PBT	₹/MT	***	***	***	(***)
PBT (Trend)	Indexed	100	187	174	-11
PBDIT	₹/MT	***	***	***	***
PBDIT (Trend)	Indexed	100	147	160	42

e) Employment, productivity and wages

88. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
No. of employees	Nos.	3,882	3,970	4,147	4,160
Productivity per day	MT/Day	2,244	2,967	3,327	3,468
Productivity per employee	MT/Nos	211	273	293	304
Wages	₹ Lacs	16,945	20,940	33,216	36,630

89. The Authority notes that the number of employees of the domestic industry have increased over the injury period with increase in capacities. The productivity as well as salary and wages of the domestic industry have also increased.

f) Growth

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	%	-	2%	11%	-
Production	%	-	32%	12%	4%
Domestic sales	%	-	25%	16%	11%
Profit / (loss) per unit	%	-	87%	-7%	-106%
Cash profits	%	-	61%	1%	-85%
Return on capital employed	%	-	50%	-15%	-88%

90. The Authority notes:

- I. The capacity of the domestic industry has increased in 2021-22 and 2022-23. The capacity of the domestic industry remained stable in the period of investigation.
- II. The volume parameters of the domestic industry have shown positive growth year on year in the injury period. The domestic industry has submitted that the volume parameters have improved as the domestic industry has compromised on profitability.
- III. While the financial profits and cash profit of the domestic industry increased in 2021-22 and 2022-23, they have shown a negative growth in the period of investigation.
- IV. The return on capital employed of the domestic industry have shown a negative growth year on year since 2022-23.

g) Factors affecting prices

91. Since the landed price of subject imports is below the selling price as well as cost of sales of the domestic industry, the same has created a strain on the prices of the domestic industry. Further, the imports are priced below the non-injurious price of the domestic industry. Due to this, the domestic industry has not been able to price its product commensurate to change in its cost of sales. The domestic industry has been forced to compromise on its profitability in order to compete with the low priced imports from the subject countries. Therefore, the imports from the subject countries are impacting the prices of the domestic industry.

h) The magnitude of dumping

92. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject countries. The dumping margin is positive and significant.

i) Ability to raise capital investments

93. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has declined significantly in the period of investigation. The domestic industry has incurred financial losses in the period of investigation and the interest coverage ratio of the domestic industry is below 1. In such a case, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.

j) Injury Margin

94. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

95. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

96. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

INJURY MARGIN TABLE

SN	Name of Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range (%)
A	China PR					
1	Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd (“NAPP”)	***	***	***	***	20-30%
	Guangxi Jingui Pulp & Paper Co, Ltd (“GJP”),					
	Ningbo Asia Unpolluted Paper Products Co., Ltd (“NAUP”),					
	Shandong Bohui Paper Industry Co, Ltd (“SDBH”)					
	Jiangsu Bohui Paper Industry Co. Ltd (“JSBH”)					
2	Others	***	***	***	***	40-50%
B	Chile					
3	All producers	***	***	***	***	20-30%

H.3.5. Non-Attribution Analysis And Casual Link

97. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

a. Volume and value of imports from third countries

98. It is noted that there apart from the subject countries, imports have been made in substantial quantities from Brazil and Sweden. However, the price of imports from Brazil and-Sweden is much more than the price of imports from the subject countries. Therefore, the injury is not attributable to imports from any country other than the subject countries.

b. Contraction in demand

99. The demand for the subject goods has increased over the injury period. Hence, the injury to the domestic industry is not attributable to contraction in demand.

100. With regard to the submissions that the injury is due to increase in preference for recycled paperboards, the Authority notes that even if there has been an increase in preference for the recycled product, the demand has not declined for the product under consideration in India. Thus, no injury is attributable to such factor.

c. Pattern of consumption

101. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

102. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have cause injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

103. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry could have suffered injury.

f. Productivity

104. The productivity of the domestic industry has increased in line with increase in production. Thus, injury cannot be due to decline in productivity.

g. Export performance of the domestic industry

105. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h. Performance of other products

106. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**I.1. Submissions By Other Interested Parties**

107. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. There is a demand supply gap and imports are necessary. This is even when the domestic industry is operating at a 98% capacity utilisation implying the producers cannot increase their production.
 - ii. The exports of domestic industry have declined due to geopolitical factors, once the exports normalized, the ability of the domestic industry to supply in domestic market will decline.
 - iii. No domestic producer has planned investments to enhance capacities even after expecting increase in demand.
 - iv. Anti-dumping duty would have direct impact on consumers as it is used in pharma and food packaging.
 - v. Imposition of anti-dumping duty will adversely impact the downstream industry which is comprised mainly of unorganised and micro and small enterprises.
 - vi. As opposed to the submissions of the domestic industry, the domestic industry itself imports pulp and capital goods into India and thus, imposition of anti-dumping duty will not lead to saving of foreign exchange.
 - vii. Contrary to the submissions of the domestic industry, APP Group does not undertake unauthorised deforestation.

I.2. Submissions By The Domestic Industry

108. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. Public interest must be determined with regard to interests of (a) the domestic producer of like article, (b) the domestic consumers of the product, (c) the upstream and downstream industries in both the producing and consuming industry, and (d) the general public.
 - ii. The lack of participation by importers and users and failure to file economic interest response shows that there is no adverse impact on the downstream industry.
 - iii. The subject goods are not a raw material for manufacturing any downstream product and are used as packing material, book covers, and in publishing industry. Thus, the impact of imposition of anti-dumping duty will be minimal.
 - iv. The prices of the downstream product do not vary in accordance with the prices of virgin paper boards.
 - v. In case the dumping of the product under consideration in India continues, the volumes of the domestic industry will be adversely impacted which will have an adverse impact on farmers growing pulpwood.
 - vi. The pulp consumed by the domestic industry is made by Eucalyptus, Subabul, Acacia, Poplar, etc which have several sustainable and environmental benefits and increase the green cover in the country and the restoration of degraded land.
 - vii. India is AtmaNirbhar for the subject goods and it is necessary to maintain the same.
 - viii. There are no long-term contracts between buyers and suppliers of the product and the users can easily switch sources.

- ix. The quality of the product being supplied by the domestic industry is at par with the imported product. This is evident from the fact that the domestic industry holds major share in the Indian demand.
- x. The users have spent USD 423 million to import the subject goods during the last 4 years. The imposition of duty would help reduce this efflux of foreign exchange, as India is already self-sufficient in the product.
- xi. There is no demand-supply gap in the country. The domestic industry has the capacity to cater to even an increase in demand.
- xii. *** is planning capacity expansion to the tune of *** lakh MT. However, the present situation is not conducive to further investment as the domestic industry is suffering losses due to dumping in India.
- xiii. The Chinese producers are getting substantial support from the Government of China which is hampering the fair market conditions in India.
- xiv. While the producers in the subject countries undertake large scale deforestation, the Indian industry does not promote deforestation. Instead, wood is procured by the Indian industry from plantations which are supported and maintained by the Indian industry.
- xv. There is negligible impact of imposition of anti-dumping duty on the downstream industry.

I.3. Examination by the Authority

109. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
110. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
111. The Authority notes that the product under consideration is not a raw material for manufacturing of any product. The product under consideration is used for packing. Since the product under consideration is not a raw material, there will be negligible impact of imposition of anti-dumping duty on the prices of the downstream industry.
112. The domestic industry has submitted that the price of the downstream product does not change with change in price of the product under consideration. It is noted, that in such a case, there will be no impact of imposition of the anti-dumping duty on the consumer industry in India.
113. As per the evidence on record, the imposition of anti-dumping duty will have a negligible impact on the end consumers. The Authority notes that the impact of imposition of anti-dumping duty is less than 0.5%.

Particulars	Unit	Soap 75 gm	Ice-cream 750ml	Hosiery Premium	Agarbatti 88gms
Price of downstream product	₹	50	150	300	55
VPB Consumed in one unit	KG	0.007	0.023	0.018	0.016

Landed price of VPB	₹/KG	64.82	64.82	64.82	64.82
Cost of VPB in one soap	₹	0.45	1.49	1.17	1.04
Proposed ADD	₹/KG	***	***	***	***
Price of VPB after ADD	₹/KG	***	***	***	***
Cost of VPB in one soap	₹	***	***	***	***
Impact	₹	***	***	***	***
Impact	%	Less than 0.5%	Less than 0.5%	Less than 0.5%	Less than 0.5%

114. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty will not lead to shortage of the product under consideration in India. The capacities of the Indian industry are enough to cater to the entirety of the domestic demand in India. While imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India, there is no demand-supply gap in the country. Thus, even if imports of the product under consideration cease post imposition of anti-dumping duty, there will be no shortage of availability of subject goods in India.

Particulars	Unit	
Capacity in India	MT	17,44,321
Demand	MT	***
Difference	MT	(***)

115. The Authority notes that the domestic industry has submitted that *** is planning capacity expansion in India to the tune of *** MT. However, since the domestic industry has incurred losses during the period of investigation, the present situation is not conducive of any investment in India.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

J.1. Submissions by other interested parties

116. The other interested parties have made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:
- I. The names Ningbo Asia Pulp & Paper Co. Ltd and Jiangsu Bohui Paper Industry Co. Ltd should be used in the duty table.
 - II. The detailed workings for determining landed value and export price for cooperative Chinese producers has not been disclosed. It has not been disclosed whether all sales of two-side coated artboard to traders and end-users have been considered for determining landed value.
 - III. The Authority has incorrectly considered 7% Custom Duty for calculating landed value. Indian importers have paid 10% Basic Custom Duty for subject goods exported by the responding exporters. This may be verified from the Bills of Entry provided and Alert Circular No. 03/2021 – Customs dated 18th February 2021, which shows no concessional duties were granted to the responding exporters as the goods were invoiced by traders in Hong Kong.
 - IV. The Authority has not examined the request for exclusion of SBS from the scope of the product under consideration. Since SBS has not been imported into India, it has not been dumped and any injury to the domestic industry due to imports of SBS is not attributable to subject countries.
 - V. The injury and causal link must be examined for the revised scope of the product under consideration, that is, after exclusion of artboard and liquid packaging board.
 - VI. The methodology for segregating imports as per the revised scope of product under consideration must be disclosed. Further, the Authority may clarify if all transactions of art board have been excluded or only those transactions where artboard was imported for printing purposes only was excluded.
 - VII. The Authority has not provided any reasons for change in scope of domestic industry.
 - VIII. The applicant has claimed excessive confidentiality. A fresh disclosure should be issued after disclosing the information claimed confidential by the domestic industry. The application must be rejected as it is

- in violation of Trade Notice 10/2018, as done in cases wherein responses filed by exporters are rejected when in contravention of the said trade notice.
- IX. The domestic industry has not suffered injury as it is operating at full capacity utilisation despite increasing capacities. Further, the production and domestic sales of the domestic industry have also increased.
 - X. The Authority has not examined the impact of the significant increase in depreciation and interest cost, and decline in export sales and captive consumption, on the performance of the domestic industry.
 - XI. The impact of decline in export sales and captive consumption must be removed for the injury examination of the domestic industry.
 - XII. Other factors causing injury, namely, oversupply in market and shift in demand to recycled paperboard have not been examined.
 - XIII. The Authority has not shared the actual methodology applied for determination of non-injurious price of the domestic industry. The Authority has merely stated the Rules.
 - XIV. The non-confidential version of the rejoinder submissions and comments to disclosure must be shared with the other interested parties.
 - XV. Domestic producers cater to 90% of the demand in the packaging sector and support must be given to the domestic industry in case the imports are entering at below costs.
 - XVI. The packaging sector is heavily dependent on timely availability of supply from local sources.
 - XVII. While the user association does not oppose the imposition of duties, the same must not be used as a means to unrealistically increase domestic prices for significant profits.
 - XVIII. The methodology used for examination of costs and reasonable profits of domestic producers for determining MIP must be used for imposing anti-dumping duties as well.
 - XIX. Federation of Paper Traders' Association has made submissions in the present investigation and may kindly be recorded as a party in the list of interested parties.
 - XX. Submissions made by the importers on inclusion of two-sided coated paperboard have not been taken on record. Further, no observations have been made on inclusion or exclusion of two-sided coated paperboard, in the disclosure.
 - XXI. Double-Sided Coated Paperboard is similar in characteristics and application to two-sided coated artboard used for printing, which has been excluded from scope of the production under consideration. Double sided coated paperboard has different application, characteristics and pricing as compared to product under consideration. Double-Sided Coated Paperboard should also be excluded in the findings, as only ITC produces it in India.
 - XXII. Since the submissions with regard to double-sided coated paperboard have not been addressed in the Disclosure Statement, the interested parties have been denied an opportunity to make meaningful submissions in this regard.
 - XXIII. Imposition of anti-dumping duties over MIP would result in over protection and violation of lesser duty rule. The MIP has been imposed during the investigation process and brought the import prices above non-injurious price.
 - XXIV. Even if the MIP is imposed for a short-term measure and is not equal to the non-injurious price of the domestic industry, it will result in increase in input costs for the downstream industry and increase the import prices. Additional anti-dumping duty would duplicate the remedy.
 - XXV. There is significant change in the injury information examined in the disclosure statement and that provided in the application. Such revisions do not adhere to the principles of natural justice, as held in Automotive Tyre Manufacturer's Association (ATMA) vs. Designated Authority, (2011) 2 SCC 258, Shapoorji Pallonji Infrastructure Capital Co. Private Ltd vs. The Union of India & Others and stated in the DGTR Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations.
 - XXVI. The injury is due to high depreciation and interest costs because of capacity expansion undertaken in anticipation of growth in demand. In POI, the import prices have only stabilised to pre-COVID 19 levels, and the injury caused is not due to volume effect of subject imports but due to high depreciation and interest costs.
 - XXVII. Price of subject imports are in line with international prices. Export price and domestic price of domestic industry have also moved in line with each other. Imports from other countries are also at lower prices, indicating that subject imports are at par with international prices.
 - XXVIII. Non-injurious price is inflated due to high interest and depreciation costs

- XXIX. Decline in profits is due to high interest and depreciation costs, volatile raw material prices and high freight rates due to red sea crises. Impact assessment after considering effect of MIP is 3%, higher than impact as per disclosure statement.

J.2. Submissions by domestic industry

117. The domestic industry has made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:

- I. Century Textiles and Industries Limited is requested to be referred to by its new and existing name, Aditya Birla Real Estate Limited.
- II. The scope of product under consideration is not restricted to products used for packaging purposes. The same must not be selectively read to conclude that artboard is not included in the scope of product under consideration.
- III. Other interested parties have not demonstrated that coated artboard has different technical parameters as compared to virgin multi-layer paperboards.
- IV. There is no bar to use artboard from packaging purposes. In case, artboard is excluded, it must be explicitly clarified that artboard for packaging purposes is included in the scope of the product under consideration.
- V. Imposition of MIP does not restrict imposition of anti-dumping duties. The MIP caters to imports from non-subject countries as well and are only in effect till 31st March 2026. The MIP has been imposed considering only the costs of the domestic industry. Previously, duties have been recommended on imports of Glufosinate Technical when the same were subject to MIP.
- VI. Imposition of duties would provide a level playing field for growth of Indian industry to push for initiatives with respect to infrastructure and development.
- VII. Since there are no long term contracts between buyers and customers, the imposition of duties would allow users to choose from domestic sources, which have the capacity to cater to the demand.
- VIII. The domestic industry supplies products having quality at par with imports, evident from the market share catered to by the industry previously. The demand for imports has increased solely due to the availability of imports at the dumped prices.
- IX. The exporters from China PR enjoy benefits from significant government intervention, allowing such exporters to destroy fair market conditions in India.
- X. The Indian industry supports pulp production and uses Eucalyptus, Subabul, Acacia, Poplar, etc. which are disease resistant and also utilize less water. This boosts the environmental benefits and increases the green cover in the country. On the other hand, the exporters have been reported to undertake unauthorized deforestation.

J.3. Examination by the Authority

118. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post- disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and those backed up with sufficient evidence and considered relevant by the Authority are examined below.
119. With regard to the submission that coated/uncoated paperboards are included or excluded from the scope of the product under consideration, the Authority notes that the scope of product under consideration includes coated and uncoated virgin multi-layer paperboards. Since the product under consideration includes coated and uncoated paperboards without reference to the sides for coating, there is no doubt that even two sided coated paper boards are included within the description of the product under consideration. However, two side coated artboard when imported for printing purposes are excluded from the scope of product under consideration.
120. As regard the submissions that there is demand-supply gap in India with regard to double sided coated paperboards, the Authority notes that demand-supply gap for a product type is not a justification for exclusion of the product type. Since the importers have themselves admitted that ITC Limited has produced and sold the

said product, the domestic industry has produced and sold like article to the subject goods imported into India. In such a case, there is no justification for exclusion of the same from the scope of the product under consideration.

121. The interested parties have contended that the request for exclusion of double-sided coated paperboard was not recorded in Disclosure Statement, which denies parties an opportunity to comment. The Authority does not find any merit in the argument, as the very purpose of a Disclosure Statement is to disclose facts recorded by the Authority and allow parties an opportunity to comment. Therefore, the interested parties were allowed an opportunity to comment on the inclusion or exclusion of double-sided coated paperboard in their comments to Disclosure Statement. Such submissions have been duly considered by the Authority in its final determination. Therefore, the present determination is in consonance with the principles of natural justice, and all interested parties have been allowed a meaningful opportunity to defend their interests.
122. As regard the request for issuance of a fresh disclosure statement due to confidentiality claimed by the domestic industry, the Authority notes that detailed examination regarding confidentiality claimed by the domestic industry has been made in the relevant submissions. The domestic industry has already disclosed the price related information. However, disclosure of cost and profitability related information of the domestic industry will adversely impact the interests of the domestic producers in the market. The Authority on being satisfied by the confidentiality claims by domestic industry and other interested parties have accepted the submissions by all interested parties. Thus, there is no need for issuance of a fresh disclosure in the present investigation.
123. The other interested parties have requested sharing of non-confidential version of rejoinder submissions and comments to disclosure. The Authority notes that as per practice of the Authority, the rejoinder submission and comments to disclosure are not circulated by any interested parties. In fact, the other interested parties requesting such circulation has themselves not circulated the rejoinder submissions and comments to disclosures to other interested parties and the domestic industry. Further, all submissions made by the domestic industry and other interested parties in the rejoinders have been summarised and provided in the disclosure statement. Thus, no prejudice is caused to the interest of any interested parties by not sharing such submissions.
124. With regard to the request for correction of names of foreign producers as well as Century Textiles and Industries Limited to Aditya Birla Real Estate Limited, the Authority has corrected the same in the relevant part of this notification and the duty table.
125. The domestic industry has submitted that artboards can be used for packaging purposes. The Authority notes that only artboards used for other than printing purposes have been excluded from the scope of the product under consideration. In case, artboard is imported for the purpose of packaging, the same is included in the scope of the product under consideration.
126. As regard the submissions that the detailed working has not been disclosed with the producers and exporters, the Authority notes that sufficient disclosure has been made to the other interested parties with regard to determination of export price and landed price. Further, as regard the transactions for artboards to traders and printers, since the Authority has already excluded coated artboard for printing purposes, no such transaction has been considered for determination of export price and landed price.
127. With regard to exclusion of SBS from the scope of the product under consideration, the Authority notes that it is the settled position of the Authority that only those product types which have been imported during the period of investigation and the domestic industry has not supplied like article thereof, can be excluded from the scope of product under consideration. The evidence supplied by the domestic industry shows that it has produced and sold SBS in the domestic market during the period of investigation. Therefore, SBS cannot be excluded from the scope of the product under consideration.
128. With regard to the submissions that the injury and causal link should be examined based on the revised scope of the product under consideration, the Authority notes that four or more layered paperboard, whether coated,

uncoated, or laminated with plastic, aluminium, or other metals, used for liquid packaging have been excluded from the scope of the product under consideration. Since the said product was not manufactured by the domestic industry, the same does not form part of the injury data examined in the relevant part. With regard to exclusion of artboard when imported for printing purposes, the Authority has examined the injury data of the domestic industry post exclusion of the same in the relevant part of this notification.

129. With regard to the submissions that the interest cost and depreciation of the domestic industry have increased much more than increase in capacities, the Authority notes that the interest cost and depreciation have been verified by the Authority. The increase in interest cost and depreciation is due to investments in plant for captive inputs. Even if interest cost and depreciation are adjusted, the profit of the domestic industry before depreciation and interest cost has declined significantly.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Interest Cost	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	67	142	137
Depreciation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	134	118
Total	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	137	126
PBT	₹/MT	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	187	174	-11
PBDIT	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	147	160	42

130. With regard to the submissions that the effect of decline in captive consumption and export sales have caused injury to the domestic industry, the Authority notes that captive consumption and export sales account for only 0-10% of the total production of the domestic industry. Therefore, the share of such captive consumption and exports in total volume is low. Thus, injury is not attributable to decline in captive consumption and export sales.
131. With regard to the submissions that the MIP has already been imposed and there is no need for imposition of anti-dumping duty, the Authority notes that the purpose of MIP and anti-dumping duty is different. Imposition of MIP does not bar imposition of anti-dumping duty. In the present case, the Authority has found that the exporters in the subject countries are dumping the product under consideration in India which is causing material injury to the domestic industry. In such a case, there is a need for imposition of anti-dumping duty. Further, MIP is a short term measure as compared to the anti-dumping duty. As regard the argument that the MIP has already brought the import prices over the non-injurious prices, the Authority notes that the dumping margin and injury margin will be determined based on the situation prevailing in the period of investigation. The Authority does not consider the subsequent decline in import prices in determination of dumping margin and injury margin. Therefore, in the same manner the contention that the injury margin might have reduced subsequent to the period of investigation cannot be accepted as well.
132. As regards the contention that the calculation of impact of duty does not factor MIP, the Authority notes that it is required to examine the impact of the proposed anti-dumping duty and not of other policy measures of the Government.
133. With regard to the submission that the Authority has considered a different data for the disclosure statement, the Authority notes that the data considered in the disclosure statement is verified data of the domestic industry. Further, the trend of the injury analysis has not changed in the disclosure statement as compared to that filed by the domestic industry. In such a case, no prejudice is caused to the interest of the other interested

parties. The Authority also notes that the Authority discloses essential facts being considered by it to all interested parties, only at the stage of Disclosure Statement. Therefore, the verified information being considered for injury analysis, and the verified data considered for calculation of dumping margin and injury margin is disclosed to all interested parties at this stage. At this stage, the Authority also allows all interested parties, including the domestic industry, an opportunity to defend their interests, by making submissions with regard to the essential facts disclosed. Such an opportunity ensures that the principles of natural justice are upheld throughout the investigation process.

134. As regard the submissions that the anti-dumping duty may be calculated by the same methodology as that of MIP, the Authority notes that the anti-dumping duty has been calculated based on the provisions of the Customs Tariff Act and the relevant Rules.
135. The Chinese producers have submitted that a 10% rate of customs duty should be considered as they were not provided concession under the India-APTA FTA. The Authority notes that as per the evidence provided by the other interested parties, the subject goods have been cleared under 10% customs duty. Accordingly, the landed price has been revised in the relevant section. However, since the anti-dumping duty has been quantified based on dumping margin as the same is lower than the injury margin, change in landed price does not impact the duty quantified for the Chinese producers.
136. With regard to methodology for segregation of import data with respect to the exclusions in the scope of product under consideration, the Authority notes that the Authority has identified all transactions which pertained to artboard, without reference to intended application, or with reference to application other than packaging application, and the same have been excluded in order to quantify the total imports of the product under consideration in India. However, it has been ensured that any transaction specifically relating to artboard used for packaging purposes has not been excluded.
137. As regards the argument that the domestic industry has suffered due to high depreciation and interest cost, the Authority has examined the PBDIT and found that the same has also declined over the period. The interested parties have also contended that the domestic industry has suffered injury because of volatile pulp prices and red sea freights. The Authority notes that the present injury analysis considers domestic producers that are purchasing pulp, as well as those producing pulp captively. In case the raw material prices increase, it is reasonably expected that the prices of the product also follow the same trend. However, the facts on record show that the price of imports has not increased in response to the increase in costs, forcing the domestic industry to also reduce its prices.
138. As regard the submissions that the non-injurious price of the domestic industry is inflated due to higher depreciation and interest cost, the Authority notes that the non-injurious price has been determined as per the principals laid down in Annexure III of the Anti-Dumping Rules.
139. With regard to the request for disclosure of actual methodology for calculation of non-injurious price of the domestic industry, the Authority notes that it has already disclosed the methodology adopted. The non-injurious price has been determined based on the provisions of Annexure III to the Anti-Dumping Rules. The non-injurious price of the domestic industry is confidential business proprietary information of the applicants and cannot be shared with the other interested parties. Disclosure of such information will adversely impact the interest of the domestic producers in the market.
140. The interested parties have highlighted that there are lower priced imports from Belgium, Brazil, Estonia, New Zealand, Russia, Slovenia, UAE and USA, which are priced below the price of subject countries. The parties have highlighted that such imports collectively account for 4.5% of total imports. The Authority notes that, under the Anti-Dumping Rules, import volumes from a particular country are considered significant, if it accounts for at least 3% of the total imports; or if imports from countries, which individually account for less than 3%, account for more than 7%. Therefore, imports from the aforesaid countries, collectively accounting for only 4.5% of the total imports cannot be considered significant, as to cause injury to the domestic industry. Further, as regards the argument that such lower import prices show that the international prices are lower, the

Authority does not find merit in such an argument. The subject imports account for a significant share in the market. As such, such lower priced imports may compel producers in other countries to also reduce their prices. However, the fact of dumping found in the present case shows that the prices of subject imports are low due to dumping, and no other factors.

141. The Authority further notes that as per the evidence on record, there are no long term agreements of the users with foreign producers. While imposition of anti-dumping duty does not restrict imports of the product under consideration in India, but only ensures that the same is imported at fair prices. In case, the users decide not to import the product under consideration from the subject countries post imposition of anti-dumping duty, they will be able to procure the product under consideration from the domestic industry due to no long term agreements.
142. The Authority notes that Federation of Paper Traders' Association of India has filed submissions and stated that the domestic industry caters to majority of demand in India and support must be provided to the domestic industry in case of imports at low prices. Further, the association has also stated that low cost imports into India is leading to reduction in foreign exchange reserves in India and undermines Make in India initiative.
143. The other interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to cost pressure and higher cost of sales of the domestic industry as a result of normalisation of market conditions. It has further been submitted that the price of exporters are in line with international prices. The Authority notes that as per the responses filed by the producers in the subject countries, the producers have dumped the product under consideration in India. The dumped prices cannot be considered as prices due to normalisation of the market post COVID-19.

K. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

144. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
 - i. The product under consideration is multi-layer board made of white / virgin wood pulp, whether coated or uncoated, and is also known as Virgin Multi-Layer Paperboard, predominantly for packaging application. The product under consideration is made up of multiple layers of paper bonded together. The product under consideration comes in various grades. The product under consideration includes Folding Box Board (FBB), Solid Bleached Sulfate Board (SBS), Cup Stock Paper or Board and Liquid Packaging Board, all in the range of 140 to 450 GSM. The scope of the product under consideration excludes the following:
 - a. Paperboards made out of recycled/brown pulp or fibre.
 - b. Coated/uncoated cigarette boards.
 - c. Two side coated artboard when imported for printing purposes.
 - d. Four or more layered paperboard, either coated, uncoated or laminated with plastic material, aluminium, or other metal for liquid packaging material.
 - ii. The domestic industry has produced and sold cup stock paperboards in the domestic market during the period of investigation. Hence, the same has not been excluded from the product scope.
 - iii. Demand-supply gap for a product grade is not a justification for exclusion of a product type from the scope of the product under consideration.
 - iv. The product under consideration is used for packaging purposes. Coated artboard is majorly used for printing purposes and not packaging. Thus, the Authority has excluded art boards, when imported for printing purposes.
 - v. Coated and uncoated cup stocks are included within the scope of the product under consideration. The type of coating does not lead to exclusion of the same from the scope of the product under consideration.

- vi. Cigarette Boards have been imported at higher prices and have not been dumped into India. There is no justification for including cigarette boards in the scope of the product under consideration.
- vii. The domestic industry has produced and sold liquid packaging board in the domestic market during the period of investigation. Further, the said product has been imported from the subject countries. Thus, the same has not been excluded from the scope of the product under consideration.
- viii. The domestic industry has not produced and sold four or more layered processed paperboard, coated or laminated with plastic material, aluminium, or other metals for liquid packaging material. Accordingly, the same has been excluded from the scope of the investigation.
- ix. Subject to the above, the product produced by the domestic industry is like article to the product imported from the subject countries.
- x. The applicant domestic producers have not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation and are not related to any producer of the subject goods in the subject countries or any importers in India.
- xi. The application has been filed by Indian Paper Manufacturers Association on behalf of all domestic producers in India. There are total of 6 producers in India, 5 of whom have provided detailed information for the purpose of the present investigation. West Coast Paper Limited has supported the application for imposition of anti-dumping duty.
- xii. The applicant domestic producers accounts for majority of the proportion in the Indian production, and therefore, constitute domestic industry as per Rule 2(b).
- xiii. The claims of confidentiality made in the support letter have been accepted as the information pertains to one producer and disclosure of such information would have adverse impact on the interests of the said producer.
- xiv. Claims of confidentiality regarding profitability information of the domestic industry is accepted as disclosure of such information would lead to disclosure of costing and profitability information, which would be prejudicial to the competitive interests of the domestic industry.
- xv. Imposition of minimum import price is not a justification for termination of present investigation, as subject goods have been found to be dumped and are causing injury to the domestic industry.
- xvi. China PR has been treated as a non-market economy and the Authority has determined export price for Chinese producer based on the response filed by them.
- xvii. The dumping margin for all producers from the subject countries is positive and significant.
- xviii. The Authority has undertaken cumulative assessment of injury as the conditions for cumulative assessment have been met in the present investigation.
- xix. The demand for the subject goods has increased in the injury period.
- xx. The domestic industry has suffered material injury, as can be seen from the following.
 - a. The volume of subject imports increased over the injury period in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.
 - b. The subject imports have increased at a pace higher than rate of increase in demand.
 - c. Imports are undercutting the prices of the domestic industry and the price undercutting is positive and significant.
 - d. The subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry. The domestic industry has been forced to reduce its selling prices more than the decline in its cost of sales.
 - e. The installed capacity and production of the domestic industry has increased in the injury period.
 - f. The domestic industry has been able to maintain capacity utilisation by compromising of profits to maintain sales.

- g. Since export sales form a minute segment of production of the domestic industry, injury to the domestic industry cannot be attributed to such exports.
 - h. The market share of the subject imports has increased over the injury period.
 - i. Even though the domestic industry has sold the subject goods at losses, the inventories have increased.
 - j. The increase in inventories is not due to decline in export sales as the inventories have increased much more than the decline in exports.
 - k. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period. The domestic industry has incurred financial losses during the period of investigation.
 - l. The cash profits and return on capital employed of the domestic industry has declined significantly over the injury period. The return on capital employed of the domestic industry is only [2%].
 - m. The subject imports are priced below the selling price and cost of sales of the domestic industry and have adversely impacted the prices of the domestic industry.
 - n. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.
- xxi. The landed price of imports is below the non-injurious price of the domestic industry. The injury margin determined for all producers from the subject countries is positive and significant.
- xxii. The injury to the domestic industry is due to dumping in the Indian market. No other known factor has caused injury to the domestic industry.
- xxiii. Imposition of anti-dumping duty will not be against public interest as evident from the following.
- a. The product under consideration is used for packaging purposes and is not a raw material for production of any downstream product.
 - b. The prices of the product under consideration do not directly impact the prices of downstream products.
 - c. There is no evidence adverse impact on users in case of imposition of anti-dumping duty. The impact of imposition of duties is less than 0.5%.
 - d. There is no demand-supply gap in the country. The capacity of the Indian industry is enough to cater to the entire demand in India.
 - e. *** is planning capacity expansion. Since the domestic industry has incurred losses in the period of investigation, the present situation is not conducive of any further investment.
145. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
146. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries for a period of 5 years, from the date

of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty Table

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4805 and 4810	Virgin Multi-Layer Paperboard*	China PR	Any country including China PR	Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd	152.27	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Guangxi Jingui Pulp & Paper Co, Ltd	152.27	MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Ningbo Asia Unpolluted Paper Products Co., Ltd	152.27	MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shandong Bohui Paper Industry Co, Ltd	152.27	MT	USD
5.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Bohui Paper Industry Co, Ltd	152.27	MT	USD
6.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any, other than those mentioned at S.N. 1 to S.N. 5.	221.36	MT	USD
7.	-do-	-do-	Any country other than China PR and Chile	China PR	Any	221.36	MT	USD
8.	-do-	-do-	Chile	Any country including Chile	Any	123.18	MT	USD
9.	-do-	-do-	Any Country other than China PR and Chile	Chile	Any	123.18	MT	USD

* Multi-layer board made of white / virgin wood pulp, whether coated or uncoated, also known as Virgin Multi-Layer Paperboard, predominantly used for packaging application. The product under consideration includes Folding Box Board (FBB), Solid Bleached Sulfate Board (SBS), Cup Stock Paper or Board and Liquid Packaging Board, all in the range of 140 to 450 GSM. The scope of the product under consideration excludes the following:

- i. Paperboards made out of recycled/brown pulp or fibre.
- ii. Coated/uncoated cigarette boards.
- iii. Two side coated artboard when imported for printing purposes.

- iv. *Four or more layered paperboard, either coated, uncoated or laminated with plastic material, aluminium, or other metal for liquid packaging material.*

L. Further Procedure

147. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act / Rules.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority